



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2021

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

**हरियाणा सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2021**

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix-xii
अध्याय-1		
विहंगावलोकन		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-2
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	2-3
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	3-4
सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	4-6
वित्तों के स्नैपशॉट	1.4.1	7
सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट	1.4.2	7-8
राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	8-11
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.6	11
राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	1.6.1	11-12
लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण	1.6.2	12-13
अध्याय-2		
राज्य के वित्त		
प्रमुख राजकोषीय संघय में मुख्य परिवर्तन	2.1	15
निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	15-16
राज्य के संसाधन	2.3	16-17
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	17-18
राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	19-27
पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	27-28
संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.3.4	28-29
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	29
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	29-31
राजस्व व्यय	2.4.2	31-36

	अनुच्छेद	पृष्ठ
पूँजीगत व्यय	2.4.3	36-42
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	42-43
प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	43
लोक लेखा	2.5	44
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	44-45
आरक्षित निधियां	2.5.2	45-49
ऋण प्रबंधन	2.6	49
ऋण प्रोफाइल: घटक	2.6.1	50-53
ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	2.6.2	53-54
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	54-56
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	56-57
गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	2.7.2	57-58
रोकड़ शेष का प्रबंधन	2.7.3	58-60
निष्कर्ष	2.8	60-61
अध्याय-3		
बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	63-64
विनियोजन लेखे	3.2	64-65
बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां	3.3	65
अनावश्यक या अत्यधिक/अनुपूरक अनुदान	3.3.1	65
बचत	3.3.2	66-68
अत्यधिक व्यय और इसके विनियमन	3.3.3	68-69
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां	3.4	70
बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर	3.4.1	70-71
बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोरणाएं	3.4.2	72
विकास योजनाएं	3.4.3	72-74
व्यय की अधिकता	3.4.4	74-75
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.4.5	75-81

	अनुच्छेद	पृष्ठ
निष्कर्ष	3.5	81-82
सिफारिशें	3.6	82
अध्याय-4		
लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार		
राज्य की समेकित निधि या लोक लेखा से बाहर की निधियां	4.1	83
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	4.1.1	83
हरियाणा ग्रामीण विकास निधि	4.1.2	84
ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना	4.2	84
स्पष्ट देयताओं को शामिल न करना	4.3	85
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां	4.4	85-86
स्थानीय निधियों की जमा राशि	4.5	86
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	4.6	86-88
अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.6.1	88
सार आकस्मिक बिल	4.7	88-89
व्यक्तिगत जमा खाते	4.8	89
लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग	4.9	89-90
उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष	4.10	91
विभागीय आंकड़ों का मिलान	4.11	91-92
नकद शेष का मिलान	4.12	92
लेखांकन मानकों की अनुपालना	4.13	92-93
प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	4.14	93
लेखों के अप्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलंब	4.15	93-94
विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	4.16	94-95
लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.17	95
दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, इत्यादि	4.18	95-97
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.19	97
निष्कर्ष	4.20	97-98
सिफारिशें	4.21	98-99

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	101
1.2	31 मार्च 2020 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.4.2	102
2.1	वर्ष 2019-20 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	2.2	103-104
2.2	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा	2.3.2.1	105-106
2.3	राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2020 तक राजस्व का बकाया	2.3.2.2 (iv)	107
2.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार सरकारी निवेश	2.4.3.2 (iv)	108
2.5	कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण	2.4.3.2 (vi)	109-110
3.1	मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	3.3.1	111-112
3.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.3.2 (i)	113-114
3.3	₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली योजनाओं का विवरण	3.3.2 (ii)	115-116
3.4	स्कीमों का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया	3.4.3 (i)	117
3.5	स्कीमों का विवरण जिनमें ₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक के प्रावधान को संशोधित अनुमानों में कम किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	3.4.3 (ii)	118-119
3.6	स्कीमों का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमानों में ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक का प्रावधान किया गया था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	3.4.3 (iii)	120
3.7	स्कीमों का विवरण जहां ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक के बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	3.4.3 (iv)	121
3.8	स्कीमों के विवरण (₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से भी कम था	3.4.3 (v)	122-124
3.9	स्कीमों का विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित अनुमान कम किया गया लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 20 प्रतिशत से अधिक था	3.4.3 (vi)	125

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.10	स्कीमों का विवरण जिनमें मूल अनुमानों और संशोधित अनुमानों में ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक के लिए समान प्रावधान रखा गया था लेकिन व्यय प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	3.4.3 (vii)	126-128
3.11	स्कीमों का विवरण जिनके लिए ₹ एक करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान बढ़ाए गए थे लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था	3.4.3 (xi)	129
3.12	वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में अधिक व्यय दर्शाने वाले विवरण	3.4.4	130
3.13	स्कीमों का विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी	3.4.5.1 (ii)	131-132
3.14	पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण	3.4.5.1 (iii)	133-134
3.15	स्कीमों का विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी	3.4.5.2 (ii)	135-136
3.16	पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण	3.4.5.2 (iii)	137-138
4.1	31 अगस्त 2020 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण	4.6	139-140
4.2	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.14	141-142
4.3	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी	4.15	143-148
4.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	4.16	149

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 से 3 में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 4 "लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग" चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा संपादन लेखापरीक्षा के परिणामों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों जैसे कि आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित, यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय 1 प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अंतर्निहित डेटा सरकारी खातों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो-राजकोषीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2 राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण प्रोफाइल और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 राज्य के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार की विनियोजन और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय 4 राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मामलों पर टिप्पणी करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1: विहंगावलोकन

राजस्व घाटे के उत्तरोत्तर उन्मूलन द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005 पारित किया गया था। यद्यपि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है।

[अनुच्छेद 1.5]

राजस्व घाटा 2018-19 के दौरान ₹ 11,270 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 16,990 करोड़ हो गया, जो कि ₹ 12,022 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से अधिक था।

[अनुच्छेद 1.5]

राजकोषीय घाटा जो 2018-19 में ₹ 21,912 करोड़ था, 2019-20 में बढ़कर ₹ 30,518 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, जो स.रा.घ.उ. का 3.67 प्रतिशत था, 14वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों के साथ-साथ बजट प्रक्षेपणों से अधिक था।

[अनुच्छेद 1.5]

पेंशन स्कीम में कम अंशदान, समेकित ऋण शोधन निधि में अंशदान न करने, गारंटी मोचन निधि में गारंटी फीस प्राप्तियां हस्तांतरित न करने और खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 1,284.43 करोड़ कम बताया गया।

[अनुच्छेद 1.6.1]

अध्याय 2: राज्य के वित्त

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2015-16 में 16.56 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत हो गई। राज्य के स्वयं के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 0.66 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

[अनुच्छेद 2.3.2.1]

राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,848 करोड़ हो गया और कुल व्यय का 82 प्रतिशत था। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों से समायुक्त प्रतिबद्ध व्यय ने कुल राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत संघटित किया। 2019-20 में सब्सिडी पर व्यय ₹ 8,105 करोड़ था, जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ₹ 6,978 करोड़ (86.09 प्रतिशत) की सब्सिडी सहित राजस्व प्राप्तियों का 11.94 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 2.4.2]

2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 17 प्रतिशत था जिसमें उदय स्कीम के अंतर्गत बिजली क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन शामिल था। तीन विद्युत वितरण कंपनियों की संचित हानियां ₹ 29,026 करोड़ थीं।

[अनुच्छेद 2.4.3]

31 मार्च 2020 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 36,923 करोड़ निवेशित थे। इसमें से ₹ 31,637 करोड़ का निवेश घाटा उठाने वाली 11 सरकारी कंपनियों में किया गया था। इन 11 कंपनियों को ₹ 29,639 करोड़ की संचित हानि हुई, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी निवेश का निवल मूल्य घटकर ₹ 1,998 करोड़ रह गया। इसके अतिरिक्त, पूंजी अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध रह गई और वांछित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

[अनुच्छेद 2.4.3.2]

वर्ष के दौरान ₹ 5,190 करोड़ की राशि के डिस्कॉम ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों में 35.59 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2019-20 के आरंभ में सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 2,647.86 करोड़ का ऋण बकाया था। आगे, इन चीनी मिलों को कुल ₹ 770.82 करोड़ के ऋण दिए गए थे। 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 398 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 4.22 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त किया।

[अनुच्छेद 2.4.3.2(vii)]

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 3,393.15 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

[अनुच्छेद 2.5.2.2 एवं 2.5.2.4]

लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित समग्र राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 25.92 प्रतिशत थीं। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने ₹ 44,329 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया और ₹ 15,512 करोड़ का चुकाया। 2019-20 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 13,874 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी जो कि 2015-16 में 24.36 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 25.92 प्रतिशत हो गई। 2019-20 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 3.18 गुणा और राज्य के स्वयं के संसाधनों का 4.29 गुणा थीं।

[अनुच्छेद 2.6.1]

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

2019-20 के दौरान, ₹ 1,56,449.71 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 1,29,856.27 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26,593.44 करोड़ की समग्र बचत थीं। इसमें से 39 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए, ₹ 25,905.59 करोड़ की बचत की गई। वर्ष 2018-19 से संबंधित ₹ 41.54 करोड़ के अधिक व्यय के साथ-साथ दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 153.39 करोड़ के अधिक व्यय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुच्छेद 3.3.2(i), 3.3.3 एवं 3.4.1]

2015-20 के दौरान 20 अनुदानों और एक विनियोजन में निरंतर बचत दर्ज की गई। 37 मामलों में, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 10 अनुदानों के अंतर्गत 15 प्रमुख शीर्षों में 47 प्रतिशत व्यय मार्च 2020 में किया गया जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता को दर्शाता है जो कि सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विपरीत था। 2019-20 के दौरान ₹ 1,216.41 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली 61 विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थीं।

[अनुच्छेद 3.3.1, 3.3.2(ii), 3.4.3 एवं 3.4.4]

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत संग्रहित उपकर को राज्य की समेकित निधि के माध्यम से लिए बिना हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु, हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

[अनुच्छेद 4.1]

31 अगस्त 2020 को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 10,597.58 करोड़ के अनुदानों से संबंधित 2,004 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। 93 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 254 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2020 तक बकाया थे।

[अनुच्छेद 4.6 एवं 4.15]

2019-20 के दौरान, ₹ 10,501.79 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 10.24 प्रतिशत) वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से लेखाकृत करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

[अनुच्छेद 4.9]

राज्य ने भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी और प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

[अनुच्छेद 4.13]

राज्य सरकार ने ₹ 1.34 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुर्विनियोजन, दुरुपयोग, इत्यादि के 64 मामले सूचित किए जिन पर जून 2020 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इनमें से 34 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

[अनुच्छेद 4.18]

अध्याय-1

विहंगावलोकन

अध्याय-1: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित है। इसके 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से यह 21वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 20.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। राज्य की 11.20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी जोकि अखिल भारतीय औसत 21.90 प्रतिशत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2019-20 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 8,31,610 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.60 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (परिशिष्ट 1.1)। वर्ष 2019-20 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,64,207¹ थी।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.), एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)


वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18 (पी.ई.)	2018-19 (क्यू.ई.)	2019-20 (ए.ई.)
वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय स.घ.उ.	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
गत वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ.	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610
गत वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ.की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.35	13.34	15.67	13.02	13.27

स्रोत: भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा


पी.ई. - अनंतिम अनुमान, क्यू.ई. - त्वरित अनुमान, ए.ई. - अग्रिम अनुमान

¹ स्रोत: हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है जिनका संबंध कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन और स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय विकास को चार्ट 1.1 और 1.2 में चित्रित किया गया है।



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा

1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार एक राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाएंगे। राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत तैयार तथा प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक तौर पर राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों को राजकोषों, कार्यालयों और राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले विभागों, जो इन लेखों को रखने के उत्तरदायी हैं द्वारा प्रदान किए गए वाऊचरों, चालानों और प्रारंभिक एवं संबंधित लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों से तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है, और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है।

इस प्रतिवेदन के लिए मूल सामग्री राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मानदंडों और आबंटन वरीयताओं अर्थात् परिपेक्ष्यों के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभाविकता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और राजकोषों का अन्य डाटा;
- स.रा.घ.उ. का डाटा और राज्य से संबंधित अन्य आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार (भा.स.) के श्रेष्ठतम प्रचलनों और मार्गनिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया जाता है। राज्य के वित्त विभाग के साथ बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है और मसौदा प्रतिवेदन राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया (दिसम्बर 2020)। सरकार के उत्तर, जहां प्राप्त हुए, प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग, हरियाणा के साथ एकजट कांफ्रेंस 9 जून 2021 को आयोजित की गई जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समीक्षा के लिए उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार की प्रतिक्रियाएं, जहां भी प्राप्त हुए, उपयुक्त रूप से शामिल की गई हैं।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित चार अध्यायों में की गई है:

अध्याय-1	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अन्तर्निहित डेटा सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों का व्यापक वित्तीय विश्लेषण और घाटा/आधिक्य सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन करवाता है।
अध्याय-2	राज्य के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिपेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष से संबंधित प्रमुख राजकोषीय सकल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल प्रवृत्तियां, राज्य के ऋण की रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेनदेनों की राज्य के वित्त लेखों के आधार पर समीक्षा करता है।

अध्याय-3	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन करता है।
अध्याय-4	लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रचलनों की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I: राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार से प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारतीय संविधान में निहित कानून के अनुसार और उद्देश्य के अतिरिक्त किसी भी तरह से धन का विनियोग नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगियां, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं और विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन है।

भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जोकि राज्य विधानसभा द्वारा कानूनी रूप से स्थापित की जाती है और राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यशील मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट करके की जाती है।

भाग III: राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, प्राप्त सभी लोक धन जोकि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा को जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण और उचंत शीर्ष (जोकि दोनों, अंतिम निपटान के लंबित रहते हस्तांतरण शीर्ष हैं) जैसे वापसी योग्य सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अधीन शामिल है। लोक लेखा विधानसभा के वोट का विषय नहीं है।

बजट दस्तावेज

भारत में एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य की विधानसभा के सदन या सदनो के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की एक विवरणी प्रस्तुत की जाती है। 'वार्षिक वित्तीय विवरणी' में मुख्य बजट दस्तावेज हैं। आगे, बजट में राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्ययों से अलग होना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। इसका संबंध सरकारी और अन्य सेवाओं के सामान्य कार्यचालन हेतु सरकार द्वारा ऋण पर किए गए ब्याज भुगतानों, विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन हेतु हो सकते हैं) हेतु किए गए व्यय से है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बॉड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि।
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां।


पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश और भारत सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. और अन्य दलों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर किए गए व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उप-प्रमुख शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष - वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक)

सरकारी लेखे की संरचना

चार्ट 1.3: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित

बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय की विवरणी को **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाना है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरणी राज्य विधानसभा को अनुदानों/विनियोगों के लिए मांग के रूप में प्रस्तुत की जाती है और इनके अनुमोदन के बाद समेकित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा विनियोग बिल पारित किया जाता है।

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को बजटीय अनुमान तैयार करने और इसके व्यय की गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गनिर्देश देता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिया गया है।

1.4.1 वित्तों के स्नैपशॉट

तालिका 1.2 में वर्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणामों से बजट अनुमानों की तुलना के साथ 2018-19 के वास्तविक की तुलना का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बी.ई.)	2019-20 (वास्तविक)	वास्तविक से बी.ई. की प्रतिशतता	वास्तविक से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	42,581.34	51,105.00	42,824.95	83.80	5.15
2	कर-भिन्न राजस्व	7,975.64	10,024.95	7,399.74	73.81	0.89
3	संघीय करों/शुल्कों का अंश	8,254.60	11,216.64	7,111.53	63.40	0.86
4	सहायता अनुदान एवं अंशदान	7,073.54	9,872.82	10,521.91	106.57	1.27
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	65,885.12	82,219.41	67,858.13	82.53	8.16
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	5,371.90	5,449.44	5,392.63	98.96	0.65
7	अन्य प्राप्तियां	49.01	1,778.00	54.01	3.04	0.01
8	उधार एवं अन्य देयताएं (क)	21,911.75	22,461.99	30,518.62	135.87	3.67
9	पूँजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	27,332.66	29,689.43	35,965.26	121.14	4.32
10	कुल प्राप्तियां (5+9)	93,217.78	1,11,908.84	1,03,823.39	92.77	12.48
11	राजस्व व्यय (ख)	77,155.54	94,241.90	84,848.21	90.03	10.20
12	ब्याज भुगतान	13,551.46	16,632.62	15,588.01	93.72	1.87
13	पूँजीगत व्यय (ग)	16,062.24	17,666.94	18,975.18	107.41	2.28
14	पूँजीगत परिव्यय	15,306.60	16,259.67	17,665.93	108.65	2.12
15	ऋण एवं अग्रिम	755.64	1,407.27	1,309.25	93.03	0.16
16	कुल व्यय (11+13)	93,217.78	1,11,908.84	1,03,823.39	92.77	12.48
17	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (5-11)	-11,270.42	-12,022.49	-16,990.08	141.32	-2.04
18	राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) {(5+6+7)-16}	-21,911.75	-22,461.99	-30,518.62	135.87	-3.67
19	प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य (+) (18-12)	-8,360.29	-5,829.37	-14,930.61	256.13	-1.80

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बजट एक नजर में।

(क) उधार एवं अन्य देयताएं: लोक ऋण के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंतिम नकद शेष के लिए।

(ख) राजस्व खाते पर व्यय में ब्याज भुगतान शामिल हैं।

(ग) पूँजीगत लेखों पर व्यय में पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2020 तक ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार गत वर्ष की तत्कालीन स्थिति से तुलना को परिशिष्ट 1.2 में दर्शाया गया है। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल होती हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल होते हैं जैसाकि तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				परिसंपत्तियां					
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	प्रतिशत वृद्धि		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	प्रतिशत वृद्धि		
समेकित निधि									
क	आंतरिक कर्ज	1,54,967.80	1,83,785.60	18.60	क	सकल पूंजीगत परिव्यय	94,616.48	1,12,228.40	18.61
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,866.94	1,705.45	-8.65	ख	ऋण एवं अग्रिम	11,473.68	7,390.30	-35.59
आकस्मिक निधि		200.00	200.00	-					
लोक लेखा									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	15,715.23	16,962.46	7.94	क	अग्रिम	0.74	0.74	-
ख	जमा	8,404.55	7,921.80	-5.74	ख	प्रेषण	-	-	-
ग	आरक्षित निधियां	6,315.60	8,494.35	34.50	ग	उंचत एवं विविध	57.23	70.49	23.17
घ	प्रेषण	327.48	273.74	-16.41		नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)	2,985.55	3,999.47	33.96
						कुल	1,09,133.68	1,23,689.40	13.34
						राजस्व लेखा में घाटा	78,663.92	95,654.00	21.60
कुल		1,87,797.60	2,19,343.40	16.80	कुल		1,87,797.60	2,19,343.40	16.80

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.5 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब सरकार एकत्र राजस्व से अधिक व्यय करती है तो यह घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को अधिकृत करते हैं।

घाटे का वित्तपोषण उधार द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए जिससे सरकारी ऋण में वृद्धि होगी। घाटे और ऋण की धारणाओं में निकट का संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण स्टॉक में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल-दर-साल उधार लेना जारी रखती है तो इसके परिणामस्वरूप ऋण का संचय होगा और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करेंगे।

उधार लेकर सरकार कम हुए उपभोग का भार भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित कर देती है। यह इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉन्ड जारी करके उधार लेती है परंतु कुछ बीस वर्ष बाद कर बढ़ाकर या व्यय कम करके बॉन्ड्स चुकाने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने के कारण निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को भी कम करता है। इस हद तक कि यह पूंजी निर्माण और विकास को कम करता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर 'भार' के रूप में कार्य करता है।

हालांकि, यदि सरकारी घाटे उनके उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में सफल हों तो और अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में सरकार और उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, यदि सरकार मूलभूत संरचना में निवेश करती है, भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को भार नहीं समझा जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य जी.डी.पी.) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी द्वारा कम किया जा सकता है। सा.क्षे.उ. में शेयरों की बिक्री के माध्यम से भी प्राप्तियां बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हालांकि, अधिक बल सरकारी व्यय में कमी की तरफ ही रहा है। सरकारी गतिविधियों को कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। 14वें वित्त आयोग ने हरियाणा को राजस्व आधिक्य वाला राज्य मान लिया है और तदनुसार राजकोषीय घाटे और निवल उधारों के लक्ष्यों की सिफारिश की है। हालांकि, एक राजस्व घाटे का राज्य होते हुए हरियाणा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में आगामी आवश्यक संशोधन अभी तक नहीं किए गए क्योंकि इस संबंध में राज्य सरकार ने भारत सरकार से मार्गदर्शन मांगा था।

14वें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु राज्य के लिए वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. में 15.73 प्रतिशत की दर पर औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रक्षेपित की है। मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.4** तथा **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: प्रक्षेपणों से प्रमुख तथा राजकोषीय संकेतकों में भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)



राजकोषीय संकेतक	2019-20							
	14वें वित्त आयोग द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पांच वार्षिक राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	प्रक्षेपणों से वास्तविकों की भिन्नता			
					14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पांच वार्षिक राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण	
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(+) 1.22	(-) 1.53	(-) 1.53	(-) 2.04	(-) 3.26	(-) 0.51	(-) 0.51	
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 3.25	(-) 2.86	(-) 2.86	(-) 3.67	(-) 0.42	(-) 0.81	(-) 0.81	
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात	उदय सहित	21.33	22.90	22.86	25.92	(+) 4.59	(+) 3.02	(+) 3.06
	उदय को छोड़कर	-	19.60	19.55	22.80	-	(+) 3.20	(+) 3.25

तालिका 1.5: 2019-20 के लिए वास्तविकों की तुलना में म.अ.रा.नी. में प्रक्षेपण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2019-20)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	स्व कर राजस्व	51,105.00	42,824.95	(-) 16.20
2	कर-भिन्न राजस्व	10,024.95	7,399.74	(-) 26.19
3	केंद्रीय करों का हिस्सा	11,216.64	7,111.53	(-) 36.60
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	9,872.82	10,521.91	(+) 6.57
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	82,219.41	67,858.13	(-) 17.47
6	राजस्व व्यय	94,241.90	84,848.21	(-) 9.97
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (5-6)	(-) 12,022.49	(-) 16,990.08	(-) 41.32
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 22,461.99	(-) 30,518.62	(-) 35.87
9	ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	22.86	25.92	(+) 3.06
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.30	13.27	(-) 0.03

चार्ट 1.4 तथा चार्ट 1.5 2015-20 की अवधि में घाटे के संकेतकों में रुझान प्रस्तुत करते हैं।



- **राजस्व घाटा**, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को इंगित करता है, रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखना था। राजस्व घाटा जो 2018-19 के दौरान ₹ 11,270 करोड़ था 2019-20 में बढ़कर ₹ 16,990 करोड़ हो गया जोकि ₹ 12,022 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से अधिक था।

₹ 16,990 करोड़ का राजस्व घाटा इंगित करता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूंजीगत सृजन की जगह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

₹ 11,677.50 करोड़ (2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष ₹ 3,892.50 करोड़) के ऋण का इक्विटी में परिवर्तन उदय योजना के त्रिपक्षीय समझौता जापन के विरुद्ध था और इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राजस्व घाटे को कम बताया गया।

- **राजकोषीय घाटा** जो 2018-19 में ₹ 21,912 करोड़ था, 2019-20 के दौरान बढ़कर ₹ 30,518 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा म.अ.रा.नी. में नियत किए गए 2.86 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 3.67 प्रतिशत था और 14वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों के साथ-साथ बजट प्रक्षेपणों से अधिक था।

- **प्राथमिक घाटा** 2018-19 में ₹ 8,361 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 14,930 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे की विद्यमानता इंगित करती है कि राज्य को अपनी उधार ली गई निधियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी।

- **प्राथमिक राजस्व शेष** राज्य की राजस्व प्राप्तियों और ब्याज भुगतानों रहित राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। यह आकलन करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां किस हद तक ब्याज का भुगतान करने में सक्षम थी। 2019-20 में, राज्य में ₹ 1,402 करोड़ का प्राथमिक राजस्व घाटा दर्ज किया गया। उदय योजना के त्रिपक्षीय समझौता जापन के अंतर्गत ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण प्राथमिक राजस्व शेष ₹ 3,892.50 करोड़ कम बताया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

1.6.1 राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करने, नई पेंशन स्कीम में कम योगदान, ऋण शोधन और मोचन निधियों आदि के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राजस्व एवं राजकोषीय घाटा पेंशन स्कीम में कम योगदान, समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न होना, गारंटी मोचन निधि को गारंटी फीस प्राप्तियां स्थानांतरित न करना और खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण ₹ 1,284.43 करोड़ कम दर्शाया गया था, जैसाकि **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		निवल प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			राज.घा./ स.रा.घ.उ.	राज.घा./ स.रा.घ.उ.	राज.घा./ स.रा.घ.उ.	राज.घा./ स.रा.घ.उ.
परिभाषित अंशदाई पेंशन योजना में राज्य सरकार द्वारा कम योगदान	23.71	23.71				
समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न देना	1,149.90	1,149.90	2.04	3.67	2.20	3.82
गारंटी मोचन निधि में गारंटी फीस प्राप्तियां स्थानांतरित न करना	98.74	98.74				
खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि को कम अंशदान तथा शेषों पर ब्याज समायोजित न करना	12.08	12.08				
कुल	1,284.43	1,284.43				

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त से राज्य सरकार के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। स.रा.घ.उ. से स.रा.घ.उ. अनुपात में राजस्व घाटा 0.16 प्रतिशत अंक से कम जबकि राजकोषीय घाटा 0.15 प्रतिशत अंक कम बताया गया।

1.6.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के तहत देयताएं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहनों और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरणों जहां मूल और/या ब्याज राज्य बजट में से निकाले जाने हैं। लंबित ऋणों/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसाकि तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
आंतरिक ऋण (क)	1,83,785.60
ब्याज वाले बाजार ऋण	1,35,664.18
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	2.26
प्रतिकर और अन्य बांड	25,950.00
अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	12,249.57
केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9,365.12
अन्य	554.47
केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)	1,705.45
गैर-योजना ऋण	38.64
राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण	1,298.58
अन्य	368.23
लोक लेखों पर देयताएं (ग)	30,273.82
लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	16,962.46
जमा	7,921.80
आरक्षित निधियां	5,186.31
उचंत एवं विविध शेष	(-) 70.49
प्रेषण शेष	273.74
कुल (क+ख+ग)	2,15,764.87

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य के कुल लंबित ऋणों/देयताओं को उचंत, विविध एवं प्रेषण शेष के लेखों में सम्मिलित न करके ₹ 203.23 करोड़ कम दर्शाया गया है और स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता 0.02 प्रतिशत कम दर्शाई गई है। लोक ऋण का अनुपात स.रा.घ.उ. से 25.92 प्रतिशत है जिसमें उचंत तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है। स.रा.घ.उ. के प्रति देयताएं म.अ.रा.नी.वि. के अंतर्गत 22.86 प्रतिशत के मानक निर्धारण की तुलना में 25.94 प्रतिशत अधिक थीं।

अध्याय-2

राज्य के वित्त

अध्याय 2: राज्य के वित्त

2.1 प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन

2018-19 की तुलना में 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय संचय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ राज्य की स्व कर प्राप्तियों में 0.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ स्व कर-भिन्न प्राप्तियों में 7.22 प्रतिशत की कमी आई ✓ केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 13.86 प्रतिशत घट गया ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 48.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 9.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 1.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ 2019-20 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूंजीगत व्यय में 15.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 18.04 प्रतिशत की कमी आई ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 15.01 प्रतिशत की कमी आई ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 28.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 73.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 0.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 29.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक ऋण की अदायगी में 8.19 प्रतिशत की कमी हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 10.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा संवितरण में 12.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान नकद शेष ₹ 1,013.92 करोड़ (34 प्रतिशत) बढ़ा

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

पिछले वर्ष (2018-19) की तुलना में चालू वर्ष (2019-20) के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का सार *तालिका 2.1* में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2018-19 और 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के विवरण


(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2019-20	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारंभिक नकद शेष	4,417.46	2,985.55	(-) 1,431.91 (32)
	राजस्व प्राप्तियां	65,885.12	67,858.13	1,973.01 (3)
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	5,371.90	5,392.63	20.73 (-)
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	49.01	54.01	5.00 (10)
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	17,081.10	28,656.31	11,575.21 (68)
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	3,398.74	2,876.23	(-) 522.51 (15)
	कुल	96,203.33	1,07,822.86	11,619.53 (12)
उपयोग	राजस्व व्यय	77,155.54	84,848.21	7,692.67 (10)
	पूंजीगत व्यय	15,306.60	17,665.93	2,359.33 (15)
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	755.64	1,309.25	553.61 (73)
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम नकद शेष	2,985.55	3,999.47	1,013.92 (34)
	कुल	96,203.33	1,07,822.86	11,619.53 (12)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1 में गत वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

2019-20 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।


राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उंचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।


2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

2015-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां चार्ट 2.3 में दी गई हैं जबकि 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना को चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा, राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए निवल लोक लेखा प्राप्तियों का भी उपयोग किया जाता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4: 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे

- निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,876 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियों (₹ 45,047 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 42,171 करोड़) के बाद।

सरकार की कुल प्राप्तियां 2015-20 के दौरान ₹ 33,032 करोड़ (38.27 प्रतिशत) बढ़ गईं। राजस्व प्राप्तियों ₹ 20,301 करोड़ (42.69 प्रतिशत) बढ़ गईं, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 10,261 करोड़ (26.75 प्रतिशत) बढ़ गईं, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल हैं, और इसी अवधि के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 2,470 करोड़ (608.37 प्रतिशत) बढ़ गईं।

2.3.2 राजस्व प्राप्तियां

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि


2015-20 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि तालिका 2.2 में दी गई हैं और चार्ट 2.5 एवं चार्ट 2.6 में भी दर्शाई गई हैं। 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संरचना को परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

मानक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	47,557	52,497	62,695	65,885	67,858
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	16.56	10.39	19.43	5.09	2.99
स्व कर राजस्व	30,929	34,026	41,099	42,581	42,825
कर-भिन्न राजस्व	4,753	6,196	9,113	7,976	7,400
स्व राजस्व (स्व कर एवं कर-भिन्न राजस्व) की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.65	12.72	24.84	0.69	(-) 0.66
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.35	13.34	15.67	13.02	13.27
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	9.60	9.35	9.65	8.97	8.16
उत्पलावकता अनुपात ¹					
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	1.24	0.78	1.24	0.39	0.23
स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्व राजस्व उत्पलावकता	0.80	0.95	1.59	0.05	(-) 0.05


स.रा.घ.उ. के आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

यह देखा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2015-16 में 16.56 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत हो गई क्योंकि स्व कर एवं कर-भिन्न राजस्व ने 0.66 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई। राजस्व प्राप्तियों से स.रा.घ.उ. का अनुपात 9.60 प्रतिशत से घटकर 8.16 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों और स्व राजस्व की उत्पलावकता भी 2019-20 के दौरान बहुत कम थी। यह इंगित करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि स.रा.घ.उ. की वृद्धि के अनुरूप नहीं है।



¹ उत्पलावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दी गई मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलेपन की मात्रा को इंगित करता है।

चार्ट 2.6: 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान 42.69 प्रतिशत बढ़ गईं। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व 38.46 प्रतिशत, भारत सरकार से सहायता अनुदान 64.95 प्रतिशत तथा केन्द्रीय कर अंतरण 29.39 प्रतिशत बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के स्व राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का अंश 2015-16 में 75.03 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 74.01 प्रतिशत रह गया। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश 2015-16 में 13.41 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 15.51 प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय कर अंतरण का अंश 2015-16 से 2019-20 के दौरान 11.56 प्रतिशत से घटकर 10.48 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 2.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व ₹ 332 करोड़ (0.66 प्रतिशत) घट गया।

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर और कर-भिन्न स्रोत शामिल होते हैं।

(i) स्व कर राजस्व

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण **तालिका 2.3** में दिए गए हैं।

तालिका 2.3: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	21,060	23,488	15,609	8,998	8,398	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	10,833	18,613	18,873	
राज्य उत्पाद शुल्क	4,371	4,613	4,966	6,042	6,323	
वाहनों पर कर	1,401	1,583	2,778	2,908	2,916	
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,191	3,283	4,193	5,636	6,013	
भू-राजस्व	15	16	18	19	20	
माल एवं यात्रियों पर कर	554	595	2,317	21	16	
अन्य कर	337	448	385	344	266	
कुल	30,929	34,026	41,099	42,581	42,825	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-20 के दौरान कर राजस्व में ₹ 11,895.86 करोड़ (38.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की। हालांकि, 2018-19 की तुलना में 2019-20 में कर वस्तु एवं सेवा कर में मिल जाने वाले करों जैसे कि बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर (स्थानीय क्षेत्र में आगमन पर वस्तुओं पर कर) और अन्य करों में कमी दर्ज की गई।

(iii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्यों को पांच वर्ष के लिए आधार वर्ष से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में कमी के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। हरियाणा के मामले में, 2015-16 के आधार वर्ष के दौरान अंतिमकृत राजस्व आंकड़ा ₹ 15,230.59 करोड़ था।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित राजस्व, वास्तव में एकत्रित राजस्व और भारत सरकार से देय क्षतिपूर्ति तथा प्राप्त क्षतिपूर्ति तालिका 2.4 में दी गई है।

तालिका 2.4: वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण तथा भारत सरकार से क्षतिपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित राजस्व राशि	एकत्रित राजस्व राशि	क्षतिपूर्ति की देय राशि	क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि	कमी
	1	2	3 = 1-2	4	5 = 3-4
2017-18 ²	14,845.26	13,225.69	1619.57	1,199.00	420.57
2018-19	22,564.79	18,597.93	3,966.86	2,820.00	1,146.86
2019-20	25,723.86	18,944.61	6,779.25	5,453.43	1,325.82
कुल	63,133.91	50,768.23	12,365.68	9,472.43	2,893.25

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त की गई सूचना

राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में वृद्धि, अनुमानित वृद्धि की तुलना में कम थी और 2017-20 के दौरान ₹ 63,134 करोड़ की अनुमानित वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति के विरुद्ध ₹ 12,366 करोड़ की कुल कमी थी। भारत सरकार ने मार्च 2020 तक ₹ 9,472 करोड़ जारी किए।

(iii) वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क परिसरों में पैन-इंडिया डाटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय को 22 जून 2020 को सूचित किया गया था। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर डाटा की लेखापरीक्षा पहुंच प्रदान करने के संबंध में रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन (अक्टूबर 2020) किया है और सूचित किया है कि वस्तु एवं सेवा कर कार्यान्वयन समिति के निर्णय के अनुरूप डाटा पहुंच प्रदान की जाएगी। इसलिए, वर्ष 2019-20 के लिए लेखाओं को नमूना-लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमाणित किया गया है जैसा कि वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क डाटा तक लेखापरीक्षा पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन के लंबित होने के कारण अभिलेखों को मैनुअल रूप से बनाया जा रहा था।

(iv) राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2020 तक राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में राजस्व के बकाया की राशि ₹ 32,684.28 करोड़ थी जिसमें से ₹ 5,571.93 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसाकि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है। विभिन्न चरणों में वसूली की स्थिति का विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

² वर्ष 2017-18 की राशि जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक नौ माह की अवधि से संबंधित है।

तालिका 2.5: 31 मार्च 2020 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,717.17	4,934.61
2	राज्य उत्पाद शुल्क	310.48	196.28
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	325.20	179.30
4	स्थानीय क्षेत्र में आगमन पर वस्तुओं पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	206.32	147.96
5	पुलिस	127.98	40.91
6	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.69	11.69
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	985.44	61.18
कुल		32,684.28	5,571.93

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(v) निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं, तालिका 2.6 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.6: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2018-19	3,12,411	2,19,396	5,31,807	2,35,122	2,96,685	44
	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vi) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अंतिमकृत मामलों और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वर्ष 2019-20 के दौरान पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों के विवरण

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2019 तक लंबित मामले	2019-20 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हुई तथा पेनल्टी आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई।		31 मार्च 2020 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग राशि (₹ करोड़ में)	
1	0039- राज्य उत्पाद शुल्क	418	8,250	8,668	8,378	8.39	290
2	0040- बिक्री कर	18	4	22	21	2.60	1

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vii) रिफंड मामले

वर्ष 2019-20 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: वर्ष 2019-20 के दौरान रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	बकाया दावों का आरंभिक शेष	327	69.15	29	0.64
2	प्राप्त दावे	1,454	376.60	271	39.99
3	किए गए/समायोजित रिफंड	1,245	257.77	247	38.45
4	अस्वीकृत रिफंड	15	0.90	2	0.20
5	बकाया दावों का अंतिम शेष	521	187.08	51	1.98

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(viii) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। 2015-20 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां **तालिका 2.9** में दी गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)


राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	1,088	2,310	2,228	1,954	1,975	
लाभांश एवं लाभ	16	6	8	57	87	
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	3,649	3,880	6,877	5,965	5,338	
क) प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	110	113	132	164	172	
ख) सड़क परिवहन	1,255	1,265	1,280	1,197	1,115	
ग) शहरी विकास	422	599	2,861	2,316	1,855	
घ) शिक्षा	637	640	674	272	458	
ड) अलौह खनन	272	497	713	583	702	
च) अन्य	953	766	1,217	1,433	1,036	
कुल	4,753	6,196	9,113	7,976	7,400	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-20 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 2,647 करोड़ (55.69 प्रतिशत) बढ़ीं। कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,400 करोड़) ने मुख्यतः शहरी विकास (₹ 461 करोड़) में कमी के कारण गत वर्ष से ₹ 576 करोड़ (7.22 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 10.91 प्रतिशत संघटित किया। ₹ 1,975 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों में सिंचाई परियोजना, अनाज आपूर्ति योजना तथा सड़क पर ₹ 1,420 करोड़ का बही समायोजन शामिल है।

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

2011-12 से 2019-20 के दौरान केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां चार्ट 2.7 में दर्शाई गई हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

(i) केंद्रीय कर अंतरण

तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.048 तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था।

केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 2010-11 में ₹ 2,302 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,255 करोड़ हो गया और 2019-20 में घट गया (₹ 7,111 करोड़) जैसा कि तालिका 2.10 में विवरण दिए गए हैं।

तालिका 2.10: केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

वर्ष	वित्त आयोग प्रक्षेपण	बजट अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2010-11	13वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 32 प्रतिशत	2,194	2,302	108
2011-12		2,765	2,682	(-) 83
2012-13		3,180	3,062	(-) 118
2013-14		3,484	3,343	(-) 141
2014-15		4,010	3,548	(-) 462
2015-16	14 वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 42 प्रतिशत	5,680	5,496	(-) 184
2016-17		6,189	6,597	408
2017-18		8,372	7,298	(-) 1,074
2018-19		9,300	8,255	(-) 1,045
2019-20		11,216	7,111	(-) 4,105

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-16 से 2019-20 तक केंद्रीय कर अंतरण का विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	--	--	104.36	2,037.54	2,018.07
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	--	--	737.08	162.60	-- ³
निगम कर	1,733.37	2,118.57	2,235.92	2,870.86	2,424.73
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,204.79	1,472.41	1,888.08	2,114.27	1,899.93
सीमा शुल्क	880.83	911.33	736.90	585.17	450.77
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	733.13	1,040.65	770.20	388.87	313.42
सेवा कर	939.76	1,049.64	825.05	75.03	--
अन्य कर ⁴	4.34	4.87	-0.07	20.26	4.61
केंद्रीय कर अंतरण	5,496.22	6,597.47	7,297.52	8,254.60	7,111.53
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	55	20	11	13	-14
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	12	13	12	13	10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 7,111.53 करोड़) 2018-19 की तुलना में ₹ 1,143.07 करोड़ (14 प्रतिशत) कम था। यह 2019-20 के बजट अनुमानों में किए गए अनुमानों (₹ 11,216.64 करोड़) की तुलना में ₹ 4,105.11 करोड़ कम है।

(ii) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2019-20 में ₹ 3,448.37 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जैसा कि **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गैर-योजनागत अनुदान	3,744.39	3,078.49	--	--	--
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	2,268.18	2,327.52	--	--	--
केंद्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	27.53	34.50	--	--	--
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	338.66	237.07	2,326.62	2,843.09	2,851.99
वित्त आयोग अनुदान	--	--	1,316.68	1,274.26	2,005.74
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति	--	--	1,199.00	2,820.00	5,453.43
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	--	--	342.82	136.19	210.75
कुल	6,378.76	5,677.58	5,185.12	7,073.54	10,521.91
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	28	-11	-9	36	49
राजस्व प्राप्तियों से सहायतानुदान की प्रतिशतता	13	11	8	11	16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

³ 2019-20 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर के मामले में भारत सरकार द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) की निवल प्राप्तियों के हिस्से का बंटवारा न करना।

⁴ संपत्ति कर, आय तथा व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क कर सहित।

2019-20 के दौरान सहायतानुदान का 51.83 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के बदले क्षतिपूर्ति के कारण था।

(iii) चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के विवरण **तालिका 2.13** में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: सहायतानुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक विमोचन तथा अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	14वें वित्त आयोग की सिफारिश 2015-20			भारत सरकार द्वारा वास्तविक विमोचन			राज्य सरकार द्वारा किए गए अंतरण		
	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल
स्थानीय निकाय									
(i) पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को अनुदान	2,706.84	1,176.68	3,883.52	2,608.97	1,048.53	3,657.50	2,608.97	1,048.53	3,657.50
(क) सामान्य मूल अनुदान	2,446.64	1,048.53	3,495.17	2,446.64	1,048.53	3,495.17	2,446.64	1,048.53	3,495.17
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	260.20	128.15	388.35	162.33	0.00	162.33	162.33	0.00	162.33
(ii) शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को अनुदान	1,443.49	636.45	2,079.94	999.07	730.11	1,729.18	999.07	730.11	1,729.18
(क) सामान्य मूल अनुदान	1,164.77	499.18	1,663.95	923.62	637.80	1,561.42	923.62	637.80	1,561.42
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	278.72	137.27	415.99	75.45	92.31	167.76	75.45	92.31	167.76
स्थानीय निकायों का योग	4,150.33	1,813.13	5,963.46	3,608.04	1,778.64	5,386.68	3,608.04	1,778.64	5,386.68
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	1,326.00	374.00	1,700.00	1,326.00	374.00	1,700.00	1,326.00	374.00	1,700.00
कुल योग	5,476.33	2,187.13	7,663.46	4,934.04	2,152.64	7,086.68	4,934.04	2,152.64	7,086.68

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। पांच वर्षों (2015-20) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत प्राप्तियां	38,356.69	29,169.02	27,870.56	39,685.88	49,878.46
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	29.98	26.27	39.87	49.01	54.01
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	328.28	973.23	6,340.93	5,371.90	5,392.63
लोक ऋण प्राप्तियां	37,998.43	28,169.52	21,489.76	34,264.97	44,431.82
आंतरिक ऋण ⁵	37,901.20	28,046.26	21,348.75	34,140.14	44,329.43 ⁶
वृद्धि दर	102.38	(-) 26.00	(-) 23.88	59.92	29.85
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97.23	123.26	141.01	124.83	102.39
वृद्धि दर	(-) 25.64	26.77	14.40	(-) 11.47	(-) 17.98
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	101.49	(-) 25.87	(-) 23.71	59.45	29.67
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	22.88	178.99	538.40	-15.04	0.47
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	13.35	13.34	15.67	13.02	13.27
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	100.29	(-) 23.95	(-) 4.45	42.39	25.68

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 10,189.29 करोड़ की वृद्धि हुई। ऋणों और अग्रिमों की वसूली में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान डिस्कॉमज के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों का इक्विटी में रूपांतरण शामिल है। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम की कुल देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अधिगृहीत करने के लिए 2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए थे और वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) तथा डिस्कॉम को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में माना गया। 2017-20 के दौरान ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है।

14वें वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 2.15 में दी गई हैं।

तालिका 2.15: 14वें वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	14वें वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					14वें वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर राजस्व	77,806	51,105	51,105	42,825	(-) 44.96	(-) 16.20	(-) 16.20
कर-भिन्न राजस्व	5,109	10,025	10,025	7,400	44.84	(-) 26.18	(-) 26.18

⁵ अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत सकल आंकड़ों सहित।

⁶ ₹ 1,261.75 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम सहित।

राज्य के स्व कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 14वें वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 44.96 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 16.20 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 14वें वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 44.84 प्रतिशत अधिक थीं किंतु बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 26.18 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार राज्य सरकार बजट और म.अ.रा.नी.वि. में अनुमानित अपने स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के पास राजकोषीय उत्तरदायित्व विधियों के ढांचे के भीतर व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है और उसी समय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चालू राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर निर्देशित व्यय की लागत पर नहीं है। संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षकों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संरचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व व्यय में रखरखाव, मरम्मत, सुव्यवस्था तथा कार्यशील व्ययों पर प्रभारों, जो परिसंपत्तियों को चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, के साथ-साथ स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए अन्य सभी व्यय भी शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय में परियोजना के पहले निर्माण के सभी प्रभारों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव, जबकि सेवा के लिए नहीं खोला गया, के प्रभार और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धनों और सुधारों के प्रभार भी शामिल हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं।


गत पांच वर्षों (2015-20) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना तालिका 2.16 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना


(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	79,394	79,781	88,190	93,218	1,03,823
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	6,908	6,863	13,538	15,307	17,666
ऋण एवं अग्रिम	13,250	4,515	1,395	756	1,309
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./स.रा.घ.उ.	16.02	14.21	13.58	12.70	12.48
रा.व्य./स.रा.घ.उ.	11.95	12.18	11.28	10.51	10.20
पूं.व्य./स.रा.घ.उ.	1.39	1.22	2.08	2.08	2.12
ऋण एवं अग्रिम/स.रा.घ.उ.	2.67	0.80	0.21	0.10	0.16

पांच वर्षों (2015-20) की अवधि में कुल व्यय में 30.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय में 43.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 155.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान डिस्कॉम ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करना था। ₹ 11,677.50 करोड़ (2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष ₹ 3,892.50 करोड़) के ऋण का इक्विटी में परिवर्तित करना उदय योजना के त्रिपक्षीय समझौता जापन के विरुद्ध था और इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष पूंजीगत व्यय अधिक तथा राजस्व व्यय कम दर्शाया गया।



जैसा कि चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2015-16 में 74.61 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 85.74 प्रतिशत हो गया और 2019-20 में 81.72 प्रतिशत था, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2015-16 में 8.70 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 17.02 प्रतिशत हो गया। उदय योजना के अंतर्गत ऋणों के संवितरण के कारण 2015-16 में ऋणों एवं अग्रिमों का अंश 16.69 प्रतिशत था जो कि 2019-20 में 1.26 प्रतिशत था।



जैसा कि चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं का अंश, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल हैं, 2016-17 से बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रहा है और 2019-20 में 31.27 प्रतिशत था। सामाजिक सेवाओं का अंश भी 2019-20 में 35.60 प्रतिशत तक बढ़ा और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2015-16 में 29.72 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 31.87 प्रतिशत हो गया। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर संयुक्त व्यय, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, 2015-16 में 58.79 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 67.47 प्रतिशत हो गया। अन्य, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, में उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ऋणों के संवितरण के कारण 2015-16 के दौरान कुल व्यय का 17.06 प्रतिशत था जो 2019-20 के दौरान 1.26 प्रतिशत तक कम हो गया।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं करता है। तालिका 2.17 पांच वर्षों (2015-20) में राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.17: 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि


(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	79,394	79,781	88,190	93,218	1,03,823
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.60	15.48	7.10	5.32	9.97
कु.व्य. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	74.61	85.74	83.07	82.77	81.72
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	11.95	12.18	11.28	10.51	10.20
रा.प्रा. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	124.56	130.30	116.85	117.11	125.04
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	47,557	52,497	62,695	65,885	67,858
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.56	10.39	19.43	5.09	2.99
स.रा.घ.उ.	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.35	13.34	15.67	13.02	13.27
के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	1.54	1.16	0.45	0.41	0.75
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.24	1.49	0.37	1.05	3.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-20 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 25,612 करोड़ (43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। स.रा.घ.उ. में इसकी प्रतिशतता 2015-16 में 11.95 से घटकर 2019-20 में 10.20 हो गई। राजस्व व्यय 2018-19 में ₹ 77,155 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 84,848 करोड़ हो गया।

2019-20 में ₹ 84,848 करोड़ का राजस्व व्यय बजट और म.अ.रा.नी.वि. (₹ 94,242 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। राज्य राजस्व व्यय को 14वें वित्त आयोग के निर्धारित मानक (₹ 72,739 करोड़) के भीतर नहीं रख सका। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण चार्ट 2.10 में प्रस्तुत किया गया है।



2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

तालिका 2.18: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/कमी (-)
सामान्य सेवाएं	28,168.97	31,883.95	3,714.98
2015-चुनाव	45.21	133.93	88.72
2049-ब्याज भुगतान	13,551.46	15,588.01	2,036.55
2055-पुलिस	3,875.57	4,423.72	548.15
2075-विविध सामान्य सेवाएं	0.36	149.42	149.06
सामाजिक सेवाएं	29,743.19	33,726.48	3,983.29
2202-सामान्य शिक्षा	11,973.86	13,644.01	1,670.15
2203-तकनीकी शिक्षा	394.78	529.49	134.71
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3,473.93	4,249.85	775.92
2217-शहरी विकास	2,922.06	3,300.80	378.74
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	398.71	287.19	-111.52
2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	659.36	909.42	250.06
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6,787.53	7,618.95	831.42
आर्थिक सेवाएं	19,021.58	19,237.78	216.20
2401-फसल पालन	1,332.52	969.49	-363.03
2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	386.01	482.82	96.81
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	158.66	116.13	-42.53
2505-ग्रामीण रोजगार	201.78	110.13	-91.65
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,015.76	3,714.20	698.44
3054-सड़कें एवं पुल	729.81	1,086.52	356.71
सहायतानुदान एवं अंशदान	221.80	0.00	-221.80
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	221.80	0.00	-221.80

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 3,714.98 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण चुनावों, पुलिस सेवाओं, ब्याज भुगतानों और विविध सामान्य सेवाओं पर अधिक व्यय था। वर्ष के दौरान बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान में ₹ 1,625.28 करोड़ की वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 3,983.29 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर अधिक व्यय था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 216.20 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सड़कों एवं पुलों पर अधिक व्यय था। बजट में कोई प्रावधान न होने के कारण 2019-20 के दौरान सहायतानुदान एवं अंशदान पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशनों पर व्यय शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन है। 2015-20 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को **तालिका 2.19** एवं **चार्ट 2.11** में प्रस्तुत किया गया है।


तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरियां	15,294	17,321	18,632	19,763	22,365 ⁷
पेंशन पर व्यय	5,413	5,659	8,783	8,140	8,833
ब्याज भुगतान	8,284	10,542	11,961	13,551	15,588
कुल	28,991	33,522	39,376	41,454	46,786
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरियां	32.16	32.99	29.72	30.00	32.96
पेंशन पर व्यय	11.38	10.78	14.01	12.35	13.02
ब्याज भुगतान	17.42	20.08	19.08	20.57	22.97
कुल	60.96	63.85	62.81	62.92	68.95
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरियां	25.82	25.32	25.43	25.62	26.36
पेंशन पर व्यय	9.14	8.28	11.99	10.55	10.41
ब्याज भुगतान	13.98	15.41	16.33	17.56	18.37
कुल	48.94	49.01	53.75	53.73	55.14

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁷ ₹ 644 करोड़ की मजदूरी सहित



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया कुल व्यय (₹ 46,142 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 47,534 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,392 करोड़ (2.93 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 68 प्रतिशत उपभोग हुआ था।

2015-16 से 2019-20 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज तथा पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण राजस्व व्यय 49 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताएं

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' नामक नई पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है और पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ने.सि.डि.लि.) के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है। वर्षों से कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि और उसके अनुकूल सरकार के अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कोई भी अंशदान खाता शीर्ष '8342-117' अन्य जमा - परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अस्थाई उपाय के रूप में भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 32.89 करोड़ की राशि उपर्युक्त प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक रखी गई थी जैसाकि **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: नई पेंशन योजना अंशदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर्मचारी अंशदान	राज्य सरकार द्वारा अंशदान	कुल	कम अंशदान	ने.सि.डि.लि. को कुल अंतरण	ने.सि.डि.लि. को कम अंतरण
1	2	3	4=(2+3)	5=(2-3)	6	7=(4-6)
31 मार्च 2015 को राज्य सरकार के पास पड़े पेंशन निधियों के शेष						8.11
2015-16	328.94	278.83	607.77	50.11	596.45	11.32
2016-17	382.15	378.04	760.19	4.11	729.70	30.49
2017-18	479.94	460.44	940.38	19.50	975.76	(-) 35.38
2018-19	565.88	534.30	1,100.18	31.58	1,086.16	14.02
2019-20	717.91	694.20	1,412.11	23.71	1,407.78	4.33
कुल	2,474.82	2,345.81	4,820.63	129.01	4,795.85	32.89

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹ 2,474.82 करोड़ के कर्मचारियों के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने ₹ 2,345.81 करोड़ अर्थात् ₹ 129.01 करोड़ का कम अंशदान दिया। 2015-20 के दौरान ₹ 4,820.63 करोड़ की कुल राशि में से राज्य सरकार ने ने.सि.डि.लि. को ₹ 4,795.85 करोड़ अर्थात् ₹ 24.78 करोड़ कम हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के पास ₹ 32.89 करोड़ की शेष राशि पड़ी थी। ने.सि.डि.लि. को सरकार के हिस्से के साथ अंशदान का हस्तांतरण न होने के कारण राज्य सरकार की देयता बढ़ गई।

राज्य सरकार को कारणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कर्मचारियों का अंशदान और उसके समान सरकारी अंशदान पूरी तरह से समय पर ने.सि.डि.लि. को हस्तांतरित कर दिया जाए।

2.4.2.4 सब्सिडीज

सब्सिडीज पर व्यय 2015-16 में ₹ 6,899 करोड़ से 2019-20 में 1,206 करोड़ (17.48 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 8,105 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 11.94 प्रतिशत था जैसा कि तालिका 2.21 में दिया गया है। विद्युत: ₹ 7,012 करोड़ (86.51 प्रतिशत), कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों: ₹ 934 करोड़ (11.54 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग: ₹ 100 करोड़ (1.23 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाएं: ₹ 59 करोड़ (0.72 प्रतिशत) पर सब्सिडीज वितरित की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल सब्सिडीज (₹ 6,978 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,878 करोड़) के प्रक्षेपण से अधिक थी।

तालिका 2.21: 2015-20 के दौरान सब्सिडीज पर व्यय

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडीज (₹ करोड़ में)	6,899	7,654	8,446	8,549	8,105
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज	14.51	14.58	13.47	12.98	11.94
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज	11.65	11.19	11.53	11.08	9.55

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)


संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएं	1,045.99	1,585.77	2,466.82	2,092.31	2,279.46
पंचायती राज संस्थाएं	1,261.94	2,263.80	2,283.43	2,547.17	3,098.12
कुल (क)	2,307.93	3,849.57	4,750.25	4,639.48	5,377.58
(ख) अन्य					
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	1,984.67	2,130.56	2,102.96	2,093.14	2,496.64
विकास प्राधिकरण	878.09	757.94	868.04	865.54	812.88
चिकित्सालय एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	1,010.97	1,117.68	1,101.14	1,350.08	1,745.08
अन्य संस्थान	4,584.31	4,791.39	1,021.92	1,129.59	905.17
कुल (ख)	8,458.04	8,797.57	5,094.06	5,438.35	5,959.77
कुल (क+ख)	10,765.97	12,647.14	9,844.31	10,077.83	11,337.35
राजस्व व्यय	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	18.17	18.49	13.44	13.06	13.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.22 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2015-16 में ₹ 10,765.97 करोड़ से 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय का 13.36 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 11,337.35 करोड़ हो गई। इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,259.52 करोड़ (12.50 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पंचायती राज संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को अधिक संवितरण था।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से स्थायी मूलभूत संरचना परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कों, भवनों आदि के सृजन पर किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय और कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय का विवरण चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय में मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करके डिस्कॉमज की इक्विटी में निवेश, खाद्यान्न की खरीद, सिंचाई एवं सड़कें शामिल हैं तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से जल आपूर्ति और शहरी विकास पर था गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्न की खरीद पर पूंजीगत व्यय में प्रमुख वृद्धि *तालिका 2.23* में दी गई है।

तालिका 2.23: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय में बदलाव

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/कमी (-)
पूंजीगत व्यय	15,306.60	17,665.93	2,359.33
सामान्य सेवाएं	714.56	586.16	(-) 128.40
सामाजिक सेवाएं	3,804.65	3,233.56	(-) 571.09
आर्थिक सेवाएं	10,787.39	13,846.21	3,058.82
खाद्य, भंडार एवं भंडारण*	1,669.51	4,402.31	2,732.80
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,274.38	1,400.82	126.44
ऊर्जा	5,500.25	5,829.63	329.38
सड़कें एवं पुल	1,603.77	1,800.07	196.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख

* भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्न और दालों की खरीद की गतिविधियों के लिए इस प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा एफ.सी.आई. से वसूलनीय है।

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

(i) निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2020 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 36,922.92 करोड़ निवेशित थे (*तालिका 2.24*)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.136 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2015-20 के दौरान अपने उधारों पर 8.37 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

तालिका 2.24: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	9,372.44	11,371.42	17,374.35	30,747.91	36,922.92
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	15.89	5.89	7.53	56.60	87.01
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.17	0.05	0.04	0.18	0.24
सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.64	8.00	8.10	8.81	8.31
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	8.47	7.95	8.06	8.63	8.07
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंत (₹ करोड़ में)	793.85	904.03	1,400.37	2,653.54	2,979.68

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (विवरण संख्या 19)

₹ 36,922.92 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 35,452.96 करोड़ (96 प्रतिशत) का निवेश चार विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में किया गया था। राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है।

(ii) कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों में निवेशों की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य का क्षरण हो रहा है, में पूंजीगत व्यय टिकाऊ नहीं है। राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान ₹ 6,175 करोड़ का निवेश किया जिसमें उदय के अंतर्गत ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को डिस्कॉमज की इक्विटी में परिवर्तित करना शामिल है जैसा कि तालिका 2.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: घाटे में चल रही कंपनियों में किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सरकारी कंपनियां	निवेश	2019-20	निवेश	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(2018-19 तक)	के दौरान निवेश	(2019-20 तक)		
(₹ करोड़ में)						
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	44.72	2.50	47.22	13.61	2015-16
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	10.89	0.00	10.89	354.28	2016-17
3.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,889.09	51.75	2,940.84	48.53	2017-18
4.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	12,134.99	2,965.35	15,100.34	15,396.40	2019-20
5.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड	10,741.51	2,545.53	13,287.04	13,581.49	2019-20
6.	हरियाणा वित्तीय निगम	202.01	0.00	202.01	113.51	2017-18
7.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	0.00	0.24	5.17	2018-19
8.	हरियाणा पुलिस आवास निगम	25.00	0.00	25.00	1.07	2015-16
9.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.54	0.00	2.54	121.85	2015-16
10.	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड	5.00	0.00	5.00	1.50	2014-15
11.	हरियाणा महिला विकास निगम	15.51	0.00	15.51	1.65	2016-17
कुल		26,071.50	5,565.13	31,636.63	29,639.06	

स्रोत: वित्त लेखा और कंपनियों के वार्षिक लेखे

ग्यारह सरकारी कंपनियों जिनमें कुल ₹ 31,636.63 करोड़ निवेशित थे, घाटे में चल रही थी और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 29,639.06 करोड़ थीं। घाटे में चलने वाली 11 सरकारी कंपनियों में से तीन विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनियों में ₹ 29,026.42 करोड़ की हानि सरकारी कंपनियों की कुल हानियों का 98 प्रतिशत थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल ₹ 6,175 करोड़ के निवेश में से राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान घाटे में चल रही चार कंपनियों में ₹ 5,565.13 करोड़ का निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा भारी नुकसान उठा रहे राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए तथा उनके पुनरुद्धार या बंद करने, जैसा भी उचित हो, के लिए रणनीतिक योजना बनानी चाहिए।

(iii) निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य से तात्पर्य प्रदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षित एवं संचित घाटा और आस्थगित राजस्व व्यय से घटाए गए आधिक्य की कुल राशि से है। अनिवार्य रूप से, यह एक उपाय है कि मालिकों के लिए एक इकाई का मूल्य क्या है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि संचित घाटे के कारण मालिकों के पूरे निवेश का क्षरण हो चुका है। 31 मार्च 2020 तक घाटा उठाने वाली 11 कंपनियों का कुल संचित घाटा, ₹ 31,636.63 करोड़ के पूंजीगत निवेश के विरुद्ध ₹ 29,639.06 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप निवेशों में ₹ 1,997.57 करोड़ के निवल मूल्य का क्षरण हुआ। इसमें से, घाटा उठाने वाले तीन डिस्कॉम में ₹ 31,328.22 करोड़ के पूंजीगत निवेश के विरुद्ध कुल संचित घाटा ₹ 29,026.42 करोड़ था, इस प्रकार ₹ 2,301.80 करोड़ के निवल मूल्य का क्षरण हुआ।

(iv) कंपनियों के लेखों के साथ सरकारी निवेशों का मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। सा.क्षे.उ. के लेखों और वित्त लेखों में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। दोनों लेखों की संवीक्षा से पता चला कि वित्त लेखों के अनुसार, 22 सा.क्षे.उ. की इक्विटी में सरकारी निवेश ₹ 27,813.18 करोड़ था जबकि सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार यह ₹ 36,070.27 करोड़ था। **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित अनुसार ₹ 8,257.09 करोड़ का अंतर था। अंतरों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाना चाहिए।

(v) उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमज) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) आरंभ (नवंबर 2015) की थी। यह डिस्कॉमज को सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने के लिए वित्तीय और परिचालन रूप से सक्षम बनाने हेतु एक पुनरुद्धार पैकेज था। विद्युत मंत्रालय (वि.मं.), हरियाणा सरकार (ह.स.) तथा राज्य के डिस्कॉमज (अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता जापन (स.जा.) पर हस्ताक्षर (मार्च 2016) किए गए। उदय योजना तथा त्रिपक्षीय समझौता जापन के प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा में 30 सितंबर 2015 तक दो डिस्कॉमज से संबंधित ₹ 34,600 करोड़ के कुल ऋण में से, हरियाणा सरकार द्वारा कुल ऋण का 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 25,950 करोड़ का अधिग्रहण किया जाना था। **तालिका 2.26** में दर्शाए अनुसार उदय योजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी।

तालिका 2.26: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिगृहीत किया जाने वाला कुल कर्ज	अनुदान के रूप में डिस्कॉमज को हस्तांतरण	ऋण के रूप में डिस्कॉमज को हस्तांतरण	इक्विटी के रूप में डिस्कॉमज को हस्तांतरण
2015-16	17,300	3,892.50	12,110	1,297.50
2016-17	8,650	3,892.50	3,460	1,297.50
कुल (क)	25,950	7,785.00	15,570	2,595.00
₹ 34,600 करोड़ के कुल कर्ज की प्रतिशतता	75 प्रतिशत	22.50 प्रतिशत	45 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत

समझौता जापन के अनुसार, सरकार ने 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान डिस्कॉमज को ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान (₹ 3,892.50 करोड़ प्रत्येक वर्ष), ₹ 2,595 करोड़ की इक्विटी (₹ 1,297.50 करोड़ प्रत्येक वर्ष) तथा शेष ₹ 15,570 करोड़ को ऋण के रूप में प्रदान किया। 2017-18 से 2019-20 के दौरान ₹ 15,570 करोड़ के ऋणों को ₹ 11,677.50 करोड़ (75 प्रतिशत) के अनुदान और ₹ 3,892.50 करोड़ (25 प्रतिशत) की इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने अधिगृहीत कुल ऋणों को **तालिका 2.27** में दर्शाए अनुसार इक्विटी में परिवर्तित कर दिया।

तालिका 2.27: हरियाणा राज्य में उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल	अनुदान	ऋण	इक्विटी
2015-16	17,300.00	3,892.50	12,110.00	1,297.50
2016-17	8,650.00	3,892.50	3,460.00	1,297.50
कुल	25,950.00	7,785.00	15,570.00	2,595.00
2017-18	-		(-) 5,190.00	5,190.00
2018-19	-	(-) 7,785.00	(-) 5,190.00	12,975.00
2019-20	-		(-) 5,190.00	5,190.00
कुल (31 मार्च 2020 तक)				25,950.00

योजना के कार्यान्वयन के बाद दो डिस्कॉमज के वित्तीय परिणाम **तालिका 2.28** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.28: 2015-20 के दौरान डिस्कॉम के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम का नाम	उदय के कार्यान्वयन के बाद लाभ (+)/हानि (-)				
	लाभ (+)/हानि (-)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	(-) 336.37	(-) 205.01	278.24	185.71	217.72
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	(-) 471.58	11.96	134.12	95.23	113.67
कुल	(-) 807.95	(-) 193.05	412.36	280.94	331.39

स्रोत: डिस्कॉमज के वार्षिक लेखे

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने समझौता जापन के प्रावधानों और योजना अधिसूचना का पालन नहीं किया। 2017-18 से 2018-20 की अवधि के दौरान, ₹ 15,570 करोड़ के ऋण को अनुदान (₹ 11,677.50 करोड़) और इक्विटी (₹ 3,892.50 करोड़) के बजाय पूरी तरह से इक्विटी के रूप में परिवर्तित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पुनःविनियोजन आदेश के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 2018-19 के दौरान ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान को इक्विटी में परिवर्तित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और डिस्कॉम के लेखों के मध्य

निवेशित राशि में ₹ 7,785 करोड़ की राशि का अंतर था। यह तर्क दिया गया है कि जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश:

- (i) पंजाब बजट नियमावली पैरा 15.2, उप-पैरा (ख) के प्रावधानों के विपरीत है, जिसमें बताया गया है कि "उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित निधियों से कोई पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए।"
- (ii) व्यय को सहायता अनुदान से इक्विटी में बदलने से राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय में वर्गीकरण में परिवर्तन हुआ।

इस प्रकार, ₹ 11,677.50 करोड़ (2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष ₹ 3,892.50 करोड़) के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना उदय योजना के त्रिपक्षीय समझौता जापन के विरुद्ध था और इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राजस्व व्यय को कम तथा पूंजीगत व्यय को अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा को भी कम बताया गया।

(vi) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

मूलभूत संरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से सामाजिक और भौतिक, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (सा.नि.भा.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2020 तक, ₹ 7,848.56 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली कुल 13 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थीं जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

(vii) राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए गए थे। **तालिका 2.29** 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.29: पांच वर्षों के दौरान ऋणों की संवितरित एवं वसूल की गई मात्रा

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋणों का आरंभिक शेष	4,572	17,494	21,036	16,090	11,474
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	13,250	4,515	1,395	756	1,309
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	328	973	6,341	5,372	5,393
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	17,494	21,036	16,090	11,474	7,390
निवल जोड़	12,922	3,542	(-) 4,946	(-) 4,616	(-) 4,084
प्राप्त ब्याज	47	1,213	1,163	720	398
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	0.43	6.30	6.27	5.22	4.22
सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.92	7.89	7.71	7.78	7.80
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	7.49	1.59	1.44	2.56	3.58

वर्ष के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के डिस्कॉम ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों में 35.59 प्रतिशत की गिरावट आई। सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में ₹ 2,647.86 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इसके अतिरिक्त, इन चीनी मिलों को कुल ₹ 770.82 करोड़ के ऋण दिए गए थे। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 420.63⁸ करोड़ के तीन नए ऋण दिए गए थे। राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान ₹ 398 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 4.22 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त किया।

(viii) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभ से वंचित करता है। आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियां ऋण एवं ब्याज देयताओं की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

31 मार्च 2020 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 2.30** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च 2020 तक समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 2.30: 31 मार्च 2020 को अधूरी परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
सिंचाई एवं जल संसाधन	3	29.64	19.00
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	23	417.60	202.57
कुल	26	447.24	221.57

स्रोत: वित्त लेखे

विभागों की 26 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि दिसंबर 2017 और मार्च 2020 के मध्य थीं, परन्तु ये परियोजनाएं 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण थीं, परिणामस्वरूप ₹ 221.57 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण न केवल व्यय की गुणवत्ता प्रभावित हुई बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित कर दिया।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत

⁸ विद्युत् परियोजनाओं के लिए ऋण - प्रसारण एवं वितरण: ₹ 160.63 करोड़, गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए निजी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता: ₹ 160 करोड़ तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण बैंक को ऋण: ₹ 100 करोड़।

कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता को भी उतना ही बेहतर माना जाएगा। 2019-20 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण **तालिका 2.31** में किया गया है।


तालिका 2.31: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ स.उ.घ.रा.	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2015-16	16.02	8.70	12.74	3.18
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	16.97	14.81	15.68	4.79
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2019-20	12.48	17.02	14.32	4.80
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2019-20	15.15	12.97	15.91	5.21
कु.व्य: कुल व्यय: पूं.व्य: पूंजीगत व्यय स.रा.घ.उ. का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा				

हरियाणा में स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2019-20 में सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में कम है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात हरियाणा में 2015-16 के साथ-साथ 2019-20 के दौरान भी सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत से कम था। मुख्य रूप से डिस्कॉमज ऋणों को इक्विटी में बदलने के कारण 2019-20 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात अधिक था।

2.4.5 प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय

प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय, व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी **चार्ट 2.13** में दर्शाई गई है।



नोट: वी.एल.सी. डाटा से प्राप्त प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय में सभी प्रमुख शीर्षों में वेतन, ब्याज और पेंशन पर प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय होता है जो इन मदों पर प्रतिबद्ध व्यय से भिन्न होता है (जैसा कि पैरा 2.4.2.2 में दिखाई देता है)।

2.5 लोक लेखा

कुछ प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उंचंत, प्रेषण इत्यादि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष


लोक लेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत घटक-वार निवल शेष *तालिका 2.32* और *चार्ट 2.14* में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: 31 मार्च 2020 को लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आई. लघु बचतें, भविष्य निधि	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	12,206.32	13,321.20	14,547.52	15,715.23	16,962.46
जे. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	769.77	2,045.23	2,593.33	3,086.92	4,962.35
	(ख) गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,392.94	2,662.21	2,933.75	3,228.68	3,532.00
	कुल	3,162.71	4,707.44	5,527.08	6,315.60	8,494.35
के. जमा और अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा	363.77	397.00	379.13	403.41	421.76
	(ख) गैर-ब्याज वाली जमा	6,051.83	6,016.48	6,687.90	8,001.14	7,500.04
	(ग) अग्रिम	(-) 0.72	(-) 0.72	(-) 0.72	(-) 0.74	(-) 0.74
	कुल	6,414.88	6,412.76	7,066.31	8,403.81	7,921.06
एल. उंचंत तथा विविध	उंचंत तथा विविध	(-) 175.97	(-) 59.15	(-) 10.80	(-) 57.23	(-) 70.49
एम. प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण	137.28	199.55	180.34	343.72	306.84
	(ख) अंतर-राजकीय समायोजन लेखा	(-) 13.08	(-) 17.69	(-) 23.57	(-) 16.24	(-) 33.10
	कुल	124.20	181.86	156.77	327.48	273.74
कुल योग		21,732.14	24,564.11	27,286.88	30,704.89	33,581.12


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 1,247 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 2,179 करोड़) में वृद्धि को जमा (₹ 482.75 करोड़), प्रेषण (₹ 53.74 करोड़) में कमी द्वारा संतुलित करते हुए निवल लोक लेखा शेषों में गत वर्ष की तुलना में 2019-20 में 9.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार निवल लोक लेखा शेष की पड़ोसी राज्यों से तुलना चार्ट 2.15 में दी गई है। तुलना से पता चलता है कि हरियाणा के लोक लेखा शेष ₹ 33,581 करोड़ के विरुद्ध पंजाब में ₹ 33,745 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश में ₹ 19,933 करोड़ की शेष राशि थी।



2.5.2 आरक्षित निधियां

वित्त लेखों की विवरणी 21 और 22 में आरक्षित निधियों का विवरण उपलब्ध है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दस आरक्षित निधियां (पांच ब्याज वाली आरक्षित निधियां और पांच गैर-ब्याज

वाली आरक्षित निधियां) रखी गई थीं। ब्याज वाली आरक्षित निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, यदि इसे निवेश न किया जाए, सरकार द्वारा किया जाता है जबकि गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों के संबंध में शेष राशि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में किया जाता है। 31 मार्च 2020 को विभिन्न आरक्षित निधियों (ब्याज वाली और गैर-ब्याज वाली) में पड़े निधि शेष **तालिका 2.33** में दिए गए हैं।

तालिका 2.33: आरक्षित निधि के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2020 को शेष
क	ब्याज वाली आरक्षित निधियां	4,962.36
1	मूल्यहास आरक्षित निधि-मोटर परिवहन	490.94
2	मूल्यहास आरक्षित निधि-सरकारी प्रैस	12.28
3	आरक्षित निधि-मोटर परिवहन दुर्घटना आरक्षित निधि	3.77
4	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	3,172.72
5	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	1,282.65
ख	गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,532.00
1	ऋणशोधन निधि	2,084.06
2	खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि	220.43
3	विकास योजनाओं के लिए निधि	1.41
4	हरिजन उत्थान हेतु ग्राम पुनर्निर्माण के लिए निधि	2.29
5	गारंटी मोचन निधि	1,223.81
	कुल योग	8,494.36

उपर्युक्त में से, गैर-ब्याज वाली दो आरक्षित निधियां, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि पिछले पांच वर्षों से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करना है और राज्य की समेकित निधि में उनके शेष को हस्तांतरित करना है।

2.5.2.1 समेकित ऋणशोधन निधि

हरियाणा राज्य सरकार ने बाजार ऋणों के मोचन के लिए 2002 में समेकित ऋणशोधन निधि (स.ऋ.नि.) का गठन किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को गत वर्ष के बाजार ऋण के अंतिम शेष का एक से तीन प्रतिशत निधि में अंशदान करना था।

राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान कोई अंशदान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,149.90 करोड़ का कम अंशदान हुआ (31 मार्च 2019 तक ₹ 1,14,989.59 करोड़ के बकाया बाजार ऋण का एक प्रतिशत)।

1 अप्रैल 2019 तक निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,926.17 करोड़ थी। वर्ष के दौरान निधि निवेशित रही और ₹ 157.89 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। कोई संवितरण नहीं किया गया था और निधि को ₹ 2,084.06 करोड़ पर बंद कर दिया गया था, जिसमें से ₹ 2,081.93 करोड़ का निवेश किया गया था।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में बदल दिया। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करना अपेक्षित है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर 2010 और 30 जुलाई 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निधि के प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति (रा.का.स.) की सिफारिशों के अनुसार निधि शेषों का निवेश करना अपेक्षित है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 2,616.12 करोड़ का आरंभिक शेष था। 2019-20 के दौरान, केंद्र सरकार ने ₹ 227.10 करोड़ (2018-19 के दौरान अधिक जारी ₹ 53.40 करोड़ की कटौती के बाद 2019-20 के लिए केंद्रीय अंश की पहली और दूसरी किश्त) जारी किया। भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 227.10 करोड़ की तुलना में राज्य का अंश ₹ 146.90 करोड़ (गत वर्ष के अंश सहित) था। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 599.16 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी राशि, राज्य का अंश, ₹ 25.16 करोड़ का अव्ययित शेष और ₹ 200 करोड़ का ब्याज शामिल है। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 42.56 करोड़ का व्यय किया गया था। 31 मार्च 2020 को निधि में ₹ 3,172.72 करोड़ का शेष था।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 18 के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से बाहर के निवेश रा.का.स. के निर्णय के अनुसार किए जाने थे। हालांकि, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में राज्य सरकार द्वारा कोई राशि निवेशित नहीं की गई थी।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। **तालिका 2.34** में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 42.56 करोड़ का व्यय प्रभारित किया गया था।

तालिका 2.34: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

प्रमुख लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	2019-20 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02-खाद्य पदार्थ, चक्रवात आदि	101-निःशुल्क राहत	37.94
	111-पीड़ित परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान	0.14
	113-सदनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता	0.07
	117-पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता	0.01
	282-जन स्वास्थ्य	8.36
	800-अन्य	0.04
	उप-कुल	46.56
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 80-सामान्य	800-अन्य व्यय	22.46
	उप-कुल	22.46
	कुल योग	69.02
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901-कटौती-राज्य आपदा से मिली राशि	42.56
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय (राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय)		37.94

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए 2003 में गारंटी मोचन निधि (गा.मो.नि.) का गठन किया। निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को निधि में सरकार द्वारा एकत्रित गारंटी फीस और सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक या यथा आवश्यक अंशदान को हस्तांतरित करना अपेक्षित है। इस निधि का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2019 को सरकार की बकाया गारंटियां ₹ 18,219.87 करोड़ थीं। 2013 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में वर्ष के आरंभ में बकाया राशि के न्यूनतम एक प्रतिशत अंशदान और उसके बाद गत वर्ष की बकाया गारंटी के न्यूनतम तीन से पांच प्रतिशत के कोष को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.5 प्रतिशत को इंगित किया गया है।

निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,223.81 करोड़ (जो ₹ 18,219.87 करोड़ की बकाया गारंटी का 6.72 प्रतिशत है) थी जो निवेशित थी।

2.5.2.4 खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि

इस निधि की स्थापना (जुलाई 2015) राज्य में खनन क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों के लिए की गई थी। यद्यपि निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान की गई 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के 10 प्रतिशत के बराबर राशि को पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभारों' के तौर पर खनिज रियायत धारकों से प्रभारित किया जाना और निधि में जमा किया जाना है। इसके साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि को निधि में सरकारी अंशदान के रूप में जमा/हस्तांतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2019 को निधि में ₹ 170.52 करोड़ का शेष था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने डेड रेंट आदि के रूप में ₹ 582.33 करोड़ की राशि और रियायत धारकों से 'अन्य प्रभारों' के रूप में ₹ 46.84 करोड़ की राशि प्राप्त की। ₹ 87.35 करोड़ की राशि (रियायत धारकों का अंशदान: ₹ 58.23 करोड़ अर्थात् डेड रेंट का 10 प्रतिशत जमा राज्य का अंश: ₹ 29.12 करोड़ अर्थात् ₹ 582.33 करोड़ के डेड रेंट का पांच प्रतिशत) का अंशदान निधि में किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 85.50 करोड़ (राज्य का अंशदान: ₹ 32.92 करोड़ और रियायत धारकों का अंशदान: ₹ 52.58 करोड़) की राशि का अंशदान दिया। इस प्रकार ₹ 1.85 करोड़ का कम अंशदान था। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि में शेष राशि पर ब्याज की अनुमति नहीं दी है, जिससे ₹ 10.23 करोड़ की सीमा (₹ 170.52 करोड़ का छः प्रतिशत) तक ब्याज के कारण निधि में कम अंशदान हुआ। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 35.59 करोड़ का व्यय

वहन किया गया था, जिससे 31 मार्च 2020 को निधि में ₹ 220.43 करोड़ का शेष रह गया।


2.5.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 5-1/2009-एफ.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2009 द्वारा जारी अनुदेशों तथा 2 जुलाई 2009 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए, जो प्राप्त राशि का प्रबंधन करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, आधारभूत संरचना का विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य संबंधित गतिविधियों और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए एकत्र राशि का उपयोग करेगा। प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करेगा। यह ब्याज वाली आरक्षित निधि है, जिसका निवेश किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 1,282.65 करोड़ प्राप्त किए, जो कि राज्य के प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण निधि का अंश है, जिसे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से निधि में प्राप्त किया गया। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान कोई ब्याज नहीं दिया। निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, अपेक्षित धनराशि जुटाने, इसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, तथा सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से नियत या किन्हीं अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। हरियाणा में 2015-20 के दौरान बकाया ऋण का विवरण चार्ट 2.16 में दिया गया है।



2.6.1 ऋण प्रोफाइल: घटक


राज्य सरकार के कुल ऋणों में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताएं होती हैं। 2019-20 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **चार्ट 2.17** में प्रस्तुत किया गया है। 2015-16 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियों को **तालिका 2.35** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.35: घटक वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)


राजकोषीय देयता के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
समग्र बकाया ऋण	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216	2,15,562	
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	99,660	1,22,617	1,37,813	1,54,968	1,83,786
	भारत सरकार से ऋण	2,049	1,986	1,941	1,867	1,705
लोक लेखा देयताएं	19,009	21,768	24,322	27,381	30,071	
बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	36.49	21.25	12.10	12.27	17.02	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610	
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	24.36	26.06	25.26	25.09	25.92	
लोक ऋण प्राप्तियां	37,998	28,170	21,490	34,265	44,432	
लोक ऋण पुनर्भुगतान	7,215	5,276	6,339	17,184	15,776	
उपलब्ध लोक ऋण	30,783	22,894	15,151	17,081	28,656	
लोक-ऋण पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	18.99	18.73	29.50	50.15	35.51	
निवल लोक लेखा प्राप्तियां	1,489	2,759	2,554	3,059	2,690	
उपलब्ध कुल ऋण	32,272	25,653	17,705	20,140	31,346	

चार्ट 2.17: 31 मार्च 2020 के अंत में समग्र बकाया ऋण का विघटन



राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2015-16 में ₹ 1,20,718 करोड़ से 78.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2019-20 में ₹ 2,15,562 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण आंतरिक ऋणों (₹ 84,126 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 11,062 करोड़) में बढ़ोतरी थी। गत वर्ष के 12.27 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में समग्र राजकोषीय देयताओं में 17.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2015-16 में 24.36 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 25.92 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 3.18 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.29 गुणा थीं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 2,15,562 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2019-20 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपित ₹ 1,79,412 करोड़ की सीमा से अधिक थीं।

स.रा.घ.उ. के अनुपात में राजकोषीय देयताएं 25.92 प्रतिशत थी जो 14वें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण 21.33 प्रतिशत से अधिक थी।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2015-16 में ₹ 99,660 करोड़ से ₹ 84,126 करोड़ (84.41 प्रतिशत) बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,83,786 करोड़ हो गया। चार्ट 2.18 में लिए गए की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतरिक ऋणों की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। 2019-20 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 13,874 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार उधारी का है, जिसमें ब्याज दर 6.86 से 9.89 प्रतिशत के बीच है। 2019-20 में, ₹ 44,329 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 24,677 करोड़ का बाजार ऋण था। ₹ 15,512 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान में से, बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान ₹ 4,000 करोड़ था। 31 मार्च 2020 को बकाया बाजार उधारी ₹ 1,35,666 करोड़ थी। वर्ष के दौरान बाजार उधार की निवल वृद्धि 17.98 प्रतिशत (₹ 20,677 करोड़) थी।


राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संरचनागत बदलाव चार्ट 2.19 और तालिका 2.36 में दर्शाया गया है। 2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 2.37 में दिए गए हैं।

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटे की संरचना	(-) 31,479	(-) 26,285	(-) 19,114	(-) 21,912	(-)30,519
1 राजस्व घाटा	(-) 11,679	(-) 15,906	(-) 10,562	(-) 11,270	(-)16,990
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 6,878	(-) 6,837	(-) 13,498	(-) 15,258	(-)17,612
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 12,922	(-) 3,542	4,946	4,616	4,083
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 बाजार उधार	13,168.29	15,358.98	15,839.49	17,970.00	20,676.85
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 78.91	(-) 63.06	(-) 44.59	(-) 74.33	(-) 161.49
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	1,012.11	(-) 947.05	(-) 954.14	(-) 980.58	(-) 1,004.39
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	16,682.26	8,544.81	310.15	165.99	9,145.34
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,048.64	1,114.88	1,226.32	1,167.71	1,247.23
6 आरक्षित निधि	70.72	1,646.31	673.72	553.47	1,925.34
7 जमा एवं अग्रिम	369.27	(-) 2.12	653.55	1,337.50	(-) 482.75
8 उचंत एवं विविध	(-) 1,583.19	1,734.84	518.78	1,296.28	(-) 1,623.60
9 प्रेषण	(-) 19.15	57.66	(-) 25.09	170.72	(-) 53.74
10 समग्र घाटा	30,670.04	27,445.25	18,198.19	21,606.76	29,668.79
11 रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	(+) 809.47	-1,160.13	916.30	304.99	849.83
12 सकल राजकोषीय घाटा	31,479.51	26,285.12	19,114.49	21,911.75	30,518.62

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



तालिका 2.37: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार उधार	24,676.85	4,000.00	20,676.85
2 भारत सरकार से ऋण	102.39	263.88	(-) 161.49
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0.00	1,004.39	(-) 1,004.39
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	18,390.83	9,245.49	9,145.34
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,670.12	2,422.89	1,247.23
6 जमा एवं अग्रिम	29,111.19	29,593.94	(-) 482.75
7 आरक्षित निधियां	2,317.15	391.81	1,925.34
8 उचंत और विविध	82,254.13	83,877.73	(-) 1,623.60
9 प्रेषण	8,919.27	8,973.01	(-) 53.74
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	1,69,441.93	1,39,773.14	29,668.79
11 रोकड़ शेष में वृद्धि(+)/कमी(-)	क्रेडिट 794.56	क्रेडिट 1,644.39	849.83
12 सकल राजकोषीय घाटा	1,68,647.37	1,38,128.75	30,518.62


जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2015-20 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण आदि शामिल हैं, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

2.6.2 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

लोक ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल सरकार की ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सर्विसिंग की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.38: लोक ऋण परिपक्वता प्रोफाइल


पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के संबंध में)
0 - 1	12,134.95	7
1 - 3	29,668.65	16
3 - 5	38,851.39	21
5 - 7	39,126.56	21
7 एवं अधिक	65,825.07	35
कुल	1,85,606.62 ⁹	100



⁹ लोक ऋण के अंतर्गत परिपक्वता प्रोफाइल और शेष राशि के मध्य ₹ 115.57 करोड़ के अंतर का समाधान किया जा रहा है।

मार्च 2020 तक कुल बकाया लोक ऋण ₹ 1,85,606.62 करोड़ था। 31 मार्च 2020 को लोक ऋण की बकाया राशियों का परिपक्वता प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कुल बकाया ऋण का 65 प्रतिशत (₹ 1,19,781.55 करोड़) सात वर्ष तक की अवधि में परिपक्व होने वाला है और शेष ₹ 65,825.07 करोड़ (35 प्रतिशत) सातवें वर्ष के बाद की अवधि में परिपक्व होगा जैसा कि **तालिका 2.38** और **चार्ट 2.20** में दर्शाया गया है।

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची **चार्ट 2.21** में दी गई है।



टिप्पणी: 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।

राज्य को बाजार ऋणों के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2022-23 तक ₹ 20,137 करोड़ का पुनर्भुगतान और ₹ 30,598 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों, 2024-25 तक, ₹ 23,546 करोड़ का मूलधन और ₹ 16,634 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों, 2024-25 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 18,183 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

2025-26 से 2029-30 की अवधि में ₹ 68,560 करोड़ के ऋण और ₹ 22,002 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को 2025-26 से 2029-30 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 18,112 करोड़ का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान करना होगा।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य की क्षमता का आकलन करते हैं। यह खंड बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति; राज्य के लिए निवल ऋण की उपलब्धता की गणना से सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है।

तालिका 2.39 में 2015-16 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इन संकेतकों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 2.39: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)


ऋण स्थिरता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण*	1,01,709	1,24,603	1,39,754	1,56,835	1,85,491
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	43.40	22.51	12.16	12.22	18.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	13.35	13.34	15.67	13.02	13.27
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.53	22.19	21.51	21.36	22.31
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल - डिफाल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	3,189.78	2,382.11	2,561.93	5,054.18	5,840.63
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.61	8.17	8.08	8.16	8.17
राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	13.81	17.62	17.04	18.37	20.60
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	18.99	18.73	29.50	50.15	35.50
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण#	24,217.92	13,646.26	4,469.12	4,981.11	14,677.34
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	63.73	48.44	20.80	14.54	33.03
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	(-) 18,404.51	(-) 9,089.20	3,426.38	(-) 1,758.25	(-) 5,729.65

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- * बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है।
- # राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

ऋण स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते कि प्रारंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मध्यम ऋणात्मक हो। इस प्रकार, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा।

हरियाणा में, प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के ऋणात्मक आंकड़े के कारण ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2015-16 में 20.53 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 22.31 प्रतिशत हो गया। 2015-16 से आरंभ होने वाले पांच वर्षों की ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां चार्ट 2.22 में दर्शाई गई हैं।



2015-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक ऋण 82.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2015-16 में ₹ 1,01,709 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,85,491 करोड़ हो गए। 2015-16 से 2019-20 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 12.16 प्रतिशत और 43.40 प्रतिशत के मध्य रही जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.02 और 15.67 प्रतिशत के मध्य रही।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना टिकाऊ नहीं है। 2015-20 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण **तालिका 2.40** में दिया गया है।

तालिका 2.40: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल उधार	37,998.43	28,169.52	21,489.76	34,264.97	44,431.82
पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	7,214.68 (19)	5,275.84 (19)	6,338.85 (29)	17,183.87 (50)	15,775.51 (36)
निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)*	6,878.35 (18)	6,836.83 (24)	8,308.03 (39)	10,067.59 (29)	12,421.92 (28)
निवल ऋण एवं अग्रिम#	12,922.01 (34)	3,541.68 (13)	243.96 (1)	573.74 (2)	1,106.62 (2)
उपलब्ध निवल उधार से किए गए राजस्व व्यय का भाग	10,983.39 (29)	12,515.17 (44)	6,598.92 (31)	6,439.77 (19)	15,127.77 (34)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कोष्ठक में कुल उधारों की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।


* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय - विविध पूंजीगत प्राप्तियां और 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के प्रभाव को बाहर रखा गया है क्योंकि यह केवल पुस्तक समायोजन था और इसका उधार ली गई निधियों के वास्तविक उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं है।

इसी प्रकार 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में रूपांतरण के प्रभाव को निवल ऋणों और अग्रिमों की गणना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह केवल पुस्तक समायोजन था।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः राजस्व व्यय लिए भी सरकार उधार पर निर्भर रही। 2019-20 के दौरान, ₹ 15,128 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 18 प्रतिशत) का राजस्व व्यय उधार ली गई निधियों से पूरा किया गया था, जो उधार ली गई धनराशि का 34 प्रतिशत है।

इस प्रकार, 2015-16 से 2019-20 के दौरान 48 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत के मध्य उधार ली गई निधियों का उपयोग पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान तथा राजस्व व्यय के लिए किया गया था। 2019-20 के दौरान, उधार ली गई निधियों का 70 प्रतिशत पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान (36 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय (34 प्रतिशत) के लिए उपयोग किया गया था। इसलिए, उधार ली गई निधियों का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नहीं किया गया जो राज्य में विकास दिखा सकता था।

2015-20 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.23** में दर्शाया गया है।




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.2 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली गारंटियों की एक सीमा तक निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियों और बकाया गारंटियों की कुल प्राप्तियों की स्थिति **चार्ट 2.24** और **2.25** में दी गई है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के संबंध में गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण **तालिका 2.41** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.41: संस्थाओं को दी गई गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों का नाम	गारंटी की संख्या	गारंटी फीस सहित बकाया गारंटी
1	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)	9	12,389.29
2	हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम	5	3,292.82
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	12	2,034.22
4	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	7	1,500.01
5	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक	1	428.96
6	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2	421.78
7	हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा	6	324.64
8	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	5	107.71
9	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1	81.02
10	नगर निगम, फरीदाबाद	2	74.08
11	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	4	52.18
12	हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड, पंचकुला	1	40.69
13	अन्य	3	22.29
	कुल	58	20,769.69

स्रोत: वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे

31 मार्च 2020 तक गारंटी फीस सहित कुल बकाया गारंटी में से 92.52 प्रतिशत (₹ 19,216.34 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 12,389.29 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम (₹ 3,292.82 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,034.22 करोड़) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 1,500.01 करोड़) के संबंध में बकाया थी।

2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम

दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 2.42 में दिए गए हैं।

तालिका 2.42: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
क. सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	(-) 795.10	(-) 1,644.93
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	(-) 794.56	(-) 1,644.39
रोकड़ शेष निवेश लेखों में किया गया निवेश	721.57	2,332.87
कुल (क)	(-) 72.99	688.48
ख. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे कि लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	3.79	2.83
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.12	0.12
चिह्नित निधियों में निवेश	3,054.63	3,308.04
कुल (ख)	3,058.54	3,310.99
कुल (क + ख)	2,985.55	3,999.47
वसूल किया गया ब्याज	91.54	76.54

स्रोत: वित्त लेख

तालिका 2.43: रोकड़ शेष निवेश लेखा (प्रमुख शीर्ष-8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	2,571.52	4,173.12	1,601.60	186.49
2016-17	4,173.12	2,554.85	(-) 1,618.27	161.32
2017-18	2,554.85	2,084.53	(-) 470.32	94.89
2018-19	2,084.53	721.57	(-) 1,362.96	91.54
2019-20	721.57	2,332.87	1,611.30	76.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख

रोकड़ शेष में चिह्नित निधियों से ₹ 3,308.04 करोड़ का निवेश था। उक्त निवेश, जिसमें ऋण शोधन निधि निवेश खाता (₹ 2,081.93 करोड़) तथा गारंटी मोचन निधि निवेश खाता (₹ 1,223.81 करोड़) शामिल हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। वर्ष 2019-20 में सरकार 355 दिन के लिए ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में समर्थ थी। सरकार द्वारा न्यूनतम रोकड़ बनाये रखने के लिए 11 दिनों के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) लिया गया था। 2019-20 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 0.42 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

2019-20 के दौरान राज्य के पास ₹ 2,986 करोड़ का प्रारंभिक रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 24,677 करोड़ उधार लिया था। अंतिम रोकड़ शेष ₹ 3,999 करोड़ था।



2.8 निष्कर्ष

राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005 पारित किया था। हालांकि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संसोधन नहीं किया गया है। राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है। 2018-19 में 17 प्रतिशत की तुलना में राजस्व घाटा 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 25 प्रतिशत था।

राजस्व घाटा, जिसे 2011-12 तक शून्य पर लाया जाना था, 2019-20 के दौरान बढ़कर ₹ 16,990 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि राज्य ने वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए धन उधार लिया था। उदय योजना के त्रिपक्षीय समझौता जापान के विरुद्ध ₹ 11,677.50 करोड़ के ऋणों को (2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष ₹ 3,892.50 करोड़) इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों में राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया।

2019-20 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 30,518 करोड़ था जो कि स.रा.घ.उ. का 3.67 प्रतिशत था और म.अ.रा.नी.वि. में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटे को मुख्यतः बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 44,432 करोड़ के कुल उधार में से, राज्य सरकार ने केवल ₹ 12,422 करोड़ (28 प्रतिशत) का पूंजीगत व्यय किया। शेष 72 प्रतिशत उधारों का उपयोग पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था।

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2015-16 में 16.56 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में मात्र 2.99 प्रतिशत रह गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए उधार ली गई निधियों पर अधिक निर्भरता हुई। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्वयं के राजस्व ने पिछले

वर्ष की तुलना में 0.66 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जिससे भारत सरकार के अंशदान पर अधिक निर्भरता हुई।

राज्य ने केवल 35 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए छोड़ते हुए कुल राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया। हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुल व्यय का प्रतिशत सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

राज्य लेखों के अनुसार तथा 22 सा.क्षे.उ. के लेखों के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 8,257 करोड़ का अंतर था। यह अंतर मुख्यतः उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 7,785 करोड़ के सहायता अनुदान के कारण है, जिसे 2015-16 और 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था और पुनःविनियोजन आदेश के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

इस संबंध में उदय योजना के दिशा-निर्देशों और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के उल्लंघन में, राज्य ने 25:75 के अनुपात में इक्विटी और अनुदान को सीमित करने के बजाय, डिस्कॉमज से लिए गए ऋण की पूरी राशि को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया। इससे पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई और इसके साथ ही राजस्व व्यय में कमी आई, जिसका सीधा असर राजस्व घाटे पर पड़ता है।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 36,923 करोड़) पर केवल 0.24 प्रतिशत रिटर्न अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, कुल निवेश का 86 प्रतिशत हानि उठाने वाली 11 सरकारी कम्पनियों में किया गया था जिनकी संचित हानि ₹ 29,639 करोड़ थी, जिससे उस सीमा तक सरकारी निवेश का हास हुआ।

सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध वर्ष के प्रारंभ में ₹ 2,647.86 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इन चीनी मिलों को पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 770.82 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

कुल मिलाकर लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.92 प्रतिशत थीं। गत वर्ष की तुलना में ऋण में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने ₹ 44,432 करोड़ का लोक ऋण लिया और ₹ 15,776 करोड़ का ऋण चुकाया। वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान के कारण व्यय राजस्व व्यय के 18 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों के 23 प्रतिशत के बराबर था।

राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 398 करोड़ (4.22 प्रतिशत) प्राप्त किए, जबकि बकाया ऋण पर 7.80 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान 8.31 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और खदान एवं खनिज पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 3,393.15 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन


अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमान 'भारित' और 'दत्तमत' मर्दों¹ के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय के भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों के लिए मांग' कहते हैं। **चार्ट 3.1** में दिए अनुसार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।


चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण



¹ **भारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
दत्तमत व्यय: अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

बजट के विभिन्न घटकों को **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: 2019-20 के दौरान व्यय की तुलना में कुल बजट प्रावधान



स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2015-20 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/भारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: 2015-20 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2015-16	91,483.98	20,075.28	79,478.98	16,001.52	12,005.00	4,073.76
2016-17	92,200.76	20,458.70	76,947.96	16,121.70	15,252.80	4,337.00
2017-18	1,02,879.77	22,110.63	84,418.03	18,544.66	18,461.74	3,565.97
2018-19	1,07,759.20	33,973.70	90,304.44	31,058.32	17,454.76	2,915.38
2019-20	1,19,003.62	37,446.09	98,167.61	31,688.66	20,836.01	5,757.43

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोजन अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए भारत और दत्तमत विनियोजन अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोजन लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्षणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों भारत और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को इंगित करते हैं। अतः, विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार भारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार भारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।


3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां

3.3.1 अनावश्यक या अत्यधिक/अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 37 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 6,862.14 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। 13 मामलों में, ₹ 2,492.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित किया गया है। दूसरी ओर, दो मामलों में ₹ 28.95 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था (**चार्ट 3.3**)।

चार्ट 3.3: अनावश्यक, अत्यधिक और अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे

इस प्रकार से बड़ी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।

3.3.2 बचत

अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना आवश्यक हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तविक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।


(1) आबंटनों की तुलना में बचतें

कुल मिलाकर ₹ 26,593.44 करोड़ की कुल बचत थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 39 मामलों में ₹ 25,905.61 करोड़ की बचत थी (परिशिष्ट 3.2)। इन 39 मामलों में, ₹ 1,37,879.71 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,11,974.10 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 25,905.61 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें तालिका 3.2 में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.2: ₹ 500 करोड़ से अधिक बचत वाले मामलों का विवरण

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	6-वित्त	10,584.69	14.43	10,599.12	9,064.73	1,534.39
2	9-शिक्षा	13,941.98	378.12	14,320.10	13,632.85	687.25
3	15-स्थानीय शासन	4,021.68	1,438.35	5,460.03	3,196.37	2,263.66
4	27-कृषि	2,721.80	335.00	3,056.80	1,513.84	1,542.96
5	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,898.60	383.14	5,281.74	3,940.38	1,341.36
6	40-ऊर्जा और विद्युत	7,366.92	1,500.00	8,866.92	7,028.67	1,838.25
राजस्व भारित						
7	6-वित्त	16,799.62	0.00	16,799.62	15,588.01	1,211.61
पूंजीगत (दत्तमत)						
8	8-भवन एवं सड़कें	4,008.64	459.76	4,468.40	2,970.57	1,497.83
9	14-शहरी विकास	1,300.00	500.00	1,800.00	883.72	916.28
10	23-खाद्य एवं आपूर्ति	13,596.40	1,509.46	15,105.86	14,107.10	998.76
पूंजीगत (भारित)						
11	लोक ऋण	20,257.15	0.00	20,257.15	15,775.51	4,481.64

बजट आबंटन के विरुद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को चार्ट 3.4 में वर्गीकृत किया गया है।



(ii) निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 20 अनुदानों और एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं (तालिका 3.3)।

तालिका 3.3: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व (दत्तमत)						
1.	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	237.74 (58)	283.17 (62)	10.76 (26)	22.00 (37)	18.24 (34)
2.	11-खेल एवं युवा कल्याण	84.43 (27)	105.84 (25)	211.20 (46)	114.86 (29)	114.93 (28)
3.	14-शहरी विकास	63.06 (37)	12.47 (13)	53.95 (51)	38.93 (36)	477.33 (82)
4.	15-स्थानीय शासन	1,407.70 (43)	879.77 (25)	1,462.93 (27)	2,168.63 (43)	2,263.66 (41)
5.	17-रोजगार	29.62 (38)	16.12 (23)	56.52 (24)	45.37 (13)	69.75 (15)
6.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	30.39 (12)	52.67 (19)	122.11 (29)	185.11 (37)	201.65 (31)
7.	19-एस.सी और बी.सी. का कल्याण	323.20 (49)	213.79 (27)	357.63 (47)	325.97 (45)	226.64 (44)
8.	21-महिला एवं बाल विकास	268.23 (27)	368.88 (33)	232.26 (22)	476.58 (34)	409.27 (29)
9.	24-सिंचाई	359.16 (21)	512.12 (27)	519.63 (27)	214.32 (13)	265.50 (15)
10.	25-उद्योग	70.33 (56)	436.29 (62)	234.39 (64)	343.58 (61)	60.84 (19)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
11.	27-कृषि	374.19 (27)	826.91 (43)	648.44 (34)	956.78 (35)	1,542.96 (50)
12.	28-पशुपालन	171.88 (25)	110.83 (15)	88.83 (12)	107.55 (12)	183.11 (18)
13.	30-वन एवं वन्य जीवन	76.92 (19)	97.95 (26)	142.21 (31)	143.96 (32)	178.39 (35)
14.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	815.54 (28)	366.90 (10)	1,193.68 (26)	1,261.75 (26)	1,341.36 (25)
15.	34-परिवहन	259.83 (13)	283.94 (13)	277.38 (12)	406.76 (16)	387.16 (16)
16.	37-चुनाव	15.49 (22)	11.24 (20)	38.15 (53)	30.63 (40)	171.11 (56)
पूँजीगत (दत्तमत)						
17.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	14.74 (32)	16.99 (36)	14.30 (37)	53.33 (78)	32.13 (42)
18.	21-महिला एवं बाल विकास	168.82 (79)	37.37 (34)	110.87 (64)	77.01 (48)	127.84 (88)
19.	34-परिवहन	79.85 (38)	149.58 (57)	45.64 (17)	163.57 (47)	488.07 (88)
20.	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	323.70 (28)	310.50 (25)	273.98 (19)	294.53 (17)	296.86 (20)
पूँजीगत (भारित)						
21.	लोक ऋण	2,820.83 (28)	4,401.67 (45)	3,606.12 (36)	2,081.88 (11)	4,481.64 (22)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की समीक्षा से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान 22 योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं से अलग) में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी (परिशिष्ट 3.3)।

इस प्रकार की बड़ी बचतें दोषपूर्ण बजट के साथ-साथ अनुदान अथवा विनियोजन में निष्पादन में कमी का संकेत है। आगे, क्योंकि निर्दिष्ट तारीख 15 अप्रैल 2020 के उपरांत प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखों में शामिल नहीं किया जा सका, बचत के कारणों को लेखों में शामिल नहीं किया गया था।

विकास योजनाओं पर व्यय का एक विस्तृत विश्लेषण अनुच्छेद 3.4.3 में किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यान्वित नहीं की गई योजनाओं, संशोधित परिव्यय में कमी, संशोधित परिव्यय में वृद्धि परंतु कम व्यय, संशोधित परिव्यय में किए गए प्रावधान के बावजूद नई योजनाओं में कोई व्यय नहीं, आदि पर प्रकाश डालता है।

3.3.3 अत्यधिक व्यय और इसके विनियमन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के

लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से विनियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दो अनुदानों के अंतर्गत राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशि से ₹ 153.39 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से प्रमुख शीर्षवार अधिक संवितरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: 2019-20 के दौरान मुख्य शीर्षवार अधिक संवितरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
1	8	2059	लोक निर्माण कार्य	304.41	174.57	(-) 129.84
2	8	2216	आवास	34.81	38.69	3.88
3	8	3054	सड़कें एवं पुल	833.56	1,086.52	252.96
	अनुदान सं.8		कुल	1,172.78	1,299.78	127.00
1	23	2408	खाद्य, भंडार एवं भंडारण	427.05	453.97	26.92
2	23	3456	नागरिक आपूर्ति	0.28	0.19	(-) 0.09
3	23	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.01	4.57	(-) 0.44
	अनुदान संख्या 23		कुल	432.34	458.73	26.39
	कुल योग			1,605.12	1,758.51	153.39

मुख्य शीर्ष 3054 के अंतर्गत, अधिक व्यय मुख्य रूप से केंद्रीय सड़क निधि के प्रति अधिक व्यय (₹ 200.77 करोड़), मुख्य शीर्ष 2059 से स्थापना व्यय के अनुपातिक हस्तांतरण (₹ 44.29 करोड़) और जिला सड़कें पर अधिक व्यय (₹ 6.44 करोड़) के कारण थे। मुख्य शीर्ष 2408 के अंतर्गत, अधिक व्यय मुख्य रूप से फील्ड स्टाफ (₹ 48.22 करोड़) की स्थापना पर था, जिसे आई.टी. एवं कंप्यूट्रीकरण (₹ 13.46 करोड़), निदेशालय स्टाफ की स्थापना (₹ 4.30 करोड़) और जिला न्यायाधिकरण (₹ तीन करोड़) की बचत में से ऑफसेट किया गया था। इस प्रकार, अनुदान संख्या 8 और 23 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 153.39 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जो कि राज्य विधायिका द्वारा किए गए प्राधिकरण से अधिक था और इसे नियमित करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2018-19 से संबंधित तीन विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 41.54 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधायिका द्वारा अभी नियमित किया जाना है (अक्टूबर 2020)। यह संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 का उल्लंघन है तथा बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को हानि पहुंचाता है और जन संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां**3.4.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर**

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य उप-इष्टतम आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2019-20 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 1,56,449.71 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,29,856.27 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2019-20 में ₹ 26,593.44 करोड़ की बचत हुई। इसका विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: 2019-20 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति


(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	77,959.18	5,772.11	83,731.29	69,391.26	(-) 14,340.03
	II पूंजीगत	30,351.37	3,238.69	33,590.06	27,467.10	(-) 6,122.96
	III ऋण एवं अग्रिम	1,407.27	275.00	1,682.27	1,309.25	(-) 373.02
कुल दत्तमत		1,09,717.82	9,285.80	1,19,003.62	98,167.61	(-) 20,836.01
भारित	IV राजस्व	16,990.14	33.80	17,023.94	15,788.94	(-) 1,235.00
	V पूंजीगत	100.00	65.00	165.00	124.21	(-) 40.79
	VI सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान	20,257.15	0.00	20,257.15	15,775.51	(-) 4,481.64
कुल भारित		37,347.29	98.80	37,446.09	31,688.66	(-) 5,757.43
आकस्मिक निधि से विनियोजन		-	-	-	-	-
कुल योग		1,47,065.11	9,384.60	1,56,449.71	1,29,856.27	(-) 26,593.44

स्रोत: विनियोजन लेखे

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियों राजस्व शीर्षों (₹ 331.99 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 9,925.38 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।

₹ 9,384.60 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान द्वारा मूल प्रावधान का छ: प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में 13 प्रतिशत था।



राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 1,11,908.84² करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित कर ₹ 1,08,203.33 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 1,03,823.39 करोड़ था। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां **तालिका 3.6** में दी गई हैं।

तालिका 3.6: 2015-20 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	69,140.29	88,781.96	92,384.38	1,02,732.54	1,11,908.84
संशोधित अनुमान	85,037.30	84,132.15	93,685.52	1,02,779.09	1,08,203.33
वास्तविक व्यय	79,394.32	79,781.44	88,190.15	93,217.78	1,03,823.39
बचत	5,642.98	4,350.71	5,495.37	9,561.31	4,379.94

स्रोत: बजट एक दृष्टि में एवं संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

² राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत वसूलियों को सकल बजट के आंकड़ों से बाहर रखा गया है।

3.4.2 बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय **तालिका 3.7** में दिया गया है:

तालिका 3.7: 2019-20 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-109-80)	350.00	92.37	257.63
2	बागवानी किसानों को ऑन-फार्म और विपणन सहायता (2401-119-54)	100.00	--	100.00
3	विधायक आदर्श ग्राम योजना (वि.आ.गा.यो.) (2515-106-99)	180.20	66.35	113.85
4	बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु हरियाणा ग्राम उदय योजना का नाम बदलकर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना कर दिया गया (4515-101-99)	300.00	28.59	271.41
5	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए योजना - सामान्य योजना (2515-102-93-99)	120.00	87.67	32.33
6	राज्य में सौर जल पम्पिंग सिस्टम की स्थापना (2810-101-98)	400.00	10.92	389.08
7	आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (2210-80-199-99)	150.00	42.00	108.00
8	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (2235-02-102-99)	200.00	248.72	(-) 48.72
9	अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (2235-02-101-95)	150.00	74.23	75.77
10	गांव दुधौला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (2230-03-001-91)	120.00	105.50	14.50
11	दाल रोटी योजना का नाम बदलकर अंत्योदय आहार योजना कर दिया गया (2408-01-001-93)	160.00	160.68	(-) 0.68
	कुल	2,230.20	917.03	1,313.17

स्रोत: वित्त लेखे और विनियोजन लेखे

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2019-20 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 2,230.20 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 917.03 करोड़ (41.12 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। 11 में से सात योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। उद्धृत कारणों में भारत सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से निधियां प्राप्त न होना, परियोजना ले-आउट का अंतिमकरण न होना, आर्थिक उपाय आदि शामिल थे। इससे लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा।

3.4.3 विकास योजनाएं

2019-20 के दौरान विकास योजनाओं के लिए संशोधित अनुमान ₹ 43,754.80 करोड़ निर्धारित किया गया था। विकास योजनाओं पर ₹ 37,391.88 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जोकि प्रावधानों का 85.46 प्रतिशत थी। मुख्यतः भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने, रिक्त पदों, लाभार्थियों से मांगें प्राप्त न होने, योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का अंतिमकरण न होने आदि के कारण से ₹ 6,362.92 करोड़ की बचतें हुईं, जैसाकि निम्नलिखित उप-पैरों में दिया गया है।

- (i) 2019-20 के लिए ₹ 146.47 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली आठ योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा परियोजना के ले-आउट का अंतिमकरण न होने, रिक्त पदों, भारत सरकार से अनुदानों की प्राप्ति न होने आदि के कारण संशोधित अनुमानों (परिशिष्ट 3.4) में वापस ले लिया गया था।
- (ii) 2019-20 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 34 योजनाओं के लिए किया गया ₹ 879.77 करोड़ का प्रावधान कम करके संशोधित अनुमान में ₹ 148.60 करोड़ कर दिया गया था किंतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने, साइंस सिटी के लिए भूमि का अंतिमकरण न करने, रिक्त पदों, लाभार्थियों से मांगों की प्राप्ति न होने आदि के कारण इन योजनाओं (परिशिष्ट 3.5) के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था।
- (iii) अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 12 योजनाओं के लिए ₹ 39.53 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने, लाभार्थियों से मांगों की प्राप्ति न होने आदि के कारण वर्ष 2019-20 (परिशिष्ट 3.6) के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
- (iv) 10 योजनाओं के लिए किए गए ₹ 201.78 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर ₹ 392.71 करोड़ कर दिया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 131.73 करोड़ का व्यय किया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने, लाभार्थियों से मांगों की प्राप्ति न होने, योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का अंतिमकरण न करने, व्यय के लिए संशोधित सीमा, आदि के कारण मूल अनुमानों का 65 प्रतिशत था। अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमान से कम था (परिशिष्ट 3.7)।
- (v) 51 विकास योजनाओं, जिनके क्रियान्वयन के लिए 2019-20 के दौरान ₹ 4,038.83 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय को संशोधित अनुमानों में घटाकर ₹ 2,274.99 करोड़ कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 1,372.52 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने, योग्य छात्रों की कम संख्या, रिक्त पदों, लाभार्थियों से मांगों की प्राप्ति न होने, आदि के कारण संशोधित परिव्यय का 60 प्रतिशत था (परिशिष्ट 3.8)।
- (vi) नौ योजनाएं, जिनके क्रियान्वयन के लिए 2019-20 के दौरान ₹ 183.99 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में घटाकर ₹ 59.90 करोड़ कर दिया गया था, किंतु ₹ 87.08 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 145 प्रतिशत था जिसका विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।
- (vii) 46 योजनाएं, जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमानों में ₹ 2,258.04 का प्रावधान किया गया था किंतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने, रिक्त पदों, लाभार्थियों से दावों की कम प्राप्ति, मितव्ययी उपायों, आदि के कारण ₹ 1,407.03 करोड़ (62 प्रतिशत) का व्यय किया गया जो कि किए गए प्रावधान से कम था जिसका विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है।

- (viii) लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के अंतर्गत भवनों (युवा छात्रावास) की एक योजना के लिए संशोधित अनुमानों में ₹ पांच करोड़ का प्रावधान किया गया था। ₹ 1.91 करोड़ (38 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जो कि किए गए प्रावधान से कम था।
- (ix) चार योजनाओं³ के लिए संशोधित अनुमानों में ₹ 59.64 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2019-20 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
- (x) तीन योजनाओं⁴ के लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान को ₹ 91 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 161.20 करोड़ किया गया था किंतु वर्ष 2019-20 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
- (xi) 17 योजनाओं के लिए किए गए ₹ 1,071.47 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर ₹ 2,088.79 करोड़ किया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1,187.42 करोड़ का व्यय किया गया था। आगे, अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में वृद्धि अधिक सिद्ध हुई क्योंकि भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने, मितव्ययी उपायों, कम योग्य छात्रों, आदि के कारण इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमानों का 57 प्रतिशत था (परिशिष्ट 3.11)।

3.4.4 व्यय की अधिकता

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के अनुसार व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 3.12** में सूचीबद्ध 10 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 15 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

ऐसे मामलों में, 2019-20 के दौरान किए गए कुल ₹ 3,701.87 करोड़ के व्यय में से ₹ 1,735.39 करोड़ (47 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2020 माह में किया गया। चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर मुख्य शीर्ष 4210-पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत मार्च 2020 महीने के दौरान व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 102.52 करोड़ की निधियां जमा करवाई गई थी। इस प्रकार अंतिम तिमाही के 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध, सिर्फ एक महीने में 47 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है।

³ (i) नगर निगम में सीवेज, जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं: ₹ 42.74 करोड़ (ii) टी.पी.डी.एस. ऑपरेशन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण में सुधार: ₹ 1.40 करोड़ (iii) लोकायुक्त के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण: ₹ 12.50 करोड़ (iv) जिला और सत्र न्यायालय - फास्ट ट्रैक कोर्ट: ₹ तीन करोड़।

⁴ (i) एस.सी./एस.टी. के लिए घरों का निर्माण/उन्नयन, इंदिरा आवास योजना जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है के अंतर्गत मुक्त बंधुआ मजदूर: मूल बजट: ₹ 30 करोड़ और संशोधित: ₹ 32 करोड़ (ii) हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली: मूल बजट: ₹ एक करोड़ और संशोधित: ₹ 9.20 करोड़ (iii) स्वच्छ भारत मिशन: मूल बजट: ₹ 60 करोड़ और संशोधित: ₹ 120 करोड़।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.4.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

दो चयनित अनुदानों अर्थात् 09-शिक्षा तथा 13-स्वास्थ्य के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई थी जिसमें मूल अनुदानों, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में विविधताओं के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

3.4.5.1 अनुदान संख्या 9 - शिक्षा

अनुदान संख्या 9-शिक्षा में प्रमुख शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा और 4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

(i) बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के लिए बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत की समग्र स्थिति तालिका 3.8 में दी गई है।

तालिका 3.8: बजट प्रावधान तथा व्यय

वर्ष	खंड	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+) (प्रतिशत में)
		(₹ करोड़ में)				
2017-18	राजस्व (दत्तमत)	13,414.09	95.87	13,509.96	11,164.25	(-) 2,345.71 (17)
	पूंजीगत (दत्तमत)	100.00	0.00	100.00	0.00	(-) 100.00 (100)
2018-19	राजस्व (दत्तमत)	13,587.44	175.00	13,762.44	11,962.65	(-) 1,799.79 (13)
	पूंजीगत (दत्तमत)	100.00	0.00	100.00	0.00	(-) 100.00 (100)
2019-20	राजस्व (दत्तमत)	13,941.98	378.12	14,320.10	13,632.85	(-) 687.25 (5)
	पूंजीगत (दत्तमत)	100.00	0.00	100.00	0.00	(-) 100.00 (100)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

2017-20 के दौरान पूंजीगत (दत्तमत) खंड के अंतर्गत शत-प्रतिशत बचत हुई जो योजनाओं के क्रियान्वयन न होने की ओर संकेत करता है। इससे पता चलता है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किए गए थे।

(ii) बचतें

पंजाब बजट नियमावली, जोकि हरियाणा में लागू है, के पैरा 5.3 में प्रावधान है कि बजट अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए और प्रत्येक मद के संबंध में किए जाने वाले प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान करने अथवा खर्च होने की अपेक्षा के आधार पर किए जाने चाहिए।

राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत, 46 उप-शीर्षों (एक करोड़ और उससे अधिक) में ₹ 3,247.89 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,948.79 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,299.10 करोड़ की बचत हुई जोकि कुल प्रावधान के 12 एवं 100 प्रतिशत के मध्य थीं। **परिशिष्ट 3.13** में दिए गए विवरणानुसार पूंजीगत (दत्तमत) खंड के अंतर्गत 100 प्रतिशत बचत थी।

(iii) सतत् बचतें

33 उप-शीर्षों में 2017-20 के दौरान (**परिशिष्ट 3.14**) में दिए गए विवरण के अनुसार कुल प्रावधान के 11 से 100 प्रतिशत के मध्य सतत् बचत दर्ज की गई जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। इस अनुदान के अंतर्गत तीन योजनाओं में ₹ 378.12 करोड़ के अनुपूरक बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया और अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: योजनाओं के विवरण जिनमें अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किए गए थे

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन लिंकड आउटले (पी.एल.ओ.) (ई.डी.पी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-01-001-93)	शून्य	105.00	105.00	शून्य	105.00
माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन लिंकड आउटले (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एस.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-02-001-92)	शून्य	30.12	30.12	शून्य ⁵	30.12
उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन लिंकड आउटले (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एच.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-03-001-96)	शून्य	243.00	243.00	शून्य	243.00
कुल	शून्य⁶	378.12	378.12	शून्य	378.12

स्रोत: विनियोजन लेखे

आगे संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि सात विश्वविद्यालयों को सहायता/सहायता अनुदान प्रदान करने और सरकारी कॉलेजों की स्थापना पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 243 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता थी। विशिष्ट उप-शीर्षों में अनुपूरक अनुदान

⁵ इस योजना में केवल ₹ 20,000 खर्च किए गए हैं।

⁶ इन योजनाओं में मूल बजट में केवल ₹ एक हजार आबंटित किए गए थे।

प्रदान करने के स्थान पर, उच्च शिक्षा के लिए पी.एल.ओ. के रूप में एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया था जिसे बाद में संबंधित उप-शीर्षों में विपथित कर दिया गया था।

माध्यमिक शिक्षा के पी.एल.ओ. के लिए ₹ 30.12 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, जिसकी मांग वास्तव में स्थापना व्यय, छात्रों को छात्रवृत्ति और साइकिल प्रदान करने के लिए की गई थी। निधियां बाद में संबंधित उप-शीर्षों में विपथित कर दी गई थीं।

न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रारंभिक शिक्षा विभाग को चौकीदारों के वेतन के व्यय की पूर्ति के लिए ₹ 105 करोड़ की आवश्यकता थी। लेकिन इन्हें अनुपूरक अनुदान में पी.एल.ओ. के रूप में प्रदान किया गया और बाद में संबंधित उप-शीर्ष में विपथित किया गया।

इस प्रकार, अनुपूरक अनुदान पारदर्शी तरीके से प्रदान नहीं किए गए थे, क्योंकि बाद में निधियों के विपथन को राज्य सरकार के विनियोजन लेखों में नहीं दर्शाया गया है।

(v) अत्यधिक व्यय

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

हालांकि, निष्पादन लिंकड परिव्यय के रूप में एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान तैयार किए गए थे और बाद में बजट प्रावधानों में पारदर्शिता की कमी के कारण संबंधित उप-शीर्षों में विपथित कर दिए गए थे। उन योजनाओं, जिनमें कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया था, का विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: योजनाओं के विवरण जिनमें अधिक व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	बजट	व्यय	आधिक्य	प्रतिशत में
1	हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति माध्यमिक चरण (2202-02-107-84)	2.20	2.98	0.78	35
2	सूचना प्रौद्योगिकी (2202-03-001-99-97)	4.00	16.82	12.82	320
3	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला (सोनीपत) की स्थापना (2202-03-102-92)	50.00	84.00	34.00	68
4	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक को सहायता (2202-03-102-96)	28.00	53.00	25.00	89
5	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को सहायता (2202-03-102-99)	70.00	125.00	55.00	79
6	सरकारी कॉलेज (2202-03-103-98)	227.50	296.23	68.73	30
7	गैर-सरकारी कॉलेजों को सहायता अनुदान (2202-03-104-99)	394.00	490.00	96.00	24
8	गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम की स्थापना (2202-03-190-99)	20.00	40.00	20.00	100
	कुल	795.70	1,108.03	312.33	39

चूंकि अनुदान संख्या 9 में समग्र व्यय बजट प्रावधानों के भीतर था, विभिन्न योजनाओं में बचत और अधिक व्यय विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की

आवश्यकता के अनुमान में पारदर्शिता की कमी और व्यय के प्रवाह की निगरानी में विफलता को दर्शाता है।

3.4.5.2 अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य

अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य में प्रमुख शीर्ष 2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण और 4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं-एलोपैथी, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवा-औषधियां, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, जन स्वास्थ्य आदि की अन्य प्रणालियों के लिए विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

(i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2017-18 to 2019-20) के लिए बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत की समग्र स्थिति तालिका 3.11 में दी गई है।

तालिका 3.11: बजट प्रावधान तथा व्यय

वर्ष	खंड	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
		(₹ करोड़ में)				
2017-18	राजस्व (दत्तमत)	3,399.43	108.81	3,508.24	3,074.17	434.07 (12)
	राजस्व (भारित)	0.25	0.00	0.25	0.09	0.16 (64)
	पूंजीगत (दत्तमत)	516.60	68.05	584.65	169.49	415.16 (71)
2018-19	राजस्व (दत्तमत)	4,050.41	125.15	4,175.56	3,678.19	497.37 (12)
	राजस्व (भारित)	0.21	0.00	0.21	0.14	0.07 (33)
	पूंजीगत (दत्तमत)	522.50	45.00	567.50	144.70	422.80 (75)
2019-20	राजस्व (दत्तमत)	4,392.73	467.81	4,860.54	4,472.21	388.33 (8)
	राजस्व (भारित)	0.25	0.00	0.25	0.22	0.03 (12)
	पूंजीगत (दत्तमत)	474.36	220.00	694.36	322.58	371.78 (54)

स्रोत: विनियोजन लेखे

पूंजीगत (दत्तमत) खंड में सतत बचत 54 एवं 75 प्रतिशत के मध्य रही जो 2017-20 के दौरान प्रक्षेपित बजट प्रावधानों की अप्राप्ति का संकेत है। यह दर्शाता है कि बजट में किए गए प्रावधान अवास्तविक थे।

(ii) बचत

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, 30 उप-शीर्षों में ₹ 935.80 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 208.61 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 727.19 करोड़ की बचत हुई। ये बचतें कुल प्रावधान के 12 एवं 100 प्रतिशत के मध्य थीं। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत, नौ उप-शीर्षों में ₹ 494.36 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 33.23 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹ 461.13 करोड़ की बचत हुई। **परिशिष्ट 3.15** में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 75 तथा 100 प्रतिशत के मध्य बचतें थीं।

सारभूत बचत वाली योजनाओं की संवीक्षा करने पर, यह देखा गया कि केराटोप्लास्टी के लिए सहायता अनुदान हेतु प्रदान किए गए ₹ 1.50 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि लाभार्थी जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समितियों के लिए विशिष्ट कोड सृजित नहीं किए गए थे। उप-केंद्रों के रखरखाव के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को अनुदान हेतु निर्धारित ₹ 6.02 करोड़ के प्रावधान का वर्ष 2019-20 के दौरान उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि पी.आर.आई. द्वारा पहले के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को अनुदान हेतु ₹ 100 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 88.07 करोड़ राज्य सरकार द्वारा भवन के नक्शे को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण खर्च नहीं किए गए।

विभाग ने मार्च 2020 में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, करनाल के निर्माण के लिए आठ योजनाओं में से ₹ 57.89 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय को विपथित किया जिसका विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज, करनाल के निर्माण के लिए विपथित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना से विपथित	बजट अनुमान	विपथित निधियां
1.	एम्स, मनेठी (रेवाड़ी) का निर्माण (4210-03-105-87)	1.00	0.10
2.	महेंद्रगढ़ (नारनौल) में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण (4210-03-105-88)	50.00	6.47
3.	राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूलों/कॉलेजों का निर्माण (भवनों का निर्माण) (4210-03-105-89-99)	20.00	15.57
4.	नल्हर (नूंह) में डेंटल कॉलेज का निर्माण (4210-03-105-90)	5.00	5.00
5.	बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक का निर्माण (भवन का निर्माण) (4210-03-105-91-99)	60.00	15.00
6.	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण (भवन का निर्माण) (4210-03-105-92-99)	50.00	12.98
7.	बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां, सोनीपत का निर्माण (भवन का निर्माण) (4210-03-105-97-98)	5.00	0.57
8.	नल्हर (नूंह) में मेवात मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भवन का निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-98-97)	70.00	2.20
	कुल	261.00	57.89

(iii) सतत् बचतें

28 उप-शीर्षों में वर्ष 2017-20 के दौरान (परिशिष्ट 3.16) में दिए गए विवरण के अनुसार कुल प्रावधान के 11 से 100 प्रतिशत के बीच सतत् बचत दर्ज की गईं जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थीं।

(iv) अनावश्यक मूल/अनुपूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। इस अनुदान के अंतर्गत आठ⁷ योजनाओं में ₹ 769.29 करोड़ (मूल बजट: ₹ 113.52 करोड़ + अनुपूरक: ₹ 655.77 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया (कुल प्रावधान की 100 प्रतिशत बचत)। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ₹ 769.29 करोड़ का मूल/अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसका विवरण **तालिका 3.13** में दिया गया है।

तालिका 3.13: योजनाओं के विवरण जिनमें अनावश्यक मूल/अनुपूरक प्रावधान किए गए थे

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल बजट	अनुपूरक	कुल
स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डी.एच.एस.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2210-01-001-92)	--	292.95	292.95
स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) को अनुदान (2210-01-192-99)	6.02	--	6.02
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2210-05-105-72)	--	142.82	142.82
केराटोप्लास्टी के लिए सहायता अनुदान (2210-06-199-99)	1.50	--	1.50
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4210-03-105-86)	--	220.00	220.00
एम्स, मनेठी (रेवाड़ी) का निर्माण कार्य (4210-03-105-87)	1.00	--	1.00
नल्हर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-90)	5.00	--	5.00
भिवानी में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-93)	100.00	--	100.00
कुल	113.52	655.77	769.29

स्रोत: विनियोजन लेखे

यह वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता के आकलन में कमियों और इस विभाग द्वारा व्यय के प्रवाह की निगरानी करने में विफलता को इंगित करता है। इस प्रकार, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनावश्यक प्रावधान किए गए थे।

(v) अधिक व्यय

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

तालिका 3.14 में दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुपूरक प्रावधान प्राप्त नहीं किया गया था जिसमें कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया था।

⁷ राजस्व खंड के अंतर्गत चार योजनाएं और पूंजीगत खंड के अंतर्गत चार योजनाएं।

तालिका 3.14: योजनाओं का विवरण जिनमें अधिक व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम (प्रमुख शीर्ष)	बजट	व्यय	आधिक्य	प्रतिशत में
1	मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना (2210-01-110-38)	50.00	70.00	20.00	40
2	शहरी स्वास्थ्य मिशन (2210-01-110-40)	25.00	27.51	2.51	10
3	सहायक सेवाओं की आउटसोर्सिंग (2210-01-110-46)	150.00	207.05	57.05	38
4	एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत सहायता अनुदान (2210-03-103-84)	510.00	662.85	152.85	30
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को खोलना/की निरंतरता, पी.एच.सी. हेतु दवा की खरीद (2210-03-103-99)	250.00	286.56	36.56	15
6	रेफर्ड अस्पताल (एम.एन.पी.) (2210-03-110-98)	28.00	33.86	5.86	21
7	राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु राज्य आयुष सोसाइटी, हरियाणा को सहायता अनुदान (2210-04-101-81)	30.00	38.48	8.48	28
8	बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला सोनीपत की स्थापना (2210-05-105-82)	100.00	111.01	11.01	11
9	महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अग्रोहा (2210-05-105-94)	70.00	80.00	10.00	14
10	महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अग्रोहा को सहायता अनुदान (2210-05-199-99)	3.00	4.00	1.00	33
11	अन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (2210-06-101-58)	14.56	17.20	2.64	18
12	मलेरिया रोग की रोकथाम और नियंत्रण (2210-06-101-99)	177.67	210.19	32.52	18
13	टीकाकरण कार्यक्रम (2211-51-103-99)	18.00	48.52	30.52	170
14	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण कार्य, भवन का निर्माण (4210-03-105-92-99)	50.00	144.02	94.02	188

3.5 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजट प्रणाली सही नहीं थी, क्योंकि 2019-20 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान और विनियोग का 83 प्रतिशत था। बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 46 अनुदानों में से 25 अनुदानों में बचत बीस प्रतिशत से अधिक थी। पिछले पांच वर्षों में 20 अनुदानों और एक विनियोजन में 10 प्रतिशत से अधिक की सतत बचत हुई।

अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि 50 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता थी। 2019-20 के दौरान 10 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 15 शीर्षों में कुल व्यय का 47 प्रतिशत मार्च 2020 के माह में खर्च किया गया था।

दो अनुदानों में ₹ 153.39 करोड़ का व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से अधिक था जो बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को खराब करता है। 2018-19 से संबंधित ₹ 41.54 करोड़ के अधिक संवितरण के साथ अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल से विनियमित करवाना अपेक्षित है।

ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और बच्चों के पोषण इत्यादि से संबंधित 11 प्रमुख नीतिगत घोषणाओं में ₹ 2,230.20 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 917.03 करोड़ (41 प्रतिशत) का व्यय हुआ था जिसने लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित किया।

वर्ष 2019-20 के दौरान विकास योजनाओं पर ₹ 43,755 करोड़ के संशोधित बजट प्रावधान के विरुद्ध कुल मिलाकर ₹ 6,363 करोड़ की बचत हुई। ₹ 1,216.41 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के साथ 61 विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गईं और 125 योजनाओं में वास्तविक व्यय ₹ 7,020 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 4,101 करोड़ (58 प्रतिशत) था जो खराब बजटीय और वित्तीय प्रबंधन का संकेत है।

अनुदान संख्या 9 - शिक्षा की समीक्षा ने निष्पादन संबद्ध परिव्यय (नि.सं.प.) के रूप में ₹ 378.12 करोड़ के एकमुश्त अनुपूरक प्रावधानों के मामलों को प्रकट किया, जिसके विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था, लेकिन बाद में अन्य उप-शीर्षों में विपथित कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता के आकलन में पारदर्शिता का अभाव था।

अनुदान संख्या 13 - स्वास्थ्य की समीक्षा में आठ विभिन्न योजनाओं से एक परियोजना में ₹ 57.89 करोड़ की निधियों के अनियमित विचलन का पता चला। अनुदान में बजटीय प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव था क्योंकि ₹ 655.77 करोड़ के एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान किए गए थे जिनके विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था।

3.6 सिफारिशें

- i. सरकार को बड़ी बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और खर्च करने की क्षमता के सही मूल्यांकन के साथ समर्थित, वास्तविक बजट अनुमान तैयार करना चाहिए;
- ii. सरकार को अनुपूरक प्रावधानों को तैयार करने में बजट नियमावली के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अवास्तविक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए, अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- iii. सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए और समय पर समर्पण के माध्यम से बचत के उचित उपयोग हेतु समय-समय पर निगरानी के माध्यम से व्यय करने के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का पालन करना चाहिए; तथा
- iv. सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों और विकास योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए रणनीति तैयार करने पर विचार कर सकती है।

अध्याय-4

**लेखों की गुणवत्ता और
वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार**

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता व गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्ट्स, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबंधकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 राज्य की समेकित निधि या लोक लेखा से बाहर की निधियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा। अनुच्छेद 266 (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए, जैसा भी मामला हो, सभी अन्य सार्वजनिक धन राज्य के लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

यह देखा गया है कि समेकित निधि में जमा की जाने वाली निधियों को राज्य की समेकित निधि से बाहर रखा गया है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

4.1.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखों के अनुसार 31 मार्च 2018 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 2,744.34 करोड़ थीं। बोर्ड ने 2018-19 के दौरान श्रम उपकर, ब्याज, आदि के रूप में ₹ 477.69 करोड़ प्राप्त किए और वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ₹ 266.32 करोड़ सहित कुल ₹ 273.25 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2019 को बोर्ड के पास ₹ 2,948.78 करोड़ की निधियां थीं।

4.1.2 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर शुल्क (उपकर) लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्रित राशि बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा गोदामों के निर्माण के लिए खर्च की जाती है। 2011-19 के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 4,527.92 करोड़ थीं तथा ₹ 4,046.87 करोड़ का व्यय किया गया था।

दोनों अधिनियम संग्रहित उपकर को रखने के लिए अलग निधियां बनाने का प्रावधान करते हैं। सरकारी विभागों द्वारा संग्रहित उपकर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड को राज्य की समेकित निधि में लिए बिना हस्तांतरित किये जाते हैं जो पंजाब खजाना नियमों के नियम 7 (1) और उसके अधीन जारी किए गए सहायक खजाना नियमों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के प्रावधानों के विरुद्ध है, जिसके अनुसार राज्य सरकार को प्राप्त या प्रदत्त सभी धनराशि बिना देरी के राजकोष में पूर्ण रूप से भुगतान की जाएगी और राज्य की समेकित निधि में शामिल की जाएगी।

ये निधियां राज्य की समेकित निधि से बाहर हैं और इसलिए इन निधियों में धन के संग्रह और उपयोग पर विधायिका की कोई निगरानी नहीं है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय को बजट से हटाकर नामांकित निधियों, जो विधायिका के प्राधिकार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के बाहर संचालित की जाती हैं, की ओर विपथित करने की प्रवृत्ति पर तेरहवें वित्त आयोग द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

4.2 ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

सरकार को 31 मार्च 2020 तक ₹ 32.89 करोड़ की शेष राशि वाले प्रमुख शीर्ष 8342 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना नामक ब्याज वहन करने वाले जमाओं में राशियों पर ब्याज का भुगतान करना था। आठ प्रतिशत प्रति वर्ष (जी.पी.एफ. ब्याज दर) की दर पर ₹ 2.63 करोड़ की अपेक्षित न्यूनतम ब्याज के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

4.3 स्पष्ट देयताओं को शामिल न करना

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार ने ₹ 15.64 करोड़ की देयताओं का निर्वहन नहीं किया। ये देयताएं तीन श्रेणियों में हैं अर्थात् - (i) कोषागार कार्यालय द्वारा बिल पारित किए गए लेकिन अप्रदत्त रहे (₹ 0.15 करोड़), (ii) वित्त विभाग के पास लंबित बिल (₹ 15.34 करोड़) और (iii) कोषागारों में लंबित बिल (₹ 0.15 करोड़)। इसका राजस्व और राजकोषीय घाटे पर मामूली प्रभाव पड़ता है।

4.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी राशियां सीधे तौर पर हस्तांतरित कर रही है। जबकि भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2019-20 के दौरान, राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 4,351.10 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जैसा कि **तालिका 4.1** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.1: राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	मनरेगा	249.72
2	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	1.09
3	बाजार पहुंच पहल	डेलॉइट टूचे टोहमात्सु इंडिया एल.एल.पी.	0.93
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	सभी जिलों के उपायुक्त	60.00
5	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	24.12
6	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास विभाग	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	118.23
7	बागवानी विकास मिशन	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा	29.01
8	दिव्यांग व्यक्ति एस.जे.ई. (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम तथा एन.आई.टी., कुरुक्षेत्र	0.69
9	सीखो और कमाओ - कौशल विकास पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी तथा अन्य	13.01
10	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन सी.एस. (संपदा)	हैफेड तथा अन्य	50.31
11	स्वदेश दर्शन - विषय आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	37.87
12	यूरिया फ्रेट सब्सिडी के लिए भुगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,840.29
13	आयातित पी. और के. उर्वरकों के लिए भुगतान	मोसेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	558.34
14	नई मंज़िल- एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल	भारतीय कौशल विकास प्राइवेट लिमिटेड संस्थान	4.01
15	सड़क विंग के अंतर्गत निर्माण कार्य	पी.आर.एल. शिव जे.वी.	94.76
16	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	65.87
17	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, हरियाणा	872.14
18	फसल अवशेषों का स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना	कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय हरियाणा	192.06
19	मूलभूत संरचना विकास और क्षमता निर्माण (एम.एस.एम.ई.)	एच.एस.आई.आई.डी.सी. राई तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.पी.)	23.63
20	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	जी.जे.यू. हिसार तथा अन्य	10.33
21	अन्य स्कीमें		104.69
		कुल	4,351.10

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

भारत सरकार ने राज्य में मौजूद विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 4,856.81 करोड़ हस्तांतरित किए थे। इसमें से, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 4,351.10 करोड़ जारी किए गए थे जो कि 2018-19 में जारी की गई राशि (₹ 4,226.45 करोड़) से तीन प्रतिशत अधिक थे। यह राज्य के बजट के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी राशि ₹ 2,851.99 करोड़ का 1.52 गुणा है।

शेष निधियां राज्य सरकार के दायरे से बाहर केंद्रीय निकायों और अन्य संगठनों को जारी की गई थीं।

4.5 स्थानीय निधियों की जमा राशि

पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत वसूल की गई या वसूली योग्य सभी धनराशि को प्रमुख शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि के अंतर्गत पंचायत निकाय निधि के रूप में रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, संवितरणों और अंतिम शेष का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: 2015-16 से 2019-20 के दौरान पंचायत निकायों की निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आरंभिक शेष	9.68	10.92	12.07	9.71	7.81
प्राप्ति	5.34	6.52	3.13	2.16	1.66
संवितरण	4.10	5.37	5.49	4.06	2.13
अंतिम शेष	10.92	12.07	9.71	7.81	7.34

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.6 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 8.14, वॉल्यूम-1 (जैसा कि हरियाणा में लागू है) प्रावधान करता है कि जहां अनुदान मंजूर किए जाते हैं और ऐसे मामले जिनमें व्यय की विशेष वस्तुओं के विनिर्देश के रूप में अनुदान की उपयोगिता की शर्तों को जोड़ा जाता है या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है और खातों में उस सीमा तक दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) [पी.ए.जी. (ए. एंड ई.)] के अभिलेखों के अनुसार बकाया उ.प्र.प. की स्थिति और बकाया उ.प्र. पत्रों का वर्ष-वार विवरण **तालिका 4.3 और तालिका 4.4** में दिया गया है।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष ¹	आरंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	1,879	9,062.62	8,083	8,844.56	8,374	10,106.38	1,588	7,800.80
2018-19	1,588	7,800.80	7,709	8,429.14	7,565	7,760.45	1,732	8,469.49
2019-20	1,732	8,469.49	7,892	8,914.81	7,620	6,786.72	2,004	10,597.58

स्रोत: पी.ए.जी. (ए. एंड ई.) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित।

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण

अनुदानों के संवितरण का वर्ष	31 अगस्त 2020 को प्रतीक्षित उ.प्र.प.	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10	1	10.85
2010-11	8	40.08
2011-12	41	137.00
2012-13	61	425.27
2013-14	87	720.32
2014-15	96	373.91
2015-16	225	574.56
2016-17	341	1,570.17
2017-18	511	2,184.11
2018-19	633	4,561.31
कुल	2,004	10,597.58

कुल 2,004 बकाया उ.प्र.प. में से ₹ 6,036.27 करोड़ के अनुदान के 1,371 उ.प्र.प. 2009-10 से 2017-18 की अवधि से संबंधित हैं। ₹ 10,598 करोड़ की कुल राशि में से, जिसके लिए उ.प्र.प. बकाया थे, 83 प्रतिशत दो विभागों (50 प्रतिशत शहरी विकास विभाग: ₹ 5,271.20 करोड़ और 33 प्रतिशत ग्रामीण विकास विभाग: ₹ 3,495.22 करोड़) से संबंधित हैं जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार ने सामान्य उद्देश्यों के साथ-साथ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया। ₹ 2,684.38 करोड़ के अनुदानों के लिए 419 बकाया उ.प्र.प. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित थे। चूंकि उ.प्र.प. के अप्रस्तुतीकरण से इनका दुरुपयोग होने का जोखिम रहता है, इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करे और संबंधित व्यक्तियों को समय पर उ.प्र.प. प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी ठहराए।

जून 2021 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग ने बताया कि राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली तैयार करेगी।

¹ 2018-19 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2019-20 के दौरान ही देय होंगे।

4.6.1 अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को "अन्य" के रूप में दर्ज करना

2019-20 के दौरान ₹ 11,337.35 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से ₹ 905.17 करोड़ (कुल सहायता अनुदान का आठ प्रतिशत) के संबंध में अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के नाम का उल्लेख 'अन्य' के रूप में किया गया था। इसमें से ₹ 140.11 करोड़ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए थे। 2015-20 के दौरान 'अन्य' के लिए संवितरित सहायता अनुदान की स्थिति **तालिका 4.5** में दिखाई गई है।

तालिका 4.5: 'अन्य' श्रेणी के अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को सहायता अनुदान**(₹ करोड़ में)**

वर्ष	कुल सहायता अनुदान राशि	'अन्य' श्रेणी के अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों की राशि	कुल सहायता अनुदान की प्रतिशतता
2015-16	10,765.97	शून्य	शून्य
2016-17	12,647.14	शून्य	शून्य
2017-18	9,844.31	शून्य	शून्य
2018-19	10,077.83	1,129.59	11.21
2019-20	11,337.35	905.17	7.98

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

4.7 सार आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे आवश्यक राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को सेवा शीर्ष से डेबिट करके सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के बिना धन आहरण की अनुमति होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को एक माह के भीतर पी.ए.जी. (ए. एंड ई.) को प्रस्तुत करने तक इन राशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। डी.सी. बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लंबी अवधि तक प्रस्तुत न करना लेखाओं की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है।

30 जून 2020 तक आपत्ति, लंबित समायोजन के अंतर्गत सार आकस्मिक बिलों का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: 30 जून 2020 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण

वर्ष	लंबित डी.सी. बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2017-18 तक	3	1.36
2018-19	90	17.66
2019-20	552	667.66
कुल	645	686.68

31 मार्च 2020 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों की 97.17 प्रतिशत राशि, चार विभागों अर्थात् खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (68.20 प्रतिशत - ₹ 468.30 करोड़ के आठ विस्तृत आकस्मिक बिल), परिवहन विभाग (18.89 प्रतिशत - ₹ 129.72 करोड़ के 218 विस्तृत आकस्मिक बिल), स्वास्थ्य विभाग (6.67 प्रतिशत - ₹ 45.78 करोड़ के

10 विस्तृत आकस्मिक बिल) और सामान्य शिक्षा विभाग (3.41 प्रतिशत - ₹ 23.45 करोड़ के 305 विस्तृत आकस्मिक बिल) से संबंधित है।

4.8 व्यक्तिगत जमा खाते

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-1 (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के नियम 12.16 एवं 12.17 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समेकित निधि या अन्य निधियों से हस्तांतरण द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुमोदन से व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत है। निधियों का व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरण संबंधित सेवा प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत समेकित निधि से व्यय के रूप में लेखाकृत किया जाता है। वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस हस्तांतरित कर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद किया जाना आवश्यक है और यदि आवश्यकता हो तो अगले वर्ष फिर से खोला जा सकता है। 31 मार्च 2020 को समेकित निधि से हस्तांतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या मात्र दो थी। आगे, उपर्युक्त नियमों के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि से अलग निधियों के हस्तांतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए और जो खाते तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों से निष्क्रिय हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए तथा ऐसे खातों में पड़ी हुई शेष राशि को सरकारी खातों में जमा किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों की ब्रॉडशीट के अनुसार 31 मार्च 2020 तक सक्रिय व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति तालिका 4.7 में दी गई है।

तालिका 4.7: 31 मार्च 2020 तक व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

व्यक्तिगत जमा खातों का स्रोत	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान शामिल किए गए		वर्ष के दौरान बंद किए गए		अंतिम शेष	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
समेकित निधि	1	1,018.44	1	107.94	..	814.66 ²	2	311.72
समेकित निधि से अलग	142	308.46	10	28.65	..	37.94 ²	152	299.17
कुल	143	1,326.90	11	136.59	..	852.60²	154	610.89

₹ 0.35 करोड़ की राशि वाले पांच व्यक्तिगत जमा खाते तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमों के विचलन में बंद नहीं किए गए हैं।

4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित

² वर्ष के दौरान कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता बंद नहीं किया गया था। यह राशि वर्ष के दौरान सक्रिय व्यक्तिगत जमा खातों में प्रकट माइनस मेमोरेन्डा के लेनदेनों का प्रतिनिधित्व करती है।


किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है। वर्ष के दौरान ₹ 1,02,514.14 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 10.24 प्रतिशत संघटित करते हुए विभिन्न राजस्व और पूंजीगत प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत ₹ 10,501.79 करोड़ का व्यय संबंधित प्रमुख शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था। ऐसे मामले, जहां व्यय का पर्याप्त अनुपात (80 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, **तालिका 4.8** में दिए गए हैं।

तालिका 4.8: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का प्रमुख शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमुख शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएं	149.42	149.15	100
2.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	8.72	8.05	92
3.	2700	मुख्य सिंचाई	1,156.86	946.56	82
4.	2801	विद्युत	6,978.40	6,978.40	100
5.	3435	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	11.61	9.71	84
6.	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	117.37	97.33	83
7.	5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	15.76	15.34	97
8.	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	28.85	28.85	100
कुल			8,466.99	8,233.39	97

2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।



माप से संबंधित मामले

4.10 उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को जोड़ते हुए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गणना की जाती है। महत्वपूर्ण उचंत मदों को पिछले तीन वर्षों के सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: बकाया उचंत एवं प्रेषण शेषों के विवरण

(₹ करोड़ में)

(क) 8658- उचंत लेखे						
लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	14.42	0.01	20.40	0.04	26.69	0.01
निवल	14.41 (डेबिट)		20.36 (डेबिट)		26.68 (डेबिट)	
102-उचंत लेखे (सिविल)	14.66	0.30	14.89	..	109.94	..
निवल	14.36 (डेबिट)		14.89 (डेबिट)		109.94 (डेबिट)	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा	121.95	68.33	53.07	..	52.88	..
निवल	53.62 (डेबिट)		53.07 (डेबिट)		52.88 (डेबिट)	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	1.71	0.64	(-)10.56	(-)4.65	0.24	0.97
निवल	1.07 (डेबिट)		5.91 (क्रेडिट)		0.73 (क्रेडिट)	
110-रिजर्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय	4.33	..	4.67	..	11.58	..
निवल	4.33 (डेबिट)		4.67 (डेबिट)		11.58 (डेबिट)	
112-स्रोत पर काटा गया कर उचंत	..	77.08	..	29.85	..	129.85
निवल	77.08 (क्रेडिट)		29.85 (क्रेडिट)		129.85 (क्रेडिट)	
(ख) 8782- एक ही लेखा कार्यालय में लेखे भेजने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन						
लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	डेबिट	क्रेडिट
102-लोक निर्माण प्रेषण	54.87	231.32	90.37	431.89	30.78	333.64
निवल	176.45 (क्रेडिट)		341.52 (क्रेडिट)		302.86 (क्रेडिट)	
103-वन प्रेषण	..	3.46	..	1.76	..	3.55
निवल	3.46 (क्रेडिट)		1.76 (क्रेडिट)		3.55 (क्रेडिट)	

स्रोत: वित्त लेखे

4.11 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, उसे बजट अनुदानों के भीतर एवं अपने खातों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु.नि.अ.)/नियंत्रण अधिकारियों (नि.अ.) को अपने रिकार्ड में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान करना अपेक्षित है। समेकित निधि

के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय, दोनों के आंकड़ों का मिलान शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। साइबर खजानों के अंतर्गत आने वाली प्राप्तियों का मिलान कर लिया गया है।

4.12 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों के अनुसार 2019-20 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 1,644.93 करोड़ था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 1,667.08 करोड़ सूचित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2019-20 तक ₹ 22.15 करोड़ के अंतर का मिलान अभी बाकी था। यह मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेन की गलत रिपोर्टिंग के कारण है और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद शेष का मिलान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बड़ी विसंगतियां देखी गई थीं:

(i) दंडात्मक ब्याज दावों का निपटान न करना

एजेंसी बैंकों/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 7.11 करोड़ की राशि के दंडात्मक ब्याज का निपटान नहीं किया गया है। विवरण तालिका 4.10 में दिए गए हैं।

तालिका 4.10: दंडात्मक ब्याज दावों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	दंडात्मक ब्याज के विवरण	राशि
1	विलंबित प्रेषण/गलत भुगतान के कारण दंडात्मक ब्याज के दावे	4.57
2	पंजाब सरकार के बजाय हरियाणा सरकार को गलत ढंग से डेबिट की गई राशि के लिए दंडात्मक ब्याज	1.27
3	हरियाणा सरकार को डेबिट किए गए गलत भुगतान को लौटाने के कारण दंडात्मक ब्याज के दावे	1.27
	कुल	7.11

(ii) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दावे का निपटान न करना

महानिदेशक, खजाना एवं लेखा, हरियाणा ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2015-16 में गलत भुगतान करने के लिए विलंब की अवधि हेतु ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज का दावा किया है। अभी तक उसका निपटान नहीं हुआ है।

प्रकटीकरण से संबंधित मामले

4.13 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक भारत सरकार के तीन लेखांकन

मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2019-20 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां **तालिका 4.11** में दी गई हैं।

तालिका 4.11: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	अनुपालना/कमियां
1	आई.जी.ए.एस. 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणियां 9 एवं 20)	प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसेकि गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है।
2	आई.जी.ए.एस. 2: सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणी 10)	(i) ` 4,863.28 करोड़ के सहायता अनुदान को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में दर्शाया गया है। (ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है।
3	आई.जी.ए.एस. 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	अनुपालना नहीं की गई (वित्त लेखों की विवरणी 18)	राज्य सरकार द्वारा विवरण की पुष्टि नहीं की गई है। अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

स्रोत: भारतीय सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

4.14 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 36 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतीकरण की स्थिति **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाई गई है।

12 स्वायत्त निकायों के संबंध में एक से तीन वर्षों का विलंब रहा। लेखों के अंतिमकरण में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं को न खोज पाने का जोखिम बढ़ जाता है तथा इसलिए आवश्यक है कि लेखों का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाए एवं लेखापरीक्षा को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

4.15 लेखों के अप्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलंब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) के अधिनियम

1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

31 जुलाई 2020 तक 93 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 254 वार्षिक लेखे प्रतीक्षित थे। इन लेखों का विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है और विलंब की आयु-वार स्थिति **तालिका 4.12** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 4.12: निकायों/प्राधिकरणों के लंबित वार्षिक लेखों की आयु-वार स्थिति

क्र.सं.	विलंब वर्षों में	लेखों की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	92	447.06
2.	2-3	161	516.84
3.	4 एवं अधिक	1	2.45
	कुल	254	966.35

(स्रोत: सरकारी विभागों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं। 2019-20 के दौरान अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाले 35 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से 26 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की गई।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से हर वर्ष के अन्त तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान की जा सके।

जून 2021 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग ने बताया कि बकाया वार्षिक लेखों को बिना किसी विलम्ब के लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाएंगे।

4.16 विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादित करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के कार्यकारी परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और व्यवसाय को चलाने में दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखों के समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है।

जून 2020 तक, ऐसे पांच³ उपक्रमों ने वर्ष 1986-87 और 2016-17 के बीच के वर्षों से अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 9,159.74 करोड़ की सरकारी निधियां निवेशित थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियाँ की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखों के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दिया गया है।

4.17 लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आर.बी.आई. की सलाह के अतिरिक्त जिला कोषागारों, उप-कोषागारों, साइबर कोषागार, लोक निर्माण मंडलों और वन मंडलों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक लेखों से संकलित किए जाते हैं। मासिक लेखों को प्रस्तुत करने में अक्सर देरी होती है। लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा समय पर लेखे प्रस्तुत करने में विफलता के कारण कुछ लेखों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मासिक सिविल लेखों से बाहर रखा जाता है।

2019-20 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा मासिक सिविल लेखों से किसी भी लेखे को बाहर नहीं किया गया था।

अन्य मामले

4.18 दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार को हुई हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, जिम्मेवार ठहराया जाएगा। आगे, नियम 2.34 के अनुसार, दुरुपयोग एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 1.34 करोड़ के सरकारी धन से संबंधित दुर्विनियोजन के 64 मामलों में जून 2020 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन **तालिका 4.13** में दिया गया है।

³ (i) 1988-89 से बीज डिपो स्कीम; (ii) 1986-87 से कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण; (iii) 2007-08 से राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम; (iv) 2016-17 से अनाज आपूर्ति स्कीम; तथा (v) 2014-15 से हरियाणा रोडवेज।

तालिका 4.13: दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सरकारी सामान के दुर्विनियोजन/हानियों/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
				विभागीय जांच की प्रतीक्षा में या न्यायालयों में लंबित		विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई परंतु अंतिम रूप नहीं दिया गया		वसूली या बड़े खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	
				मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	विकास एवं पंचायत	01	6.50	0	0.00	01	6.50	0	0.00
2	पशुपालन एवं डेयरी	01	0.08	0	0.00	01	0.08	0	0.00
3	शिक्षा	23	43.02	02	0.62	19	41.54	02	0.86
4	हरियाणा कौशल विकास एवं उद्योग प्रशिक्षण	02	0.87	01	0.47	01	0.40	0	0.00
5	श्रम एवं रोजगार	02	0.15	0	0.00	02	0.15	0	0.00
6	पुलिस	01	3.79	01	3.79	0	0.00	0	0.00
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	03	8.63	0	0.00	02	5.93	01	2.70
8	खेल एवं युवा कल्याण	01	39.58	0	0.00	01	39.58	0	0.00
9	तकनीकी शिक्षा	01	6.52	0	0.00	01	6.52	0	0.00
10	नगर एवं ग्राम आयोजना	01	1.44	0	0.00	01	1.44	0	0.00
11	परिवहन	02	3.77	02	3.77	0	0.00	0	0.00
12	खजाना एवं लेखा	01	6.27	01	6.27	0	0.00	0	0.00
13	महिला एवं बाल विकास	02	10.52	02	10.52	0	0.00	0	0.00
14	सिंचाई	21	2.27	0	0.00	18	2.05	03	0.22
15	जन स्वास्थ्य	02	0.65	0	0.00	02	0.65	0	0.00
	कुल	64	134.06	09	25.44	49	104.84	06	3.78

लंबित मामलों तथा सरकारी सामान की चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या की आयु-वार रूपरेखा तालिका 4.14 में संक्षेपित की गई है।

तालिका 4.14: दुर्विनियोजन, हानियां, दुरुपयोग इत्यादि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-वार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0-5	30	104.85	चोरी के मामले	52	106.66
5-10	03	3.12			
10-15	06	11.59	सरकारी सामान का दुर्विनियोजन/हानि	12	27.40
15-20	05	7.63			
20-25	05	3.41			
25 एवं अधिक	15	3.46			
कुल	64	134.06	जून 2020 को कुल लंबित मामले	64	134.06

हानि के सभी मामलों में से ₹ 106.66 लाख के 52 मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित हैं। आगे, हानियों के 49 मामलों (₹ 104.84 लाख) के संबंध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जबकि छः मामलों में (₹ 3.78 लाख) वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा के कारण बकाया थे। आगे यह भी देखा गया कि चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानियों के 64 मामलों में से ₹ 29.21 करोड़ के 34 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 20 मामले 20 वर्षों से

भी अधिक पुराने थे। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई।

सरकार द्वारा, चोरी, दुर्विनियोजन इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए।

4.19 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वतः सकारात्मक और निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए, बिना यह सोचे कि ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी एक्शन टेकन नोट्स लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 06 अगस्त 2019 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति की बैठक में चयनात्मक आधार पर चर्चा के अधीन है (नवंबर 2020)। वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 26 अगस्त 2020 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन नवंबर 2020 के बाद से चर्चा के लिए देय है।

4.20 निष्कर्ष

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत 2011-19 के दौरान एकत्र की गई ₹ 4,527.92 करोड़ की प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गईं। इसी प्रकार, सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के अंतर्गत एकत्र किए गए उपकर को राज्य की समेकित निधि के माध्यम के बिना रूट किए हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। 31 मार्च 2019 तक बोर्ड के पास ₹ 2,948.78 करोड़ की निधियां थीं।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में काफी विलंब था, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वार्षिक लेखों के अभाव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों को आकृष्ट करने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों का पता नहीं चल पाया।

बड़ी संख्या में स्वायत्त निकायों और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अंतिम लेखे तैयार नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामान की हानि तथा दुरुपयोग के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2019-20 के दौरान कुल व्यय का 10.24 प्रतिशत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

4.21 सिफारिशें

- i. सरकार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तथा हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के संग्रहण एवं उपयोग के लिए एक उचित लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए ताकि राज्य के लेखों से डाटा आसानी से उपलब्ध हो सके।
- ii. सरकार, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।
- iii. वित्त विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा कर सकता है कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी सभी राशियों को समेकित निधि में तत्काल प्रेषित कर दिया गया है। आगे, वित्त विभाग को वित्तीय नियमों में निहित निर्देशों को दोहराना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है।
- iv. वित्त विभाग, स्वायत्त निकायों और विभागीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- v. सरकार, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार करे।
- vi. सरकार को नियमों के अंतर्गत अपेक्षितानुसार निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों के समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

- vii. वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से, वर्तमान में लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की सभी प्राप्तियां और व्यय उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए जाएं।

उपर्युक्त बिंदु हरियाणा सरकार को दिसंबर 2020 में टिप्पणी एवं उत्तर के लिए भेजे गए हैं। सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2021)।

चण्डीगढ़

दिनांक: 02 अगस्त 2021

विशाल बंसल

(विशाल बंसल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 23 अगस्त 2021

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य प्रोफाइल						
क. सामान्य डाटा						
क्र.सं.	विवरण			आंकड़े		
1	क्षेत्र			44,212 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या					
	क	2001 की जनगणना के अनुसार		2.11 करोड़		
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार		2.54 करोड़		
3	जनसंख्या घनत्व ¹ (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
4	गरीबी रेखा ² से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.90 प्रतिशत)			11.20 प्रतिशत		
5	साक्षरता ³ (2011) (अखिल भारतीय औसत=73 प्रतिशत)			75.60 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु-दर ⁴ (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 सजीव जन्म)			30		
7	जन्म ⁵ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.4 वर्ष)			69.8 वर्ष		
8	गिनी गुणांक ⁶					
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)		0.30		
	ख	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)		0.36		
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2019-20 ⁷			₹ 8,31,610 करोड़		
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2019-20)	हरियाणा		12.12 प्रतिशत		
11		सामान्य श्रेणी राज्य		10.53 प्रतिशत		
12		अखिल भारतीय		9.84 प्रतिशत		
13	स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2018-19)	हरियाणा		13.71 प्रतिशत		
14		सामान्य श्रेणी राज्य		11.98 प्रतिशत		
15	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2020)			14.52 प्रतिशत		
16	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या ⁸ वृद्धि (2011 से 2020)			10.98 प्रतिशत		
ख	वित्तीय आंकड़े					
		विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)			
		सी.ए.जी.आर	2010-11 से 2018-19		2018-19 से 2019-20	
			सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.65	12.56	2.08	2.99	
ख	स्वयं के कर राजस्व का	12.21	12.34	2.12	0.57	
ग	कर-भिन्न राजस्व का	11.19	11.16	23.44	(-) 7.22	
घ	कुल व्यय का	13.87	13.83	4.09	11.38	
ङ	पूँजीगत व्यय का	14.64	18.15	(-) 3.86	15.41	
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.58	10.03	11.81	14.27	
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.43	16.72	9.48	21.62	
ज	वेतन एवं मजदूरी का	10.78	9.15	9.51	13.17	
झ	पेंशन का	14.14	12.85	9.74	8.51	

¹ जनगणना सूचना भारत 2011

² आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, खण्ड-II, सांख्यिकीय परिशिष्ट पृष्ठ क 169 तालिका 9.8

³ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, खण्ड-II, सांख्यिकीय परिशिष्ट पृष्ठ क 164 तालिका 9.4

⁴ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, खण्ड-II, सांख्यिकीय परिशिष्ट पृष्ठ क 160 तालिका 9.1

⁵ एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2014-18

⁶ http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.

⁷ सांख्यिकी विशेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई सूचना।

⁸ भारतीय जनगणना 2011 (भारत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण 2011-2036), तालिका 14, पृष्ठ 121-133

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 7)

31 मार्च 2020 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 को	देयताएं	31 मार्च 2020 को
1,54,967.80	आन्तरिक ऋण	1,83,785.60
	1,14,987.33 ब्याज युक्त बाजार ऋण	1,35,664.18
	2.26 ब्याज रहित बाजार ऋण	2.26
	0.00 जीवन बीमा निगम से ऋण	0.00
	29,608.70 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	38,754.04
	10,369.51 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9,365.12
1,866.94	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,705.45
	1984-85 से पूर्व के ऋण	
	40.25 योजनेत्तर ऋण	38.64
	1,560.85 राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण	1,298.58
	265.84 विधाई स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	368.23
200.00	आकस्मिक निधि	200.00
15,715.23	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	16,962.46
8,404.55	जमा	7,921.80
6,315.60	आरक्षण निधियां	8,494.35
	उचंत तथा विविध शेष	
327.48	प्रेषण शेष	273.74
1,87,797.60		2,19,343.40
31 मार्च 2019 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2020 को
94,616.48	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	1,12,228.40
	30,747.91 कम्पनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश	36,922.92
	63,868.57 अन्य पूंजीगत परिव्यय	75,305.48
11,473.68	ऋण एवं अग्रिम	7,390.30
	6,471.21 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	1,349.09
	4,926.36 अन्य विकास ऋण	5,964.85
	76.11 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	76.36
0.74	अग्रिम	0.74
57.23	उचन्त एवं विविध शेष	70.49
-	प्रेषण शेष	
2,985.55	नकद	3,999.47
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	(-795.10 रिजर्व बैंक में जमा	-1,644.93
	3.79 विभागीय नकद शेष	2.83
	0.12 स्थायी अग्रिम	0.12
	721.57 नकद शेष निवेश	2,332.87
	3,054.63 आरक्षित निधि निवेश	3,308.04
78,663.92	सरकारी लेखाओं पर घाटा	95,654.00
	11,270.42 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	16,990.08
	67,374.23 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	78,663.92
	19.27 विविध सरकारी लेखे	-
1,87,797.60	कुल	2,19,343.40

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 16)

वर्ष 2019-20 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2018-19	2019-20		2018-19	2019-20
भाग क: राजस्व					
I. राजस्व प्राप्तियां	65,885.12	67,858.13	I. राजस्व व्यय	77,155.54	84,848.21
कर राजस्व	42,581.34	42,824.95	सामान्य सेवाएं	28,168.97	31,883.95
कर भिन्न राजस्व	7,975.64	7,399.74	सामाजिक सेवाएं	29,743.19	33,726.48
संघीय करों में राज्यांश	8,254.60	7,111.53	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	12,671.67	14,479.34
नॉन प्लान अनुदान	-	-	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,678.33	4,472.43
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	-	-	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	4,804.46	5,147.25
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	-	-	सूचना एवं प्रसारण	216.16	228.42
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों	2,843.09	2,851.99	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	398.71	287.19
वित्त आयोग अनुदान राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,274.26	2,005.74	श्रम एवं श्रम कल्याण	659.36	909.42
	2,956.19	5,664.18	समाज कल्याण एवं पोषण	7,301.44	8,186.66
			अन्य	13.06	15.77
			आर्थिक सेवाएं	19,021.58	19,237.78
			कृषि एवं सहायक गतिविधियां	3,392.03	3,201.01
			ग्रामीण विकास	3,417.60	3,956.62
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,470.54	1,492.00
			ऊर्जा	7,447.42	7,015.30
			उद्योग एवं खनिज	402.78	392.19
			परिवहन	2,791.38	3,078.58
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	30.89	24.98
			अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	68.94	77.10
			सहायता अनुदान तथा अंशदान	221.80	0.00
II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा	11,270.42	16,990.08	II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य		
योग भाग क	77,155.54	84,848.21		77,155.54	84,848.21
भाग ख- अन्य					
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	4,417.46	2,985.55	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट		
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	49.01	54.01	IV. पूंजीगत परिव्यय	15,306.60	17,665.93
			सामान्य सेवाएं	714.55	586.16
			सामाजिक सेवाएं	3,804.65	3,233.56
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	396.27	388.28
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	332.83	510.17
			जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,853.79	2,152.86
			सूचना एवं प्रसारण	22.06	40.30
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.03	2.50
			समाज कल्याण एवं पोषण	98.20	22.08
			अन्य	95.47	117.37

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 19)
राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	47,557	52,497	62,695	65,885	67,858
(i) कर राजस्व	30,929 (65)	34,026 (65)	41,099(66)	42,581 (65)	42,825 (63)
विक्रियों, व्यापार आदि पर कर	21,060 (68)	23,488 (69)	15,609(38)	8,998 (21)	8,398 (19)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,371 (14)	4,613 (13)	4,966(12)	6,042 (14)	6,323 (15)
वाहनों पर कर	1,401 (5)	1,583 (5)	2,778(7)	2,908 (7)	2,916 (7)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,191 (10)	3,283 (10)	4,193(10)	5,636 (13)	6,013 (14)
भू-राजस्व	15	16	18	19	20
माल एवं यात्रियों पर कर	554 (2)	595 (2)	2,317(6)	21	16
बिजली पर कर एवं शुल्क	257 (1)	276 (1)	306(1)	337 (1)	262 (1)
राज्य माल एवं सेवा कर	0	0	10,833(26)	18,613 (44)	18,873 (44)
अन्य कर	80	172	79	7	4
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,753 (10)	6,196 (12)	9,113(14)	7,976 (12)	7,400 (11)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	5,496 (12)	6,597 (12)	7,298(12)	8,255 (12)	7,111 (10)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	6,379 (13)	5,678 (11)	5,185(8)	7,073 (11)	10,522 (16)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	30	26	40	49	54
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	328	973	6,341	5,372	5,393
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	47,915	53,496	69,076	71,306	73,305
5. लोक ऋण प्राप्तियां	37,998	28,170	21,490	34,265	44,432
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	37,901 (100)	28,047 (100)	21,270(99)	33,635 (98)	43,068 (97)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	0	0	79	505 (2)	1,262 (3)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97	123	141(1)	125	102
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	85,913	81,666	90,566	1,05,571	1,17,737
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	63	80	27	12	0
8. लोक लेखे प्राप्तियां	29,056	32,108	33,894	40,785	45,047
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	1,15,032	1,13,854	1,24,487	1,46,368	1,62,784
भाग- ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
योजनागत	18,561 (31)	22,119 (32)	0	0	0
योजनेत्तर	40,675 (69)	46,284 (68)	0	0	0
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	18,713 (32)	21,631 (32)	26,699(36)	28,169 (36)	31,884 (38)
आर्थिक सेवाएं	18,691 (32)	20,875 (30)	18,107(25)	19,021 (25)	19,238 (22)
सामाजिक सेवाएं	21,539 (36)	25,473 (37)	28,061(38)	29,743(38)	33,726 (40)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	293	424(1)	390(1)	222(1)	0
11. पूंजीगत व्यय	6,908	6,863	13,538	15,307	17,666
योजनागत	6,624 (96)	6,559 (96)	0	0	0
योजनेत्तर	284 (4)	304 (4)	0	0	0
सामान्य सेवाएं	460 (7)	399 (6)	481(4)	715 (5)	586 (3)
आर्थिक सेवाएं	4,908 (71)	4,877 (71)	9,884(73)	10,787 (70)	13,846 (79)
सामाजिक सेवाएं	1,540 (22)	1,587 (23)	3,173(23)	3,805 (25)	3,234 (18)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	13,250	4,515	1,395	756	1,309
13. कुल (10+11+12)	79,394	79,781	88,190	93,218	1,03,823
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	7,215	5,276	6,339	17,184	15,776
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	7,039 (98)	5,090 (96)	6,074(96)	16,480 (96)	14,250 (90)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	79(1)	505 (3)	1,262 (8)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	176 (2)	186 (4)	186(3)	199 (1)	264 (2)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	0

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	86,609	85,057	94,529	1,10,402	1,19,599
17. आकस्मिक निधि संवितरण	63	80	27	12	0
18. लोक लेखा संवितरण	28,650	29,276	31,171	37,386	42,171
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	1,15,322	1,14,413	1,25,727	1,47,800	1,61,770
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-)11,679	(-)15,906	(-)10,562	(-) 11,270	(-) 16,990
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-)31,479	(-)26,285	(-)19,114	(-) 21,912	(-) 30,518
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-)23,195	(-)15,743	(-)7,153	(-) 8,361	(-) 14,930
भाग-घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	8,284	10,542	11,961	13,551	15,588
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	10,766	12,647	9,844	10,078	11,337
25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवरड्राफ्ट(दिनों में)	0	0	79(2)	505(4)	1,262 (11)
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	0	0.02	0.29	0.42
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ¹	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216	2,15,562
29. बकाया गारंटियां-ब्याज तथा गारंटी फीस सहित (वर्ष के अन्त में)	16,886	8,260	14,187	18,273	20,770
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	18	14	25	23	26
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूढ़ पूंजी (₹ करोड़ में)	98.65	199.17	167.14	127.30	221.57
भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.062	0.061	0.063	0.058	0.051
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.010	0.011	0.014	0.011	0.009
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.011	0.012	0.011	0.011	0.009
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.160	0.142	0.136	0.127	0.125
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.669	1.520	1.407	1.415	1.530
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.746	0.857	0.831	0.828	0.817
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.291	0.339	0.354	0.360	0.356
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.297	0.323	0.317	0.320	0.319
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.087	0.086	0.154	0.164	0.170
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.081	0.081	0.148	0.157	0.165
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.024	(-)0.028	(-)0.016	(-)0.015	-0.020
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.064	(-)0.047	(-)0.029	(-)0.030	-0.037
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.047	(-)0.028	(-)0.011	(-)0.011	-0.018
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.371	0.605	0.553	0.514	0.557
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.24	0.26	0.25	0.25	0.26
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	2.538	2.788	2.617	2.796	3.177
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	15.89	5.89	7.53	56.60	87.01
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.67	0.62	0.60	0.58	0.56

¹ आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यां पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.2 (iv); पृष्ठ 22)

राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2020 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	31 मार्च 2020 को बकाया राशि	विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वसूली की स्थिति											
				कोर्ट द्वारा स्टे	सरकार द्वारा स्टे	दिवालिया डीलर	बड़े खतो में डाला जाना	संशोधन/समीक्षा/अपील	न्यायालय में मामले	अन्य कारण	आधिकारिक परिसमापक/बी.आई.एफ.आर ²	अंतराज्यीय बकाया	अंतर जिला बकाया	किशतों में	कारवाई के विभिन्न चरणों में
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	4,934.61	30,717.17	1,345.21	1,126.74	18.11	138.36	4,260.95	2,888.50	3,940.62	1,426.04	3,278.28	90.02	178.03	12,026.31
2	राज्य उत्पाद शुल्क	196.28	310.48	14.37	0.47	0.93	3.99	--	16.52	35.00	1.33	34.11	49.69	0.01	154.06
3	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	147.96	206.32	197.10	--	--	--	--	0.07	--	--	--	--	--	9.15
4	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.69	11.69	2.76	--	--	0.01	--	--	--	--	--	--	--	8.92
5	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	61.18	985.44	38.01	--	--	0.09	--	--	--	--	--	--	--	947.34
6	बिजली पर कर और शुल्क	179.30	325.20	179.30	₹ 324.20 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं से लंबित थे और ₹ 1.00 करोड़ मैसर्स हरियाणा कंकास्ट, हिसार के विरुद्ध लंबित थे।										
7	पुलिस	40.91	127.98	40.91	₹ 31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित था। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, फरीदाबाद से ₹ 0.29 करोड़ वसूलीय थे और अन्य राज्यों में चुनाव इयूटी एवं कानून व्यवस्था के लिए अन्य राज्यों से ₹ 120.31 करोड़ वसूलीय थे।										
कुल		5,571.93	32,684.28												

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (iv); पृष्ठ 39)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार सरकारी निवेश
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वित्त लेखे के अनुसार	कंपनी लेखा के अनुसार	अंतर
1	हरियाणा वित्तीय निगम	204.22	202.01	(-) 2.21
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	9,412.21	13,287.04	3,874.83
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,341.03	2,940.84	(-) 400.19
4	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	48.06	47.22	(-) 0.84
5	हरियाणा डेयरी विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	4.77	5.57	0.80
6	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	33.84	26.14	(-) 7.70
7	हरियाणा पुलिस आवास निगम	69.82	25.00	(-) 44.82
8	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, गुरुग्राम	8.36	6.80	(-) 1.56
9	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.74	2.76	0.02
10	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	9.90	9.89	(-) 0.01
11	हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.62	2.65	0.03
12	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	76.10	72.36	(-) 3.74
13	हरियाणा राज्य सड़कें और पुल विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	70.12	122.04	51.92
14	हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	1.40	1.81	0.41
15	हरियाणा टेनरीज लिमिटेड, जींद	0.22	1.17	0.95
16	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	शून्य	37.76	37.76
17	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,512.16	4,124.74	612.58
18	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	14.86	15.51	0.65
19	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला	11,000.75	15,100.34	4,099.59
20	हरियाणा मास रैपिड यातायात निगम	शून्य	14.40	14.40
21	हरियाणा मेडिकल सर्विसिज लिमिटेड	शून्य	5.00	5.00
22	हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड	शून्य	19.22	19.22
	कुल	27,813.18	36,070.27	8,257.09

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20 और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने तक के लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (vi); पृष्ठ 41)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
1	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल. (रैपिड मेट्रो गुड़गांव साउथ लिमिटेड)	1,088.00	बी.ओ.टी.	16.07.2009	14.11.2013
2	कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी. (मैसर्ज एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड)	1,863.00	बी.ओ.टी.	31.07.2015 (प्रारंभ करने की तिथि 24.08.2016)	04.12.2018 (अंतिम वाणिज्यिक परिचालन)
3	दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर से सेक्टर 56, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	1 अक्टूबर 2012	31.03.2017
4	हरियाणा विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड की जे.के.टी.पी.एल.	कल्पतरु पावर ट्रांस लिमिटेड और टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग के संयुक्त उद्यम।	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर)	14.05.2010	12.03.2012
5	बस स्टैंड, एन.आई.टी. फरीदाबाद	डी.जी.एस.टी. (मैसर्ज पैसिफिक रिटेल काउंटेर्स)	110.94	डी.बी.एफ.ओ.टी.	14.06.2018	योजना की स्वीकृति और साइट को सौंपने के दो वर्ष बाद
6	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका भिवानी रोड (0.00 से 14.28 किलोमीटर) पर पक्के फुटपाथ के साथ 2 लेनिंग का विकास	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016		पूरा हुआ
7	गुड़गांव, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना रोड का रख-रखाव (लंबाई 66.185 किलोमीटर)	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	180.00	बी.ओ.टी.		परियोजना परिचालन चरण में है।
8	1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	130.00	-	2007-2012	नई स्वीकृत आई.डी.पी. के अनुसार 2018-19 (संस्थान विकास योजना 2018-19) 31.08.2020 तक ₹13.24 करोड़ का राजस्व सृजित हुआ
9	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से 7/2014 से परियोजना शुरू हुई	17 जिलों में सी.टी. स्कैन सेवाएं और 4 जिलों में एम.आर.आई. सुविधाएं कार्यात्मक हैं।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
10	हेमोडायलिसिस	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	2017 से आगे	18 जिलों में सेवाएं कार्यात्मक हैं और तीन जिलों (कुरुक्षेत्र, मेवात, अंबाला शहर) में प्रगति पर हैं।
11	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	4 जिलों के अस्पतालों के लिए मार्च 2016	चार जिला अस्पतालों में सेवाएं कार्यात्मक हैं।
12	गुड़गांव मनोरंजन पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	कंपनी ने घाटे के कारण होटल ब्लॉक को बेचने की अनुमति मांगी। शेष वाणिज्यिक क्षेत्र में अब तक परिचालन शुरू नहीं हुआ है।
13	हरियाणा राज्य में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास के लिए 14 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1,627.62	बी.ओ.ओ.टी.	-	14 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और सितंबर 2019 में पूरा होने की संभावना है। एक परियोजना के लिए बोली मूल्यांकन कर लिया गया है और परियोजना का कार्य जल्दी ही आबंटित किया जाएगा। परियोजनाओं के संबंध में निविदाएं अगले तीन महीनों में आमंत्रित की जाएगी। चार परियोजनाओं में निविदाएं जनवरी 2018 में आमंत्रित की गई थीं और प्रत्येक परियोजना में एकल बोली प्राप्त हुई, पुनःनिविदा का निर्णय अनुमोदन हेतु लंबित है।
कुल			7,848.56			

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.1; पृष्ठ 65)

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	1-विधानसभा	78.70	11.14	77.99	11.85
2	4-राजस्व	1,431.07	9.45	1,058.31	382.21
3	6-वित्त	10,584.69	14.43	9,064.73	1,534.39
4	7-योजना और सांख्यिकी	52.30	0.65	34.71	18.24
5	9-शिक्षा	13,941.98	378.12	13,632.85	687.25
6	11-खेल एवं युवा कल्याण	382.94	24.07	292.08	114.93
7	12-कला और संस्कृति	38.42	95.71	11.76	122.37
8	15-स्थानीय सरकार	4,021.68	1,438.35	3,196.37	2,263.66
9	16-श्रम	54.58	4.00	51.90	6.68
10	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	519.12	140.00	457.47	201.65
11	19-अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण	508.81	5.02	287.19	226.64
12	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6,663.30	21.41	6,653.06	31.65
13	21-महिला एवं बाल विकास	1,352.88	70.50	1,014.11	409.27
14	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	242.02	56.55	122.86	175.71
15	24-सिंचाई	1,724.65	0.50	1,459.65	265.50
16	26-खान और भू-विज्ञान	130.15	4.75	112.53	22.37
17	27-कृषि	2,721.80	335.00	1,513.84	1,542.96
18	29-मत्स्य	73.26	1.00	51.75	22.51
19	30-वन एवं वन्यजीवन	505.64	6.54	333.79	178.39
20	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,898.60	383.14	3,940.38	1,341.36
21	34-परिवहन	2,387.02	50.00	2,049.85	387.17
22	36-गृह	4,663.39	100.00	4,447.94	315.45
23	37-चुनाव	175.64	129.40	133.93	171.11
24	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2,136.73	16.06	1,807.77	345.02
25	40-एनर्जी एवं पावर	7,366.92	1,500.00	7,028.67	1,838.25
26	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी.	152.75	4.20	54.50	102.45
27	42-न्याय प्रशासन	870.32	40.22	624.09	286.45
28	43-जेल	277.27	3.00	220.01	60.26
	कुल	67,956.63	4,843.21	59,734.09	13,065.75
पूँजीगत (दत्तमत)					
29	3-सामान्य प्रशासन	0.00	12.50	0.00	12.50
30	8-भवन एवं सड़कें	4,008.64	459.76	2,970.57	1,497.83
31	13-स्वास्थ्य	474.36	220.00	322.58	371.78
32	14-शहरी विकास	1,300.00	500.00	883.72	916.28
33	21-महिला एवं बाल विकास	144.10	1.67	17.93	127.84
34	24-सिंचाई	1,549.94	260.00	1,333.08	476.86
35	34-परिवहन	297.11	255.00	64.04	488.07
36	45-ऋण एवं अग्रिम	1,407.27	275.00	1,309.25	373.02
	कुल	9,181.42	1,983.93	6,901.17	4,264.18
पूँजीगत (भारित)					
37	24-सिंचाई	70.00	35.00	67.74	37.26
	कुल	70.00	35.00	67.74	37.26
	सकल योग	77,208.05	6,862.14	66,703.00	17,367.19

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	160.53	39.07	166.27	33.33
2	3-सामान्य प्रशासन	313.42	62.85	337.67	38.60
3	5-आबकारी एवं कराधान	222.71	24.81	224.48	23.04
4	10-तकनीकी शिक्षा	482.72	105.00	529.49	58.23
5	13-स्वास्थ्य	4,392.73	467.81	4,472.21	388.33
6	17-रोज़गार	360.20	110.00	400.45	69.75
7	35-पर्यटन	9.12	15.00	22.63	1.49
8	39-सूचना एवं प्रचार	186.10	75.00	230.42	30.68
	कुल	6,127.53	899.54	6,383.62	643.45
राजस्व (भारित)					
9	3-सामान्य प्रशासन	15.62	15.81	24.54	6.89
10	42-न्याय प्रशासन	145.96	17.99	157.04	6.91
	कुल	161.58	33.80	181.58	13.80
पूंजीगत (दत्तमत)					
11	11-खेल एवं युवा कल्याण	50.00	20.00	55.39	14.61
12	23-खाद्य एवं आपूर्ति	13,596.40	1,509.46	14,107.10	998.76
	कुल	13,646.40	1,529.46	14,162.49	1,013.37
पूंजीगत (भारित)					
13	8-भवन एवं सड़कें	30.00	30.00	56.47	3.53
	कुल	30.00	30.00	56.47	3.53
	सकल योग	19,965.51	2,492.80	20,784.16	1,674.15

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों से आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)					
1	8-भवन एवं सड़कें	1,145.33	27.45	1,299.77	126.99
2	23-खाद्य एवं आपूर्ति	430.84	1.50	458.73	26.39
	कुल	1,576.17	28.95	1,758.50	153.38

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2 (i); पृष्ठ 66)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचत
₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	4-राजस्व	1,431.07	9.45	1,440.52	1,058.31	382.21
2	6-वित्त	10,584.69	14.43	10,599.12	9,064.73	1,534.39
3	9-शिक्षा	13,941.98	378.12	14,320.10	13,632.85	687.25
4	11-खेल एवं युवा कल्याण	382.94	24.07	407.01	292.08	114.93
5	12-कला और संस्कृति	38.42	95.71	134.13	11.76	122.37
6	13-स्वास्थ्य	4,392.73	467.81	4,860.54	4,472.21	388.33
7	14-शहरी विकास	583.02	0.00	583.02	105.69	477.33
8	15-स्थानीय सरकार	4,021.68	1,438.35	5,460.03	3,196.37	2,263.66
9	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	519.12	140.00	659.12	457.47	201.65
10	19-अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण	508.81	5.02	513.83	287.19	226.64
11	21-महिला एवं बाल विकास	1,352.88	70.50	1,423.38	1,014.11	409.27
12	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	242.02	56.55	298.57	122.86	175.71
13	24-सिंचाई	1,724.65	0.50	1,725.15	1,459.65	265.50
14	27-कृषि	2,721.80	335.00	3,056.80	1,513.84	1,542.96
15	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,006.48	0.00	1,006.48	823.37	183.11
16	30-वन एवं वन्य जीवन	505.64	6.54	512.18	333.79	178.39
17	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,898.60	383.14	5,281.74	3,940.38	1,341.36
18	34-परिवहन	2,387.02	50.00	2,437.02	2,049.85	387.17
19	36-गृह	4,663.39	100.00	4,763.39	4,447.94	315.45
20	37-चुनाव	175.64	129.40	305.04	133.93	171.11
21	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	2,136.73	16.06	2,152.79	1,807.77	345.02
22	40-एनर्जी एवं पावर	7,366.92	1,500.00	8,866.92	7,028.67	1,838.25
23	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई.टी.	152.75	4.20	156.95	54.50	102.45
24	42-न्याय प्रशासन	870.32	40.22	910.54	624.09	286.45
	कुल	66,609.30	5,265.07	71,874.37	57,933.41	13,940.96
राजस्व (भारित)						
25	6-वित्त	16,799.62	0.00	16,799.62	15,588.01	1,211.61
	कुल	16,799.62	0.00	16,799.62	15,588.01	1,211.61

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
पूँजीगत (दत्तमत)						
26	7-योजना और सांख्यिकी	409.28	0.00	409.28	236.89	172.39
27	8-भवन एवं सड़कें	4,008.64	459.76	4,468.40	2,970.57	1,497.83
28	9-शिक्षा	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
29	13-स्वास्थ्य	474.36	220.00	694.36	322.58	371.78
30	14-शहरी विकास	1,300.00	500.00	1,800.00	883.72	916.28
31	21-महिला एवं बाल विकास	144.10	1.67	145.77	17.93	127.84
32	23-खाद्य एवं आपूर्ति	13,596.40	1,509.46	15,105.86	14,107.10	998.76
33	24-सिंचाई	1,549.94	260.00	1,809.94	1,333.08	476.86
34	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	300.00	0.00	300.00	28.59	271.41
35	34-परिवहन	297.11	255.00	552.11	64.04	488.07
36	36-गृह	410.00	0.00	410.00	229.70	180.30
37	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,470.58	0.00	1,470.58	1,173.72	296.86
38	45-ऋण एवं अग्रिम	1,407.27	275.00	1,682.27	1,309.25	373.02
	कुल	25,467.68	3,480.89	28,948.57	22,677.17	6,271.40
पूँजीगत (भारित)						
39	लोक ऋण	20,257.15	0.00	20,257.15	15,775.51	4,481.64
	कुल	20,257.15	0.00	20,257.15	15,775.51	4,481.64
	सकल योग	1,29,133.75	8,745.96	1,37,879.71	1,11,974.10	25,905.61

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2 (ii); पृष्ठ 68)

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)					
1	अनुदान संख्या 14-शहरी विकास				
(i)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 87-हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिल्ली के आसपास एन.सी.आर. उपग्रह के लिए सहायता अनुदान	520.00	43.06	476.94	92
2	15-स्थानीय सरकार				
(i)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-शहरी स्थानीय निकाय विभाग हेतु निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डी.एल.बी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	987.00	शून्य	987.00	100
(ii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 97-केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर नगर निगमों को सहायता अनुदान	576.91	452.55	124.36	22
(iii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 87-स्मार्ट सिटी	400.00	7.00	393.00	98
(iv)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता, 92-स्थानीय निकायों को स्टाम्प शुल्क की आय से नगर समितियों/नगर परिषदों के लिए अंशदान	346.00	186.67	159.33	46
(v)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 94-राजीव आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (प्र.म.आ.यो.-शहरी)	215.00	15.03	199.97	93
(vi)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 92-अनुसूचित जाति घटक राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण के लिए नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान	430.00	301.00	129.00	30
(vii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 793-अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, 99-राजीव आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक कर दिया गया	140.00	7.92	132.08	94
(viii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 83-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर नगरपालिका समितियों को सहायता अनुदान	770.00	635.42	134.58	17
3	18-औद्योगिक प्रशिक्षण				
(i)	2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 03-प्रशिक्षण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 90-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (आई.टी.वी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	140.00	शून्य	140.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
4	19-अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण				
(i)	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुसूचित जाति का कल्याण, 277-शिक्षा, 99-अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	172.31	30.30	142.01	82
5	24-सिंचाई				
(i)	2705-कमान क्षेत्र विकास, 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों के लिए सहायता, 95-नहर क्षेत्र के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रम (50 प्रतिशत आधार)	205.00	90.75	114.25	56
6	27-कृषि				
(i)	2401-फसल पालन, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 94-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ए.जी.आर.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	330.00	शून्य	330.00	100
(ii)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण, 78-कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन	200.00	36.69	163.31	82
(iii)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना	350.00	92.37	257.63	74
(iv)	2401-फसल पालन, 119-बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 54-बागवानी किसानों को फार्म पर एवं विपणन सहायता	100.00	शून्य	100.00	100
(v)	2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 77-सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	160.26	0.80	159.46	99
7	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास				
(i)	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	220.00	110.14	109.86	50
(ii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 96-ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (आर.यू.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	372.34	शून्य	372.34	100
(iii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 106-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, 99-विधायक आदर्श ग्राम योजना (वि.आ.ग्रा.यो.)	180.20	66.35	113.85	63
8	37-चुनाव				
(i)	2015-चुनाव, 101-चुनाव आयोग, 97-राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की निष्पादन लिंकड परिव्यय योजना (पी.एल.ओ.) (एस.ई.सी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	129.40	शून्य	129.40	100
पूँजीगत (दत्तमत)					
9	34-परिवहन				
(i)	5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय, 050-भूमि एवं भवन, 76-परिवहन के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (टी.आर.ए.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.)	255.00	शून्य	255.00	100

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3 (i); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	बागवानी	बागवानी किसानों को फार्म पर एवं विपणन सहायता	100.00	-
2	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक चंडीगढ़	1.00	-
3		प्राथमिक सहकारी एवं कृषि ग्रामीण विकास में शेयरपूजी के लिए सरकार का अंशदान	1.00	-
4	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग	स्टार्ट-अप एंड आई.टी. एवं ई.एस.डी.एम. नीति के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के लिए सब्सिडी	20.00	-
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	टिशू कल्चर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का सूक्ष्म प्रसार	2.47	-
6	खेल एवं युवा कल्याण	पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पं.यु.क्री.खे.अभि.) नया नाम खेलो इंडिया-खेलो के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम - केंद्रीय क्षेत्र योजना सहायता अनुदान	8.00	-
7		इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम	4.00	-
8	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (एस.टी.आर.आई.वी.ई.)	10.00	-
		कुल	146.47	-

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(ii); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जिनमें ₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक के प्रावधान को संशोधित अनुमानों में कम किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	कृषि एवं किसान कल्याण	हरियाणा भंडारण निगम को ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए ऋण (नाबाई)	18.00	5.00
2		अनुसूचित जातियों के किसानों के लिए सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	30.00	0.01
3	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए. प्रशासन	10.00	6.00
4		इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकान का निर्माण/उन्नयन के लिए योजना जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना (प्र.म.आ.यो.) कर दिया गया	45.00	26.00
5		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	53.50	20.00
6	भू-अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम-सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण एवं आधुनिक अभिलेख कक्ष	9.40	2.00
7	विकास एवं पंचायत	स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना (स्व.म.ग्रा.वि.यो.) के लिए योजना - सामान्य योजना	10.00	0.01
8		राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (रा.गां.पं.स.अ.) का नाम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (रा.ग्रा.स्व.अ.) रखा गया	40.00	10.00
9	सिंचाई एवं जल संसाधन	बांध एवं सहायक कार्य	10.00	0.01
10		नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.)	100.00	0.01
11		बी.एम.एल. की बहाली क्षमता	7.00	4.00
12		नाबाई के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई	10.00	0.01
13		नहरों का निर्माण (मेवात)	10.00	0.50
14	विद्युत	आर.आई.डी.एफ. योजनाओं के अंतर्गत नाबाई से एच.पी.जी.सी.एल. को ऋण	53.86	1.00
15	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना	20.00	0.01
16	आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण	स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान	10.00	1.50
17		स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान	9.28	0.10
18	शिक्षा (प्राथमिक)	सुविधाओं का विस्तार वर्ग VI - VIII (पूर्णकालिक)	100.00	9.69
19	शिक्षा (माध्यमिक)	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	13.00	0.01
20		नाबाई के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण	100.00	30.00
21	अग्निशमन सेवा निदेशालय	अग्निशमन सेवाओं का सुदृढीकरण	25.00	0.01
22	शहरी स्थानीय निकाय	प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए योजना	5.00	0.01
23		राज्य के नगर निकायों में चौपाल/सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन के लिए योजना	7.40	1.00
24		दूध डेयरी का स्थानांतरण	6.00	1.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
25	जनसंपर्क	पंचकूला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित प्लॉट का भुगतान	10.00	0.01
26	अनुसूचित जाति एवं	छात्रावासों के निर्माण के लिए नानाजी देशमुख योजना	5.00	0.01
27	पिछड़ा वर्ग का	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना	20.00	4.00
28	कल्याण	अनुसूचित जातियों को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	50.00	15.00
29	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	विकलांगों के लिए अनुसंधान केंद्र/विशेष विद्यालय और मनोरंजन केंद्र की स्थापना	10.00	0.10
30		प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (प्र.म.जी.ज्यो.बी.यो.)	20.00	1.00
31	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना (उदिशा परियोजना)	5.00	1.00
32	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	32.33	6.00
33	लोक निर्माण विभाग	राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	20.00	3.50
34	(भवन एवं सड़कें)	खजाना एवं लेखा प्रशासन	5.00	0.10
		कुल	879.77	148.60

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(iii); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमानों में ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक का प्रावधान किया गया था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	पशुपालन एवं डेयरी	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	3.50	3.50
2		अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	1.50	1.50
3	ग्रामीण विकास	सासंद आदर्श ग्राम योजना	2.50	2.50
4	तकनीकी शिक्षा	अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति	1.00	1.00
5		वर्तमान पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण	1.50	1.50
6		राज्य में नये राजकीय पॉलिटेक्निकस की स्थापना	4.00	4.00
7	सांस्कृतिक मामले	आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य का उन्नयन- इतिहास एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना	1.50	1.50
8	अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	पिछड़ी जाति के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	3.00	3.00
9	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण -नाबार्ड अंशदान	15.00	15.00
10	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	आई.टी.आई. का आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन	1.00	1.00
11		आई.टी.आई. का आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन	4.00	4.00
12		आई.टी.आई. में आतिथ्य शिक्षा	1.03	1.03
		कुल	39.53	39.53

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(iv); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जहां ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक के बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के संबंध में व्यय (प्रतिशत में)
1	कृषि एवं किसान कल्याण	जल बचत प्रौद्योगिकी अपनाने पर सहायता प्रदान करने की योजना	3.50	8.50	2.07	59.14
2	मत्स्य पालन	मत्स्य पालन संपदा में जल भराव क्षेत्र के विकास की योजना जिसका नाम बदलकर जल भराव क्षेत्र का विकास कर दिया गया	1.46	4.00	0.54	36.99
3	विकास एवं पंचायत	विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायता अनुदान (सरकारी अंश)	1.00	1.20	0.58	58.00
4		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए योजना - सामान्य योजना	120.00	190.00	87.67	73.06
5		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए योजना - अनुसूचित जातियों के लिए	50.00	71.00	33.05	66.10
6	शिक्षा (उच्चतर)	हिसार में कन्या एन.सी.सी. बटालियन की नई इकाई का खोलना	1.00	1.01	0.66	66.00
7	पुरातत्व एवं संग्रहालय	प्राचीन स्मारक स्थलों की सुरक्षा/संरक्षण, विकास	10.57	98.05	2.06	19.49
8	जनसंपर्क	आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा देना- पंजाबी अकादमी की स्थापना	1.00	2.00	0.70	70.00
9		आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा देना - राज्य में "हाली उर्दू" अकादमी की स्थापना करना	1.00	1.50	0.45	45.00
10	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)	12.25	15.45	3.95	32.24
		कुल	201.78	392.71	131.73	65.28

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(v); पृष्ठ 73)

स्कीमों के विवरण (₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से भी कम था (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. के विरुद्ध सं.अ. की प्रतिशतता
1	कृषि एवं किसान कल्याण	फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना	30.00	12.00	9.00	75.00
2		हरियाणा किसान अयोग के गठन की योजना	5.00	2.62	1.70	64.89
3		मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	16.50	12.00	5.10	42.50
4		सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	160.26	16.50	0.80	4.85
5	बागवानी	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना	25.00	8.00	5.00	62.50
6	पशुपालन एवं डेयरी	आर.आई.डी.एफ.-VIII के अंतर्गत राज्य में पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना निर्माण	20.00	10.00	5.00	50.00
7	मत्स्य पालन	सजावटी मछली पालन के लिए योजना	5.00	3.71	2.36	63.61
8	ग्रामीण विकास	एकीकृत बेकार भूमि विकास प्रबंधन परियोजना	10.00	6.00	4.25	70.83
9		एस.जी.एस.वाई. सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम./आजीविका)-सामान्य योजना	75.00	60.00	32.34	53.90
10		अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम./आजीविका)	75.00	60.00	32.34	53.90
11		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना	220.00	160.00	110.14	68.84
12	शिवालिक विकास बोर्ड	शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान	15.00	12.00	3.75	31.25
13	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	राज्य में सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम की स्थापना	400.00	20.00	10.92	54.60
14		सौर पैनल एवं संबद्ध उपकरणों की खरीद और स्थापना - राज्य में गौशाला में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना	9.19	7.00	4.63	66.14
15	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार	हरियाणा के लिए आई.टी. योजना	67.50	40.00	13.50	33.75
16	परिवहन आयुक्त	भूमि की खरीद और नियामक विंग के लिए भवन का निर्माण	30.00	1.00	0.15	15.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. के विरुद्ध सं.अ. की प्रतिशतता
17	पर्यटन	हरियाणा में मुख्य राजमार्गों के साथ पर्यटक सुविधाओं का विकास	13.00	7.50	5.58	74.40
18		सूरज कुंड में पर्यटक सुविधाएं	5.00	3.00	2.34	78.00
19	शिक्षा (प्राथमिक)	कक्षा I-VIII में बी.सी.-ए के छात्रों को मासिक वजीफा	60.00	50.00	35.10	70.20
20		कक्षा I-VIII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा	7.00	6.00	3.52	58.67
21	शिक्षा (माध्यमिक)	कक्षा IX-XII में बी.सी.-ए के छात्रों को मासिक वजीफा	40.00	25.00	19.52	78.08
22		कक्षा IX-XII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा	6.00	5.00	2.39	47.80
23	पुरातत्व एवं संग्रहालय	राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना	10.00	0.29	0.16	55.17
24	तकनीकी शिक्षा	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना	10.00	7.33	5.80	79.13
25	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एम.पी.एच.डब्ल्यू.पुरुष की स्थापना	10.00	1.50	0.61	40.67
26		कुटेल, करनाल में कल्पना चावला चिकित्सा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना जिसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, करनाल कर दिया गया	10.00	1.00	0.50	50.00
27		भिवानी में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य	100.00	1.00	0.00 ¹	0.24
28	परिवार कल्याण	ए.एन.एम.स का प्रशिक्षण	9.35	7.50	5.83	77.73
29	स्वास्थ्य	आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	150.00	105.00	42.00	40.00
30	आयुष	श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र	100.00	18.00	11.93	66.28
31	पुलिस	हरियाणा कैडेट कोर	6.68	3.00	1.91	63.67
32		उपकरण की खरीद	34.00	10.00	7.47	74.70
33	शहरी स्थानीय निकाय	राज्य के नगर निकायों में चौपालों/सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन के लिए योजना	9.00	5.00	1.32	26.40
34		अनुसूचित जाति की बस्तियों का विकास जिसका नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान कर दिया गया	50.00	35.00	22.50	64.29
35		स्मार्ट सिटी	400.00	100.00	7.00	7.00
36		प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (प्र.मं.आ.यो.-श.)	155.00	80.00	15.03	18.79

¹ ₹ 24,000

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. के विरुद्ध सं.अ. की प्रतिशतता
37		राजीव आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक कर दिया गया	100.00	40.00	7.92	19.80
38	नगर एवं ग्राम आयोजना	स्वर्ण जयंती हरियाणा शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना जिसका नाम बदलकर मंगल नगर विकास योजना कर दिया गया	1300.00	1200.00	883.72	73.64
39	सांस्कृतिक मामले	सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना	15.64	8.77	3.73	42.53
40	जनसंपर्क	आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा देना - हरियाणा साहित्य अकादमी को सहायता	6.00	5.10	3.35	65.69
41	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	अनुसूचित जाति छात्र को उच्च प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता	10.00	7.00	3.24	46.29
42	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	हरियाणा में निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु संस्थागत भूखंड की खरीद का नामकरण निदेशालय के भवन निर्माण के लिए संस्थागत भूखंड की खरीद (स्वर्ण जयंती)	15.00	10.00	0.24	2.40
43	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	हरियाणा में नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण और नशामुक्ति केंद्र स्थापित करना	10.00	2.00	1.01	50.50
44		राजीव गांधी परिवार बीमा योजना	7.50	5.00	2.12	42.40
45	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/हेल्पर के लिए बीमा की भविष्य की सुरक्षा योजना	5.30	4.85	3.24	66.80
46		आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण -राज्य अंशदान	80.00	10.00	6.43	64.30
47		महिला शक्ति केंद्र	5.60	1.00	0.25	25.00
48	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना	17.00	10.00	3.40	34.00
49	खाद्य एवं ड्रग प्रशासन हरियाणा	खाद्य एवं ड्रग प्रशासन के भवन का निर्माण	13.31	6.00	0.07	1.17
50	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	न्याय का प्रशासन	70.00	50.00	20.26	40.52
51	जेल	जेलों का आधुनिकीकरण	35.00	13.32	2.05	15.39
		कुल	4,038.83	2,274.99	1,372.52	60.33

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(vi); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित अनुमान कम किया गया लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 20 प्रतिशत से अधिक था (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविकव्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. के विरुद्ध सं.अ. की प्रतिशतता
1	कृषि एवं किसान कल्याण	किसानों को मृदा एवं जल परीक्षण सेवाएं प्रदान करना- सामान्य योजना	3.99	0.70	3.40	485.71
2	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा	आवास सहकारी समितियों को ऋण	1.00	0.50	0.70	140.00
3		अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आवास सहकारी को ऋण	1.00	0.50	0.70	140.00
4	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एस.पी.वी. पावर प्लांट प्रोग्राम	50.00	10.00	16.02	160.20
5	शिक्षा (माध्यमिक)	स्कूलों में खेल उपकरण और खेल के मैदानों के विकास का प्रावधान	2.00	0.70	0.84	120.00
6		स्काउटिंग और मार्गदर्शक सहायता	3.00	1.00	2.10	210.00
7	तकनीकी शिक्षा	प्रत्येक सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक और सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब स्थापित करना	1.00	0.50	1.00	200.00
8	पुलिस	कार्यालय भवन	110.00	45.00	60.64	134.76
9	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम	12.00	1.00	1.68	168.00
		कुल	183.99	59.90	87.08	145.38

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(vii); पृष्ठ 73)

स्कीमों का विवरण जिनमें मूल अनुमानों और संशोधित अनुमानों में ₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक के लिए समान प्रावधान रखा गया था लेकिन व्यय प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मूल/ संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	प्रावधान से वा.व्य. की प्रतिशतता
1	कृषि एवं किसान कल्याण	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन	8.00	2.57	32.13
2	बागवानी	अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना	5.00	3.02	60.40
3		सूक्ष्म सिंचाई पर योजना	30.00	5.07	16.90
4	पशुपालन एवं डेयरी	गौ सेवा आयोग की स्थापना के लिए योजना	30.00	21.00	70.00
5	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा	सहकारी विकास महासंघ (हरकोफेड) के माध्यम से प्रचार और प्रसार।	1.60	1.12	70.00
6		सहकारी बैंकों द्वारा अल्पावधि फसल ऋणों के बारे में ब्याज दर पर छूट	100.00	76.89	76.89
7		केंद्रीय सहकारी बैंकों को शेयर पूंजी	90.00	10.00	11.11
8		राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को शेयर पूंजी	2.00	1.58	79.00
9		एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	6.00	3.37	56.17
10		एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम	6.00	2.51	41.83
11	ग्रामीण विकास	विधायक आदर्श ग्राम योजना	180.20	66.35	36.82
12	विकास एवं पंचायत	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर गांवों में विशेष विकास कार्यों के लिए योजना	306.00	238.93	78.08
13		विकास कार्यों के लिए समानुपातिक सहायता अनुदान (लोक अंश)	1.00	0.32	32.00
14		हरियाणा ग्रामीण विकास योजना	250.00	175.20	70.08
15		राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विकास कार्य	54.00	38.56	71.41
16		अनुसूचित जातियों के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (ह.ग्रा.वि.यो.) के लिए योजना	250.00	174.80	69.92
17		राजस्व अर्जित योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत को ऋण	1.80	0.15	8.33
18		सामुदायिक विकास	3.10	2.29	73.87
19		सिंचाई एवं जल संसाधन	सरस्वती नदी विरासत विकास कार्यक्रम	1.00	0.32

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मूल/संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	प्रावधान से वा.व्य. की प्रतिशतता
20	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार	राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना	15.97	9.30	58.23
21	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	नाबाई योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे उपरगामी पुलों का निर्माण	15.00	10.75	71.67
22	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता अनुदान	7.00	0.66	9.43
23	शिक्षा (प्राथमिक)	सुविधाओं का विस्तार I-V (पूर्णकालिक)	2.00	0.87	43.50
24	शिक्षा (उच्चतर)	एन.एस.एस. सेल खोलने बारे	1.50	0.44	29.33
25	शिक्षा (माध्यमिक)	9वीं और 11वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	5.00	3.76	75.20
26		स्वर्ण जयंती कार्यक्रम - स्वच्छ प्रांगण	2.00	1.60	80.00
27		खण्ड स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टी.)	2.00	1.38	69.00
28		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.म.शि.अ.)	312.40	243.96	78.09
29	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	मुख्यमंत्री निःशुल्क इलाज योजना-कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा कॉलेज, करनाल	7.00	5.30	75.71
30	परिवार कल्याण	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	6.50	4.81	74.00
31	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-अटल जननी वाहिनी सेवा	30.00	21.00	70.00
32	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां	1.20	0.89	74.17
33	शहरी स्थानीय निकाय	स्टाम्प शुल्क की आय से नगर पालिकाओं/परिषदों को स्थानीय निकायों में अंशदान	346.00	187.18	54.10
34		शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	20.00	12.09	60.45
35	जनसंपर्क	आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना-हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना	1.00	0.45	45.00
36	अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण	मुख्यालय स्टाफ - सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	0.36	36.00
37		अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों की विधवा/निराश्रित महिलाओं/कन्याओं को सिलाई प्रशिक्षण के रूप में नामित जिला स्टाफ	1.37	0.50	36.50
38		महान संतों की जयंती का उत्सव-डॉ.बी.आर. अंबेडकर, गुरु रविदास, महर्षि बाल्मीकि और संत कबीर दास जयंती योजना	1.00	0.40	40.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मूल/संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	प्रावधान से वा.व्य. की प्रतिशतता
39		अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन जिसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना कर दिया गया	12.00	6.48	54.00
40		पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	5.00	0.86	17.20
41	रोज़गार	निजी प्लेसमेंट कंसल्टेंसी और भर्ती सेवाएं (पी.पी.सी. और आर.एस.सी.)	1.00	0.14	14.00
42	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना (अनुसूचित जाति) कर दिया गया	1.25	0.34	27.20
43		अल्पसंख्यक केंद्रित जिला मेवात और सिरसा के विकास के लिए योजना	30.00	5.39	17.97
44	महिला एवं बाल विकास	जे.जे. अधिनियम को लागू करना- रिमांड/अवलोकन गृह	13.50	10.00	74.07
45		अनुसूचित जाति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को वित्तीय सहायता	90.00	53.35	59.28
46	खजाना और लेखा	मुख्यालय स्टाफ - सूचना प्रौद्योगिकी	1.65	0.72	43.64
		कुल	2,258.04	1,407.03	62.31

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3(xi); पृष्ठ 74)

स्कीमों का विवरण जिनके लिए ₹ एक करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान बढ़ाए गए थे लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	वा.व्य. का प्रतिशत सं.अ.
1	कृषि एवं किसान कल्याण	हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत वैट/जी.एस.टी. प्लस बाजार शुल्क की प्रतिपूर्ति	30.00	403.92	30.00	7.43
2	ग्रामीण विकास	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (प्र.मं.आ.ग्र.यो.)	2.20	6.50	2.81	43.23
3	विकास और पंचायत	पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) को वैट पर अधिभार से बाहर वित्तीय सहायता	20.00	26.00	20.00	76.92
4	खान और भूविज्ञान	खान और खनिज का विकास-स्थापना व्यय	1.00	2.44	1.03	42.21
5	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार	हरियाणा में चीजों के इंटरनेट के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	2.00	4.20	1.80	42.86
6	शिक्षा (प्राथमिक)	छात्रवृत्ति (मध्य)	1.50	2.20	1.50	68.18
7	तकनीकी शिक्षा	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकूला की स्थापना	20.00	35.00	24.50	70.00
8	खेल और युवा कल्याण	युवा विकास योजना	2.92	4.70	3.59	76.38
9	स्वास्थ्य	बायो चिकित्सा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वित्तीय सहायता	10.00	14.00	8.04	57.43
10	आयुष	राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए राज्य आयुष सोसायटी, हरियाणा को सहायता अनुदान	30.00	80.00	38.48	48.10
11	शहरी स्थानीय	राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान	20.00	50.00	38.27	76.54
12	निकाय	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान	5.40	17.93	11.11	61.96
13		केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान	407.45	622.00	452.55	72.76
14		केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता अनुदान	229.00	350.00	277.56	79.30
15	महिला और बाल विकास	स्वैच्छक क्षेत्र का सुदृढीकरण (प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र और वजीफा योजना) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बाल कल्याण परिषद, भारतीय ग्रामीण महिला संघ और अन्य सरकारी गैर-सरकारी संगठनों सहित सरकार समर्थित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	10.00	25.00	10.00	40.00
16	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुधौला, जिला पलवल	120.00	144.90	105.50	72.81
17	खाद्य और आपूर्ति	दाल रोटी योजना जिसका नाम बदलकर अंत्योदय आहार योजना कर दिया गया	160.00	300.00	160.68	53.56
		कुल	1,071.47	2,088.79	1,187.42	56.85

स्रोत: निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 74)

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में अधिक व्यय दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2020 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	4-राजस्व	2705-कमांड एरिया डेवलपमेंट	24.55	12.75	52	6.75	27
2.	6-वित्त	2075-विविध सामान्य सेवाएँ	149.15	149.06	100	145.52	98
3.	8-भवन एवं सड़कें	3054-सड़कें एवं पुल	1,086.52	693.82	64	551.37	51
4.		2216-आवास	38.69	20.70	54	15.29	40
5.	13-स्वास्थ्य	4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	322.58	197.41	61	190.99	59
6.	21-महिला एवं बाल विकास	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	17.92	9.24	52	1.01	6
7.	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	212.05	189.97	90	183.30	86
8.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	434.34	232.42	54	175.32	40
9.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	672.90	349.02	52	252.52	38
10.		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	293.57	147.89	50	120.56	41
11.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	28.59	18.96	66	10.79	38
12.	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	67.25	64.89	96	56.46	84
13.		2425-सहकारिता	284.72	173.00	61	4.58	2
14.	34-परिवहन	2041-वाहनों पर कर	57.54	28.88	50	20.93	36
15.	40-ऊर्जा एवं विद्युत	5425-वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	11.50	8.30	72	0.00	0
		कुल	3,701.87	2,296.31	62	1,735.39	47

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.5.1(ii); पृष्ठ 76)

स्कीमों का विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व दत्तमत					
1.	प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.पी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-01-001-93)	105.00	0.00	105.00	100
2.	प्राथमिक शिक्षा डी.ई.ई.ओस./बी.ई.ओस की स्थापना (फील्ड स्टाफ) (2202-01-001-95)	83.19	69.98	13.21	16
3.	सूचना प्रौद्योगिकी (2202-01-001-97-99)	4.40	3.22	1.18	27
4.	सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का रखरखाव (2202-01-053-96)	25.00	20.08	4.92	20
5.	कक्षा VI-VII तक सुविधाएं बढ़ाना (पूर्णकालिक) (2202-01-101-95)	100.00	0.00	100.00	100
6.	कक्षा I-V तक सुविधाएं बढ़ाना (पूर्णकालिक) (2202-01-101-97)	2.00	0.87	1.13	57
7.	गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान) (2202-01-102-92)	20.00	0.98	19.02	95
8.	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों हेतु पेंशन लागू करना (2202-01-102-93)	20.00	14.83	5.17	26
9.	कक्षा I-VIII में बी.सी.-ए के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-84)	60.00	35.10	24.90	42
10.	कक्षा I-VIII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-85)	7.00	3.52	3.48	50
11.	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	469.25	364.25	105.00	22
12.	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (2202-01-112-99)	321.15	270.31	50.84	16
13.	कक्षा I से VIII में अनुसूचित जाति के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-01-789-98)	65.00	53.15	11.85	18
14.	कक्षा VI में एस.सी. छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना (2202-01-789-99)	3.50	1.70	1.80	51
15.	मध्याह्न भोजन स्कूलों का राष्ट्रीय कार्यक्रम (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता) (2202-01-793-98)	50.00	27.99	22.01	44
16.	सर्व शिक्षा अभियान (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता) (2202-01-793-99)	197.93	162.13	35.80	18
17.	सुगम शिक्षा - सभी स्कूलों को शिक्षक प्रदान करना (2202-01-800-91-98)	30.00	6.51	23.49	78
18.	स्वच्छ प्रांगण (2202-01-800-91-99)	20.00	5.15	14.85	74
19.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2202-01-800-93)	101.20	72.26	28.94	29
20.	माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एस.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-02-001-92)	30.12	0.00	30.12	100
21.	स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन (2202-02-001-97)	74.00	52.42	21.58	29
22.	सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) स्कूल (2202-02-001-99-97)	6.00	3.26	2.74	46
23.	जिला शिक्षा अधिकारी स्थापना (फील्ड स्टाफ) (2202-02-001-99-98)	69.28	52.15	17.13	25
24.	मुख्यालय स्थापना (मुख्या.) (2202-02-001-99-99)	45.98	37.85	8.13	18
25.	राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम की स्थापना (2202-02-004-99)	13.32	9.42	3.90	29

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व दत्तमत					
26.	सरकारी स्कूलों में विस्तार एवं बदलाव (2202-02-053-99)	188.00	57.02	130.98	70
27.	जिला स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (डी.आई.ई.टीज) (2202-02-105-92)	73.55	61.58	11.97	16
28.	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (2202-02-105-93)	13.00	0.00 ²	13.00	100
29.	जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थान (2202-02-105-98)	3.76	1.70	2.06	55
30.	छात्र परिवहन सुरक्षा योजना (2202-02-107-81)	10.00	4.58	5.42	54
31.	कक्षा IX-XII में बी.सी.-ए के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-86)	40.00	19.52	20.48	51
32.	कक्षा IX-XII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-87)	6.00	2.39	3.61	60
33.	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूल खोलने बारे (2202-02-109-85)	54.30	28.95	25.35	47
34.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.) (2202-02-109-86)	312.40	243.96	68.44	22
35.	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए पेंशन योजना लागू करना (2202-02-110-96)	70.00	51.64	18.36	26
36.	गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान) (2202-02-110-98)	20.00	7.84	12.16	61
37.	9वीं से 12वीं कक्षा के सभी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मासिक वजीफा (2202-02-789-96)	75.00	47.03	27.97	37
38.	9वीं से 12वीं कक्षा के अनुसूचित जाति वर्गों के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-02-789-97)	35.00	26.83	8.17	23
39.	9वीं और 11वीं कक्षा के अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना (2202-02-789-99)	5.00	3.76	1.24	25
40.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.) (2202-02-793-98)	100.00	80.29	19.71	20
41.	सु-संस्कार - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.पी.) (2202-02-800-97-97)	15.00	12.81	2.19	15
42.	सुगम शिक्षा - सभी विद्यालयों में शिक्षक प्रदान करना (2202-02-800-97-98)	30.00	6.67	23.33	78
43.	उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एच.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-03-001-96)	243.00	0.00	243.00	100
44.	मुख्यालय स्टाफ स्थापना (मुख्या.) (2202-03-001-99-99)	23.31	20.59	2.72	12
45.	सरकारी कॉलेजों और मुख्यालयों पर शिक्षक एवं पढ़ाए जाने वाले तथा सहायक स्टाफ का मानव संसाधन विकास (2202-03-105-92)	5.00	3.50	1.50	30
46.	छात्रवृत्ति (कॉलेज) (2202-03-107-98)	2.25	1.00	1.25	56
	कुल राजस्व (दत्तमत)	3,247.89	1,948.79	1,299.10	40
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण (4202-01-202-97)	100.00	0.00	100.00	100
	कुल पूंजीगत (दत्तमत)	100.00	0.00	100.00	100

² ₹ 50,000 /- से कम

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.5.1(iii); पृष्ठ 76)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	प्राथमिक शिक्षा डी.ई.ई.ओस/बी.ई.ओस स्थापना (फील्ड स्टाफ) (2202-01-001-95)	2017-18	84.97	64.16	20.81	24
		2018-19	96.96	69.50	27.46	28
		2019-20	83.19	69.98	13.21	16
2	सूचना प्रौद्योगिकी (2202-01-001-97-99)	2017-18	4.00	3.20	0.80	20
		2018-19	4.40	2.71	1.69	38
		2019-20	4.40	3.22	1.18	27
3	कक्षा VI-VII तक सुविधाओं का विस्तार (पूर्णकालिक) (2202-01-101-95)	2017-18	700.00	379.40	320.60	46
		2018-19	547.00	376.84	170.16	31
		2019-20	100.00	0.00	100.00	100
4	कक्षा I-V तक सुविधाओं का विस्तार (पूर्ण समय) (2202-01-101-97)	2017-18	250.00	104.18	145.82	58
		2018-19	171.00	100.13	70.87	41
		2019-20	2.00	0.87	1.13	57
5	गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान) (2202-01-102-92)	2017-18	45.00	10.63	34.37	76
		2018-19	20.00	1.38	18.62	93
		2019-20	20.00	0.98	19.02	95
6	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों हेतु पेंशन लागू करना (2202-01-102-93)	2017-18	40.00	14.60	25.40	64
		2018-19	20.00	13.32	6.68	33
		2019-20	20.00	14.83	5.17	26
7	कक्षा I-VIII में बी.सी.ए. के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-84)	2017-18	60.00	21.71	38.29	64
		2018-19	60.00	51.36	8.64	14
		2019-20	60.00	35.10	24.90	42
8	कक्षा I-VIII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-85)	2017-18	12.00	2.00	10.00	83
		2018-19	12.00	5.17	6.83	57
		2019-20	7.00	3.52	3.48	50
9	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	2017-18	741.38	452.30	289.08	39
		2018-19	741.38	432.93	308.45	42
		2019-20	469.25	364.25	105.00	22
10	कक्षा I से VIII के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-01-789-98)	2017-18	85.00	55.07	29.93	35
		2018-19	70.00	48.50	21.50	31
		2019-20	65.00	53.15	11.85	18
11	कक्षा VI के अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करना (2202-01-789-99)	2017-18	6.00	1.63	4.37	73
		2018-19	6.00	2.04	3.96	66
		2019-20	3.50	1.70	1.80	51
12	मिड-डे मील स्कूलों का राष्ट्रीय कार्यक्रम (2202-01-793-98)	2017-18	45.00	29.53	15.47	34
		2018-19	50.00	30.28	19.72	39
		2019-20	50.00	27.99	22.01	44
13	सुगम शिक्षा - सभी स्कूलों में शिक्षक प्रदान करना (2202-01-800-91-98)	2017-18	100.00	2.22	97.78	98
		2018-19	50.00	16.16	33.84	68
		2019-20	30.00	6.51	23.49	78
14	स्वच्छ प्रांगण (2202-01-800-91-99)	2017-18	30.00	0.00	30.00	100
		2018-19	30.00	6.00	24.00	80
		2019-20	20.00	5.15	14.85	74
15	कंप्यूटर साक्षरता और स्कूल में अध्ययन (2202-02-001-97)	2017-18	96.57	33.80	62.77	65
		2018-19	100.08	38.08	62.00	62
		2019-20	74.00	52.42	21.58	29
16	मुख्यालय स्थापना (मुख्या.) (2202-02-001-99-99)	2017-18	36.86	29.84	7.02	19
		2018-19	40.41	35.54	4.87	12
		2019-20	45.98	37.85	8.13	18

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
17	सरकारी स्कूलों में विस्तार एवं बदलाव (2202-02-053-99)	2017-18	28.00	16.20	11.80	42
		2018-19	73.00	61.54	11.46	16
		2019-20	188.00	57.02	130.98	70
18	खण्ड स्तर पर शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टी.) (2202-02-105-91)	2017-18	2.21	0.97	1.24	56
		2018-19	3.20	1.04	2.16	68
		2019-20	2.00	1.38	0.62	31
19	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (2202-02-105-93)	2017-18	10.17	2.79	7.38	73
		2018-19	25.00	11.33	13.67	55
		2019-20	13.00	0.00	13.00	100
20	जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थान (2202-02-105-98)	2017-18	3.27	2.21	1.06	32
		2018-19	2.92	1.97	0.95	33
		2019-20	3.76	1.70	2.06	55
21	कक्षा IX-XII में बी.सी.ए. के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-86)	2017-18	40.00	24.41	15.59	39
		2018-19	40.00	24.90	15.10	38
		2019-20	40.00	19.52	20.48	51
22	कक्षा IX-XII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-87)	2017-18	8.00	3.44	4.56	57
		2018-19	8.00	4.27	3.73	47
		2019-20	6.00	2.39	3.61	60
23	छात्रवृत्ति (माध्यमिक विद्यालय) (2202-02-107-99)	2017-18	1.61	1.34	0.27	17
		2018-19	1.61	1.38	0.23	14
		2019-20	1.60	1.39	0.21	13
24	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूल खोलने बारे (2202-02-109-85)	2017-18	30.00	25.65	4.35	15
		2018-19	60.00	38.15	21.85	36
		2019-20	54.30	28.95	25.35	47
25	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.म.शि.अ.) (2202-02-109-86)	2017-18	400.00	227.14	172.86	43
		2018-19	500.00	298.00	202.00	40
		2019-20	312.40	243.96	68.44	22
26	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए पेंशन योजना लागू करना (2202-02-110-96)	2017-18	60.00	51.35	8.65	14
		2018-19	65.00	52.33	12.67	19
		2019-20	70.00	51.64	18.36	26
27	गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान)(2202-02-110-98)	2017-18	135.00	87.63	47.37	35
		2018-19	50.00	20.82	29.18	58
		2019-20	20.00	7.84	12.16	61
28	कक्षा 9वीं से 12वीं के अनुसूचित जाति वर्गों के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-02-789-97)	2017-18	35.00	31.22	3.78	11
		2018-19	35.00	28.48	6.52	19
		2019-20	35.00	26.83	8.17	23
29	कक्षा 9वीं से 12वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना (2202-02-789-99)	2017-18	10.00	3.41	6.59	66
		2018-19	10.00	4.44	5.56	56
		2019-20	5.00	3.76	1.24	25
30	छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम (2202-02-800-97-96)	2017-18	2.00	1.74	0.26	13
		2018-19	2.00	1.71	0.29	15
		2019-20	2.00	1.60	0.40	20
31	सुगम शिक्षा - सभी विद्यालयों में शिक्षक प्रदान करना (2202-02-800-97-98)	2017-18	50.00	6.30	43.70	87
		2018-19	22.00	16.01	5.99	27
		2019-20	30.00	6.67	23.33	78
32	सरकारी कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल की स्थापना (2202-03-105-93)	2017-18	3.57	1.02	2.55	71
		2018-19	2.50	0.80	1.70	68
		2019-20	1.50	0.80	0.70	47
33	छात्रवृत्ति (कॉलेज) (2202-03-107-98)	2017-18	2.25	1.34	0.91	40
		2018-19	2.25	1.04	1.21	54
		2019-20	2.25	1.00	1.25	56

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.5.2(ii); पृष्ठ 78)

स्कीमों का विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)					
1	स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डी.एच.एस.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2210-01-001-92)	292.95	0.00	292.95	100
2	स्वर्ण जयंती योजना का कार्यान्वयन (2210-01-110-35)	18.50	8.33	10.17	55
3	बायो चिकित्सा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वित्तीय सहायता (2210-01-110-69)	10.00	8.04	1.96	20
4	स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) को अनुदान (2210-01-192-99)	6.02	0.00	6.02	100
5	स्थापना व्यय (2210-02-101-92-98)	4.00	1.96	2.04	51
6	अनुसूचित जाति के लिए जननी सुरक्षा योजना (2210-03-789-99)	5.00	3.84	1.16	23
7	होम्योपैथिक औषधालय का निर्माण (2210-04-102-97)	5.16	3.56	1.60	31
8	श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र (2210-05-101-86)	100.00	11.93	88.07	88
9	श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र तथा आई.एस.एम. एंड आर.इंस्टीट्यूट, पंचकुला का सुदृढीकरण/सुधार (2210-05-101-89)	11.14	8.74	2.40	22
10	नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एम.पी.एच.डब्ल्यू. पुरुष की स्थापना (2210-05-105-71)	10.00	0.61	9.39	94
11	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2210-05-105-72)	142.82	0.00	142.82	100
12	कल्पना चावला चिकित्सा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कुटैल की स्थापना जिसका नाम बदलकर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल कर दिया गया (2210-05-105-74)	10.00	0.50	9.50	95
13	महिलाओं के लिए बी.पी.एस. राजकीय चिकित्सा कॉलेज, खानपुर कलां, सोनीपत (2210-05-105-76-96)	13.00	10.97	2.03	16
14	कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा कॉलेज करनाल (2210-05-105-76-99)	7.00	5.30	1.70	24
15	स्थापना - कार्यालय निदेशक अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा हरियाणा (2210-05-105-83)	8.00	6.32	1.68	21
16	चिकित्सा एवं पैरा चिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण (2210-06-003-93)	29.70	21.71	7.99	27
17	सार्वजनिक विश्लेषक एवं खाद्य निरीक्षक (2210-06-102-99)	7.39	5.75	1.64	22
18	खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की स्थापना (2210-06-104-45)	6.53	4.41	2.12	32
19	औषधि नियंत्रण कार्यक्रम (2210-06-104-98)	9.97	8.79	1.18	12

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
20	केराटोप्लास्टी के लिए सहायता अनुदान (2210-06-199-99)	1.50	0.00	1.50	100
21	स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर सेल की स्थापना (2210-80-004-93)	2.00	0.90	1.10	55
22	अटल जननी वाहिनी सेवा (2210-80-199-98-98)	30.00	21.00	9.00	30
23	आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (2210-80-199-99)	150.00	42.00	108.00	72
24	बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व (2211-51-001-97)	9.47	6.57	2.90	31
25	जिला परिवार नियोजन ब्यूरो (2211-51-001-98)	19.00	10.89	8.11	43
26	राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो (2211-51-001-99)	5.80	3.58	2.22	38
27	ए.एन.एम. का प्रशिक्षण (2211-51-003-98)	9.35	5.83	3.52	38
28	क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केंद्र रोहतक (2211-51-003-99)	2.10	0.82	1.28	61
29	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (2211-51-102-99)	6.50	4.71	1.79	28
30	परंपरागत गर्भ निरोधक (2211-51-200-99)	2.90	1.55	1.35	47
	कुल	935.80	208.61	727.19	78
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए निष्पादन लिंकड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4210-03-105-86)	220.00	0.00	220.00	100
2	निर्माण कार्य एम्स, मनेठी (रेवाड़ी) (4210-03-105-87)	1.00	0.00	1.00	100
3	नलहर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-90)	5.00	0.00	5.00	100
4	बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण कार्य (4210-03-105-91)	60.00	15.00	45.00	75
5	भिवानी में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-93)	100.00	0.00	100.00	100
6	जींद में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-94)	30.00	5.00	25.00	83
7	बी.पी.एस. महिला चिकित्सा कॉलेज खानपुरकलां (सोनीपत) का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-97-98)	5.00	0.43	4.57	91
8	नलहर में मेवात चिकित्सा कॉलेज का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-98-97)	70.00	12.80	57.20	82
9	राज्य ड्रग नियामक प्रणाली को मजबूत बनाना (4210-04-107-99)	3.36	0.00	3.36	100
	कुल	494.36	33.23	461.13	93

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.5.2(iii); पृष्ठ 79)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	रक्त संचालन केंद्र (2210-01-110-73)	2017-18	5.77	4.18	1.59	28
		2018-19	6.25	4.78	1.47	24
		2019-20	5.72	4.76	0.96	17
2.	जिला आयुर्वेद कार्यालयों का सुदृढीकरण - स्थापना व्यय (2210-02-101-92-98)	2017-18	4.00	1.91	2.09	52
		2018-19	4.00	2.48	1.52	38
		2019-20	4.00	1.96	2.04	51
3.	मुख्यालय में आयुष निदेशालय का सुदृढीकरण (2210-02-101-93)	2017-18	1.20	0.52	0.68	57
		2018-19	1.18	0.48	0.70	59
		2019-20	1.18	0.74	0.44	37
4.	मुख्यालय स्टाफ आयुर्वेदिक विभाग का पुनः संगठन (2210-02-101-99)	2017-18	4.06	2.85	1.21	30
		2018-19	4.34	2.81	1.53	35
		2019-20	3.96	3.18	0.78	20
5.	पी.एच.सी./सी.एच.सी. के लिए दवाओं और सामग्री की खरीद (2210-03-103-98)	2017-18	8.50	5.90	2.60	31
		2018-19	8.50	4.59	3.91	46
		2019-20	8.50	7.56	0.94	11
6.	अनुसूचित जाति के लिए जननी सुरक्षा योजना (2210-03-789-99)	2017-18	4.00	3.55	0.45	11
		2018-19	5.00	3.79	1.21	24
		2019-20	5.00	3.84	1.16	23
7.	श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र और आई.एस.एम. एंड आर. इंस्टीट्यूट, पंचकुला का सुदृढीकरण/सुधार (2210-05-101-89)	2017-18	9.88	7.08	2.80	28
		2018-19	9.52	7.86	1.66	17
		2019-20	11.14	8.74	2.40	22
8.	कल्पना चावला चिकित्सा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कुटैल की स्थापना जिसका नाम बदलकर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल कर दिया गया (2210-05-105-74)	2017-18	0.50	0.00	0.50	100
		2018-19	10.50	0.00	10.50	100
		2019-20	10.00	0.50	9.50	95
9.	बी.पी.एस. महिला राजकीय चिकित्सा कॉलेज, खानपुरकलां, सोनीपत (2210-05-105-76-96)	2017-18	10.00	8.26	1.74	17
		2018-19	13.00	8.97	4.03	31
		2019-20	13.00	10.97	2.03	16
10.	रोहतक में राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना (2210-05-105-77)	2017-18	3.20	2.82	0.38	12
		2018-19	4.00	2.16	1.84	46
		2019-20	4.00	3.40	0.60	15
11.	कार्यालय निदेशक अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा हरियाणा की स्थापना (2210-05-105-83)	2017-18	7.00	3.78	3.22	46
		2018-19	8.10	5.25	2.85	35
		2019-20	8.00	6.32	1.68	21
12.	चिकित्सा और पैरा चिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण (2210-06-003-93)	2017-18	17.44	12.70	4.74	27
		2018-19	29.37	20.28	9.09	31
		2019-20	29.70	21.71	7.99	27
13.	खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की स्थापना (2210-06-104-45)	2017-18	4.70	3.63	1.07	23
		2018-19	6.43	4.58	1.85	29
		2019-20	6.53	4.41	2.12	32
14.	पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (2210-06-112-99)	2017-18	2.48	1.71	0.77	31
		2018-19	2.68	1.54	1.14	43
		2019-20	2.10	1.84	0.26	12

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
15.	स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर सेल की स्थापना (2210-80-004-93)	2017-18	3.95	1.72	2.23	56
		2018-19	2.07	1.33	0.74	36
		2019-20	2.00	0.90	1.10	55
16.	बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व (2211-51-001-97)	2017-18	9.04	5.57	3.47	38
		2018-19	9.47	5.57	3.90	41
		2019-20	9.47	6.57	2.90	31
17.	जिला परिवार नियोजन ब्यूरो (2211-51-001-98)	2017-18	16.20	9.54	6.66	41
		2018-19	19.13	9.36	9.77	51
		2019-20	19.00	10.89	8.11	43
18.	राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो (2211-51-001-99)	2017-18	5.70	3.20	2.50	44
		2018-19	5.83	3.08	2.75	47
		2019-20	5.80	3.58	2.22	38
19.	ए.एन.एम. का प्रशिक्षण (2211-51-003-98)	2017-18	8.70	6.09	2.61	30
		2018-19	9.38	6.03	3.35	36
		2019-20	9.35	5.83	3.52	38
20.	क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केंद्र रोहतक (2211-51-003-99)	2017-18	1.97	1.03	0.94	48
		2018-19	2.12	1.00	1.12	53
		2019-20	2.10	0.82	1.28	61
21.	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (2211-51-102-99)	2017-18	5.70	4.05	1.65	29
		2018-19	6.50	3.66	2.84	44
		2019-20	6.50	4.71	1.79	28
22.	परंपरागत गर्भ निरोधक (2211-51-200-99)	2017-18	5.22	2.95	2.27	43
		2018-19	4.12	1.55	2.57	62
		2019-20	2.90	1.55	1.35	47
23.	नलहर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य - (4210-03-105-90-99)	2017-18	5.00	0.00	5.00	100
		2018-19	5.00	0.00	5.00	100
		2019-20	5.00	0.00	5.00	100
24.	बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण कार्य - भवन निर्माण (4210-03-105-91-99)	2017-18	137.10	61.00	76.10	56
		2018-19	60.00	24.29	35.71	60
		2019-20	60.00	15.00	45.00	75
25.	भिवानी में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-93)	2017-18	118.05	0.00	118.05	100
		2018-19	108.50	1.13	107.37	99
		2019-20	100.00	0.00	100.00	100
26.	जींद में नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-94)	2017-18	25.00	0.00	25.00	100
		2018-19	30.00	1.42	28.58	95
		2019-20	30.00	5.00	25.00	83
27.	बी.पी.एस. महिला चिकित्सा कॉलेज खानपुरकलां (सोनीपत) का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-97-98)	2017-18	30.00	0.86	29.14	97
		2018-19	97.00	2.53	94.47	97
		2019-20	5.00	0.43	4.57	91
28.	नलहर में मेवात चिकित्सा कॉलेज का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-98-97)	2017-18	70.00	5.45	64.55	92
		2018-19	70.00	15.38	54.62	78
		2019-20	70.00	12.80	57.20	82

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 87)

31 अगस्त 2020 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	पुलिस (2055)	2017-18	3	71.22	2	53.07	0	0.00	2	53.07
		2018-19	3	128.05	3	128.05	0	0.00	3	128.05
2	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1,382.54	8	1.02	0	0.00	8	1.02
		2015-16	1,063	1,542.62	33	77.23	8	72.41	25	4.82
		2016-17	1,332	1,618.88	26	48.29	5	45.55	21	2.74
		2017-18	1,385	1,656.36	22	77.19	18	46.09	4	31.10
		2018-19	866	1,560.24	866	1,560.24	854	1,336.65	12	223.59
3	तकनीकी शिक्षा (2203)	2016-17	102	227.06	3	16.50	0	0.00	3	16.50
		2017-18	90	218.18	9	36.80	4	20.15	5	16.65
		2018-19	109	252.21	109	252.21	107	251.34	2	0.87
4	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2015-16	130	124.02	25	5.31	11	4.59	14	0.72
		2016-17	56	90.69	21	8.27	3	1.47	18	6.80
		2017-18	229	73.14	17	14.34	6	1.95	11	12.39
		2018-19	544	79.62	544	79.62	534	79.58	10	0.04
5	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	1	0.30	0	0.00	1	0.30
		2018-19	3	12.73	3	12.73	0	0.00	3	12.73
6	चिकित्सा (2210)	2017-18	82	1,031.67	26	337.45	23	336.00	3	1.45
		2018-19	86	1,229.21	86	1,229.21	47	610.15	39	619.06
7	परिवार कल्याण (2211)	2018-19	18	0.56	18	0.56	17	0.52	1	0.04
8	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1,274.01	24	340.65	2	3.41	22	337.24
		2013-14	73	1,120.80	20	373.89	2	22.24	18	351.65
		2014-15	87	1,115.43	28	185.20	2	5.00	26	180.20
		2015-16	122	1,478.70	61	422.31	10	30.62	51	391.69
		2016-17	219	2,227.25	156	1,332.54	26	255.55	130	1,076.99
		2017-18	395	2,781.01	341	1,763.59	55	477.17	286	1,286.42
		2018-19	105	1,841.76	105	1,841.76	13	194.75	92	1,647.01
9	सूचना एवं प्रचार (2220)	2017-18	70	16.25	59	15.70	37	5.43	22	10.27
		2018-19	29	15.36	29	15.36	0	0.00	29	15.36
10	श्रम एवं रोजगार (2230)	2017-18	4	23.07	2	6.72	1	0.25	1	6.47
11	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	2	11.53	0	0.00	2	11.53
		2015-16	355	50.55	6	3.36	0	0.00	6	3.36
		2016-17	137	4.84	2	0.12	0	0.00	2	0.12
		2017-18	38	34.20	19	14.68	0	0.00	19	14.68
		2018-19	208	87.41	208	87.41	186	70.33	22	17.08
12	फसल पालन (2401)	2018-19	14	199.46	14	199.46	0	0.00	14	199.46
13	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2016-17	2	0.59	2	0.59	0	0.00	2	0.59
		2017-18	84	1.20	11	0.20	0	0.00	11	0.20
		2018-19	19	0.85	19	0.85	16	0.74	3	0.11
14	पशुपालन (2403)	2017-18	86	74.08	14	23.77	12	23.73	2	0.04
		2018-19	94	113.85	94	113.85	66	112.62	28	1.23
15	वानिकी एवं वन्यजीवन (2406)	2017-18	3	10.71	3	10.71	0	0.00	3	10.71
16	सहकारिता (2425)	2017-18	5	155.80	5	155.80	0	0.00	5	155.80
		2018-19	6	84.24	6	84.24	4	35.26	2	48.98

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
17	विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501)	2015-16	103	64.19	4	1.10	0	0.00	4	1.10
		2016-17	87	69.16	20	47.09	0	0.00	20	47.09
		2017-18	112	135.06	55	105.83	6	2.55	49	103.28
		2018-19	123	154.60	123	154.60	48	10.46	75	144.14
18	ग्रामीण रोजगार (2505)	2014-15	165	333.36	3	1.47	1	0.31	2	1.16
		2015-16	48	285.52	11	90.80	2	78.04	9	12.76
		2016-17	7	218.78	2	119.22	0	0.00	2	119.22
		2017-18	15	211.07	15	211.07	0	0.00	15	211.07
		2018-19	9	201.78	9	201.78	1	0.00 ¹	8	201.78
19	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515)	2009-10	68	366.26	1	10.85	0	0.00	1	10.85
		2010-11	48	267.83	9	42.83	1	2.75	8	40.08
		2011-12	222	722.40	41	137.00	0	0.00	41	137.00
		2012-13	266	882.65	39	88.02	0	0.00	39	88.02
		2013-14	249	1,263.49	76	470.52	7	101.85	69	368.67
		2014-15	3,871	1,191.66	59	230.40	2	50.50	57	179.90
		2015-16	3,845	1,261.94	102	207.80	7	55.05	95	152.75
		2016-17	4,166	2,262.96	142	456.84	8	167.49	134	289.35
		2017-18	3,652	1,127.58	102	625.75	38	420.07	64	205.68
2018-19	4,015	2,228.45	4015	2,228.45	3774	1,047.14	241	1,181.31		
20	कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705)	2018-19	19	70.70	19	70.70	6	17.44	13	53.26
21	ग्राम एवं लघु उद्योग (2851)	2018-19	18	17.30	18	17.30	16	15.27	2	2.03
22	उद्योग (2852)	2015-16	28	31.02	1	3.69	0	0.00	1	3.69
		2016-17	36	61.70	10	16.00	2	5.54	8	10.46
		2017-18	23	126.50	6	71.89	1	10.00	5	61.89
		2018-19	25	78.49	25	78.49	14	28.67	11	49.82
23	नागर विमानन (3053)	2018-19	2	0.80	2	0.80	0	0.00	2	0.80
24	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2015-16	52	21.94	4	4.15	2	0.83	2	3.32
		2017-18	31	14.13	9	4.42	6	1.46	3	2.96
		2018-19	39	19.03	39	19.03	31	11.74	8	7.29
25	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	1	0.10	0	0.00	1	0.10
		2016-17	4	1.62	2	0.60	1	0.30	1	0.30
		2018-19	3	1.37	3	1.37	1	1.02	2	0.35
26	नागरिक आपूर्ति (3456)	2015-16	28	8.22	21	0.06	4	0.01	17	0.05
		2017-18	14	0.04	1	0.00 ²	0	0.00	1	0.00
27	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (2070)	2018-19	5	23.72	5	23.72	2	17.32	3	6.40
28	विविध सामान्य सेवाएं (2075)	2018-19	1	0.00 ²	1	0.00	0	0.00	1	0.00
29	अन्य सामाजिक सेवाएं (2250)	2018-19	1	0.19	1	0.19	0	0.00	1	0.19
30	पर्यटन (3452)	2018-19	11	0.49	11	0.49	5	0.15	6	0.34
कुल			30,554	37,785.81	8,059	16,687.12	6,055	6,089.54	2,004	10,597.58

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना

¹ ₹ 50,000/- से कम।

² ₹ 50,000/- से कम।

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 93)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2020 तक)
1	हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2017-18	2017-18	2015-16	2018-19	एक वर्ष
2	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	2018-19 से 2022-23	2018-19	2018-19	2017-18	--	--
3	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.), पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2018-19	2015-16	2014-15	--	--
4	हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2018-19	2017-18	2016-17	--	--
5	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2020-21 से 2024-25	2018-19	2017-18	2017-18	--	--
6	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी	2018-19 से 2022-23	2017-18	2016-17	प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं	2018-19	एक वर्ष
7	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (गु.म.वि.प्रा.)	2017-18 से 2021-22	2018-19	-	-	--	--
8	हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2018-19	तीन वर्ष
9	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), भिवानी	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	--	--
10	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	--	--
11	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फतेहाबाद	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
12	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., गुरुग्राम	-सम-	2016-17	2015-16	1999-2000	2017-18 एवं 2018-19	दो वर्ष
13	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर	-सम-	2011-12 से 2018-19	-	2011-12	-	-
14	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
15	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पंचकुला	-सम-	2017-18	2015-16	1999-2000	2018-19	एक वर्ष
16	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	-	-
17	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2020 तक)
18	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
19	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
20	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर	-सम-	2018-19 (2016-17 खाता अभी भी प्रतीक्षित है)	2015-16	1996-97	2016-17	-
21	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19	एक वर्ष
22	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
23	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा	-सम-	2017-18	2017-18	2012-13	2018-19	एक वर्ष
24	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला	-सम-	2018-19	2016-17	2013-14	-	-
25	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., जींद	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	2017-18 एवं 2018-19	दो वर्ष
26	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल	-सम-	2018-19	2017-18	2009-10	-	-
27	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरुक्षेत्र	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	-	-
28	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., मेवात (जूह)	-सम-	2017-18	2014-15	2009-10	2018-19	एक वर्ष
29	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल	-सम-	2018-19	2017-18	2012-13	-	-
30	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी	-सम-	2018-19	-	-	-	नया जिला
31	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	-सम-	2018-19	2017-18	2009-10 (से आगे) अभी रखा जाना है	-	-
32	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग	-सम-	2018-19	2018-19	2017-18	-	-
33	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	-सम-	2018-19	-	2012-13	-	-
34	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-सम-	-	-	-	2013-14 से 2018-19	नई इकाई। अभी तक खाते प्राप्त नहीं हुए
35	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्रा.) पंचकुला	-सम-	2018-19	-	-	-	-
36	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्रा.) गुरुग्राम	-सम-	अभी तक खाते प्राप्त नहीं हुए	-	-	2018-19	नई इकाई

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 94)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैंट	2017-18 2018-19	1.03 10.08
2.	एस.डी. कॉलेज, अंबाला कैंट	2016-17 2017-18 2018-19	5.87 10.31 12.68
3.	आर्य गर्ल्स कॉलेज, अंबाला कैंट	2017-18 2018-19	3.22 4.63
4.	डी.ए.वी. कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17 2018-19	6.08 11.60
5.	एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17 2017-18 2018-19	4.85 6.94 0.97
6.	एम.डी.एस.डी. कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17 2017-18 2018-19	2.23 2.57 4.00
7.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, अंबाला शहर	2016-17 2017-18 2018-19	1.55 1.87 2.13
8.	एस.एम. लुबाना खालसा गर्ल्स कॉलेज, बरारा, अंबाला	2016-17 2017-18 2018-19	2.09 2.94 3.19
9.	डी.ए.वी. कॉलेज, नैनौला, अंबाला	2016-17 2017-18 2018-19	1.03 1.07 1.47
10.	एम.पी.एन. कॉलेज, मुलाना (अंबाला)	2016-17 2017-18 2018-19	2.35 3.17 3.69
11.	डी.ए.वी. कॉलेज, करनाल	2015-16 2017-18 2018-19	2.45 2.34 4.72
12.	डॉ. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, करनाल	2017-18 2018-19	0.45 1.82
13.	के.वी.डी.ए.वी. महिला कॉलेज, करनाल	2016-17 2017-18 2018-19	3.44 5.10 6.75
14.	दयाल सिंह कॉलेज, करनाल	2016-17 2017-18 2018-19	6.23 9.08 9.19
15.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल	2016-17 2017-18 2018-19	2.36 1.86 2.62
16.	आई.बी. कॉलेज, पानीपत	2016-17 2017-18 2018-19	3.66 4.86 6.29

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
17.	आर्य कॉलेज, पानीपत	2016-17	4.01
		2017-18	5.86
		2018-19	6.78
18.	गांधी आदर्श कॉलेज, समालखा, पानीपत	2016-17	0.28
		2017-18	0.70
		2018-19	0.80
19.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, समालखा (पानीपत)	2016-17	1.04
		2017-18	1.44
		2018-19	2.26
20.	सी.आर. किसान कॉलेज, जींद	2016-17	3.30
		2017-18	3.62
		2018-19	5.34
21.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2016-17	2.08
		2018-19	4.23
22.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद	2016-17	1.11
		2017-18	1.35
		2018-19	1.39
23.	गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2018-19	11.37
24.	एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर	2016-17	6.76
		2017-18	8.51
		2018-19	12.52
25.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2016-17	4.16
		2017-18	5.62
		2018-19	7.81
26.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर	2016-17	2.46
		2017-18	2.93
		2018-19	5.82
27.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी	2018-19	2.89
28.	एम.एल.एन. कॉलेज, रादौर	2018-19	1.75
29.	डी.ए.वी. कॉलेज, सढौरा	2016-17	1.73
		2018-19	2.86
30.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2018-19	6.36
31.	आई.जी. नेशनल कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र	2016-17	2.53
		2017-18	2.94
		2018-19	5.73
32.	भगवान परशु राम कॉलेज, कुरुक्षेत्र	2016-17	3.35
		2017-18	3.68
		2018-19	6.49
33.	एम.एन. कॉलेज, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2016-17	2.01
		2017-18	2.82
		2018-19	5.93
34.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2016-17	2.95
		2017-18	3.83
		2018-19	6.58
35.	डी.ए.वी. कॉलेज, पिहोवा	2016-17	3.23
		2017-18	3.70
		2018-19	6.29

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
36.	एस.एन.आर.एल. जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र	2016-17	0.68
		2017-18	2.33
		2018-19	1.89
37.	आर.के.एस.डी. कॉलेज, कैथल	2016-17	5.57
		2017-18	6.57
		2018-19	8.99
38.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2016-17	1.13
		2017-18	1.26
		2018-19	0.63
39.	डी.ए.वी. कॉलेज, पंडरी	2016-17	1.82
		2017-18	1.80
		2018-19	2.58
40.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पंडरी	2016-17	2.83
		2017-18	3.53
		2018-19	5.23
41.	बी.ए.आर. जनता कॉलेज, कौल, कैथल	2016-17	2.02
		2017-18	2.08
		2018-19	4.70
42.	डी.ए.वी. कॉलेज, चीका	2016-17	2.65
		2017-18	2.75
		2018-19	4.59
43.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान, कैथल	2016-17	2.54
		2017-18	3.53
		2018-19	5.54
44.	एम.एम.कॉलेज, फतेहाबाद	2017-18	3.28
		2018-19	5.30
45.	सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज, सिरसा	2016-17	2.40
		2017-18	3.41
		2018-19	4.83
46.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2016-17	1.20
		2017-18	1.49
		2018-19	1.75
47.	एम.पी.गर्ल्स कॉलेज, डबवाली	2016-17	1.87
		2017-18	2.51
		2018-19	3.67
48.	बी.एस.के. शिक्षा कॉलेज, मंडी डबवाली	2016-17	0.58
		2017-18	0.97
		2018-19	1.25
49.	सी.आर.एम. जाट कॉलेज, हिसार	2016-17	5.29
		2017-18	6.30
		2018-19	6.84
50.	डी.एन. कॉलेज, हिसार	2016-17	4.97
		2017-18	8.38
		2018-19	9.91
51.	एफ.सी. कॉलेज फॉर विमेन, हिसार	2016-17	3.10
		2017-18	2.85
		2018-19	4.21

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
52.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, हिसार	2016-17	1.21
		2017-18	1.51
		2018-19	1.46
53.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2016-17	1.08
		2017-18	1.22
		2018-19	1.20
54.	सी.आर.ए. कॉलेज, सोनीपत	2016-17	3.47
		2017-18	3.40
		2018-19	6.43
55.	हिंदू कॉलेज, सोनीपत	2016-17	5.21
		2017-18	6.80
56.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2016-17	5.56
		2017-18	7.58
		2018-19	10.63
57.	टी.आर. शिक्षा कॉलेज, सोनीपत	2016-17	0.75
		2017-18	1.07
		2018-19	1.63
58.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2016-17	5.38
		2017-18	8.12
		2018-19	11.33
59.	टी.आर. गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2016-17	1.59
		2017-18	1.73
		2018-19	2.79
60.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा, सोनीपत	2016-17	1.47
		2017-18	2.24
		2018-19	2.75
61.	वैश्य कॉलेज, भिवानी	2016-17	4.69
		2017-18	6.08
		2018-19	7.41
62.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2016-17	3.76
		2017-18	4.56
		2018-19	5.64
63.	के.एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिवानी	2018-19	0.89
64.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. कॉलेज, चरखी दादरी	2016-17	3.97
		2017-18	5.80
		2018-19	6.11
65.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी	2017-18	1.50
		2018-19	1.32
66.	बी.एल.जे. सुईवाला कॉलेज, तोशाम	2016-17	1.80
		2017-18	2.54
		2018-19	3.83
67.	महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, भिवानी	2016-17	0.73
		2017-18	1.02
		2018-19	1.73
68.	वाई.एम. डिग्री कॉलेज, नूंह	2016-17	0.99
		2017-18	1.72
		2018-19	2.57

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
69.	निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, सोहना, गुरुग्राम	2016-17	1.53
		2017-18	1.72
		2018-19	2.34
70.	आर.एस.एल. शिक्षा कॉलेज, सिधरावाली, गुरुग्राम	2016-17	1.29
		2017-18	1.58
		2018-19	2.53
71.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2016-17	0.94
		2017-18	2.42
		2018-19	1.94
72.	एम.ए. महिला कॉलेज, झज्जर	2016-17	2.19
		2017-18	3.41
		2018-19	3.80
73.	जी.जी.डी.एस.डी. कॉलेज, पलवल	2016-17	3.85
		2017-18	5.86
		2018-19	8.53
74.	अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़	2016-17	2.95
		2017-18	3.87
		2018-19	6.76
75.	के.एल. मेहता डी.एन. कॉलेज फॉर विमेन, फरीदाबाद	2018-19	5.23
76.	डी.ए.वी. सेंटेंरी कॉलेज, फरीदाबाद	2016-17	2.63
		2017-18	4.31
		2018-19	5.23
77.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2016-17	1.75
		2017-18	2.98
		2018-19	5.23
78.	के.एल.पी. कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	5.58
		2017-18	8.71
		2018-19	9.49
79.	एस.पी. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	0.85
		2017-18	0.66
		2018-19	1.26
80.	अहीर कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	2.98
		2017-18	3.79
		2018-19	6.43
81.	आर.बी.एस. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	0.42
		2017-18	0.58
		2018-19	0.71
82.	आर.डी.एस. पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी	2016-17	2.58
		2017-18	4.46
		2018-19	4.79
83.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, कोसली, रेवाड़ी	2018-19	1.12
84.	ऑल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक	2016-17	10.38
		2017-18	15.17
		2018-19	16.23
85.	जी.बी. डिग्री कॉलेज, रोहतक	2016-17	1.82
		2017-18	3.25
		2018-19	3.34

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी कॉलेज		
86.	श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक	2016-17	1.88
		2017-18	2.68
		2018-19	4.95
87.	वैश्य कॉलेज, रोहतक	2016-17	3.61
		2017-18	5.76
		2018-19	6.44
88.	जी.बी. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2016-17	0.63
		2018-19	2.14
89.	वैश्य शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2016-17	0.63
		2017-18	1.04
		2018-19	0.92
90.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, रोहतक	2016-17	2.84
		2017-18	3.36
		2018-19	5.85
91.	एस.जे.के. कॉलेज, कलानौर, रोहतक	2017-18	3.31
		2018-19	4.78
92.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2016-17	1.17
		2017-18	1.81
		2018-19	2.41
93.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2016-17	3.28
		2017-18	3.54
		2018-19	5.95
कुल			966.35

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.16; पृष्ठ 95)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखों के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम ³	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.01	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् कीटनाशकों/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2016-17	7,955.52	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2014-15	1,186.24	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
कुल				9,159.74	

³ ये स्कीमों 1986-87 (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.cag.gov.in/ag/haryana/en